हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 सितम्बर 2007

खण्ड–2, अंक–3,

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 19 सितम्बर, 2007

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(3) 19

तारांकित प्रश्नों कै लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 31
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(3) 36
राज्य में बिजली की कमीं के कारण भारी डमस्या संबंधी	(3) 36
हरियाणा को नं० 1 पर लाने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई	(3) 37
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(3) 39
राज्य में पीने के पानी की भारी कमी संबंधी	(3) 39
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3) 41
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)41
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(3) 41
विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(3) 42
विधान कार्य–	(3) 42
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2007	(3) 42
समिति का गठन	(3) 72
विधान कार्य (पुनरारम्भ) –	(3) 73

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2007	(3) 73
दि हरियाणा टैक्स ऑन लग्जरीज बिल, 2007	(3) 75
दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2007	(3) 77
दि पंजाब पैसेन्वर्ज एंड गुडज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2007	(3) 78
दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा सैकेन्ड अमैंडमैंट) बिल, 2007	(3) 80
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (अमैंडमैंट) बिल, 2007	(3) 81
दि महर्षि दयानन्द यूनवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2007	(3) 83
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2007	(3) 85
दि चौधरी देवी लात यूनवर्सिटी सिरसा (अमैडमैंट) बिल, 2007	(3) 87
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(3) 89

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 19 सितम्बर, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रात 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Questions hour.

तारांकित प्रश्न एव उत्तर

Present position of Kisau, Renuka and Lashkar Dams

***731. Shri Udai Bhan:** Will the Irrigation Minister be pleased to state the present position of Kisau, Renuka and Lakhwar Dams to be constructed on Yamuna river together with the steps being taken by the Government for the construction of above said dams ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): There is no proposal for any dam named as Lashkar Dam. Three dams proposed to be constructed on Yamuna river are Renuka Dam, Kishau Dam and Lakhwar Vyasi Dam. Since these are inter-State projects, Government of Haryana is actively pursuing the matter with Government of India for early execution of Agreements between the co-basin States for construction and sharing of benefits of these dams.

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1994 मे जो यमुना जल समझौता हुआ था और जिसके बारे में कल सदन में बड़ी भारी चर्चा हुई और मंत्री जी ने भी यह माना कि उस समय की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए हरियाणा प्रदेश के हितों के प्रति कुठाराघात करते हुए 1994 में आत्मघाती यमुना जल समझौता किया था। उस समझौते के कारण हमारे प्रदेश के हिस्से का लगभग 20 प्रतिशत पानी कम हो गया। इसमें पहले हमारा 66 प्रतिशत पानी का हिस्सा था जो उसके बाद कम होकर 47.82 प्रतिशत रह गया। अध्यक्ष महोदय, यह समझौता उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने यह जानते हुए किया कि हमारे प्रदेश में पहले ही पानी की बहुत कमी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश को 36 एम०ए०एफ० पानी की आवश्यकता है और जो हमारे पास पानी उपलब्ध है वह 14 एम०ए०एफ० है यानि 22 एम०ए०एफ० पानी की कमी है। इतने ज्यादा पानी की कमी होते हुए भी उस समय के मुख्यमंत्री जी ने 1994 में जो समझौता किया उसके लिए वे हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि मंत्री जी ने करन स्वयं माना है कि 1994 का जो समझौता हुआ थी वह गलत हुआ था तो क्या सरकार इस समझौते को रह करने के लिए अपने कानूनविदों से सलाह लेकर कोई प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी? इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि रेणूका बांध के बारे में कल मंत्री जी ने ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव पर अपने जवाब में बताया है कि उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, हिमाचल सरकार उसको बनवायेगी और उस पर सारा कंट्रोल भी हिमाचल सरकार का ही होगा। जो भी आर्थिक लाभ होगा वह सब हिमाचल प्रदेश की सरकार को ही मिलेगा। उसमें हरियाणा प्रदेश का कहीं उल्लेख नहीं है। उस प्रारूप पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के और दिल्ली के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हुए हैं। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस प्रारूप पर कब हस्ताक्षर हुए और हमारे कौन से मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर किए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, एक तो कल माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल जी ने प्रश्न किया था कि आखिर इस एग्रीमैंट को करने की क्या जरूरत थी। ऐसा क्या मामला आ गया था जो यह एग्रीमैंट किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमैंट हमारे अप स्टोरेज डैमज को बनाने के लिए किया गया था जैसे लखवार, किशाऊ और रेणूका डैम हैं। इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश में जो एग्जीसटिंग पानी है जिसको हम यूज कर रहे हैं उसे कम कुरुके कोई फैसला किया गया हो। अध्यक्ष महोदय, उसमें ऐसी कोई कम्पलशन नहीं थी कि अपने पानी के हिस्से को रिड्यूस किया जाए। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने मालूम नहीं क्या सोचकर यह समझौता कर लिया। उन पर क्या कम्पलशन थी कि यह समझौता

करके उन्होंने हमारे हिस्से का 20 प्रतिशत यमुना का पानी कम करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने किस आधार पर उत्तर प्रदेश को उनके हिस्से से अधिक पानी दे दिया। वे किस दबाव में आ गए थे जो उन्होंने हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात किया। ये बातें तो वे ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस दबाव में आकर यह समझौता किया। उस समय कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा गया था कि राजस्थान को ओखला से पानी दिया जायेगा लेकिन पता नहीं किस कारण उन्होंने ताजेवाला से राजस्थान को पानी देने की बात मान ली।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कल विस्तार से बता दिया था कि राजस्थान ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं इसलिए उस एग्रीमैंट को इनवैलिड माना जाएगा और उसको रिव्यू करवाने के बारे में हरियाणा सरकार प्रयासरत है। इस बोर में हम वाटर रिसोर्सिज मंत्री से खुद भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में प्रधानमंत्री जी को स्वयं पत्र लिखा है। दूसरी बात यह है कि जो आपने रेणूका डैम के बारे में जिक्र किया है उसके निर्माण के लिए सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी और बिजली हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। उसके बारे में भी कल मैंने उल्लेख किया था कि जो रेणुका डैम है वह एक पार्ट ऑफ दी एग्रीमैंट है, जिसमें पांचों प्रदेशों ने साईन किये हैं। इसमें in isolation कोई भी गवर्नमैंट नहीं कर सकती। न ही गनर्वमैंट ऑफ इण्डिया, न हिमाचल प्रदेश और न ही दिल्ली

सरकार ऐसा कर सकती है। मुख्य रूप से यह पांचों प्रदेशों का समझौता है और इसमें सैक्रेटरी लैवल पर पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, उससे पहले मई के महीने में मिनिस्टर्ज की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने यह मामला उठाया था कि हरियाणा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है चाहे रेणूका डैम हो, चाहे किशाऊ डैम हो और चाहे लखवार डैम हो उसमें हम अपना हिस्सा देंगे। मैं सदन में यह सूचित करना चाहता हूँ कि 5 सितम्बर, 2007 को जो सैक्रेटरी लैवल की मीटिंग हुई थी तब सैक्रेटरी इरीगेशन श्री आर०एन० पराशर जी ने यह ऑबजैक्शन रेज किया था। उस वक्त गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने हमें एश्योर किया था कि इस मामले को हम सैपरेट डील करेंगे और पहले वाले को फाईनल नहीं मानेंगे। हमने यह भी कह दिया है कि यह अन्याय हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पहले भी हमारे हिस्से की एस०वाई०एल० का पूरा पानी नहीं मिला है। उस मामले में भी हमारे हितों के साथ कुठाराघात किया गया था और उसके बाद यमुना के अन्दर भी इस तरीके से हमारा पानी रिड्यूश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हरियाणा के हितों के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है और मैं आपको on the floor of the House भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हरियाणा के हितों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जायेगी।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब से यह सरकार बनी है तब से काफी प्रयास कर रहे हे। इससे पहले तो इसकी तरफ देखा ही नहीं गया था। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि यह जो इतना आत्मघाती यमुना जल समझौता हुआ है उस यमुना जल समझौते को रह करने के लिए क्या सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आयेगी? अध्यक्ष महोदय, यह जो रेणूका बांध है, जिसके बारे में हम यह प्रचार करते रहे हैं कि रेणूका बांध बन जाने से हमें कुछ पानी मिलेगा। उस मैमोरैण्डम पर साईन हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के भी साईन हैं वह साईन कौन से मुख्यमंत्री के हैं? इसके साथ ही मैं सदन में यह भी कहना चाहूँगा कि रेणूका बांध के बनने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब हमें उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो हमें रेणूका बांध बनने से क्या लाभ होगा। दूसरा, अभी तक 13 सालों में इन तीनों बांधों पर कोई कार्यवाही हुई ही नहीं और पीछे 9 साल का जो पीरियड गया, 6 साल का इनेलो सरकार का और 3 साल का उससे पहले की सरकार का, उन 9 सालों में तो इस बारे में कोई पत्राचार भी नहीं हुआ तो इस समझौते को भी रह करने के लिए क्या सरकार कोई प्रस्ताव लायेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल भी यह बताया था कि बड़े अफसोस की बात है कि after a gap of nine years, अप्रैल, 2006 को इस मुद्दे पर मीटिंग हुई। पिछली जो सरकारें थी उनमें से किसी भी सरकार ने इसे सीरियस

नहीं समझा। पता नहीं क्या कारण थे जिसके कारण इस मामले को उठाया नहीं गया। मैं समझता हूँ कि न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, जो यहाँ बैठे हैं और ये जो लोकदल के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इस मामले में उस समय सीरियस नहीं हुए। हमारे लोकदल के भाई अकालियों की मदद करते हैं और रावी का जो 3 एम०ए०एफ० पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको पंजाब सरकार ट्रैप कर सकती है, लेकिन ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो इस मामले में कभी सीरियस नहीं हुए। उदय भान जी, आपने जो जिक्र किया है इस बारे में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बाकायदा on the floor of the House कहा है कि इस मामले को हम दोबारा रिव्यू कराएंगे और जहां तक रेणुका डैम की बात है तो उसका पानी भी हरियाणा से होकर ही निकलेगा। यह तो नहीं है कि वह आकाश से होकर जायेगा या किसी टैनल के अन्दर से होकर जायेगा। Water has to flow through Haryana. वह हरियाणा से ही जायेगा और जहां तक हमारे अधिकारों का सवाल है तो उस वक्त इस समझौते पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने साईन कर दिये क्यों किए उसके बारे में तो वही जवाब दे सकते हैं कि उनकी क्या कोई कम्प्लशन थी या दिल्ली के लिए उनके मन मे क्या चिंता थी? लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह गलत था। जिस रेशो में यह पानी बांटा गया है। चाहे वह लखवार डैम हो, चाहे रेणूका डैम हो, चाहे किशाऊ डैम हो। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा डैम किशाऊ डैम है। रेणूका डैम में तो बहुत ही कम पानी आयेगा। इसमें तो सिर्फ .46 एम०ए०एफ० पानी है। अध्यक्ष महोदय,

यह जो किशाऊ डैम है इसमें 173 एम०ए०एफ० पानी रूकेगा। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर यह डैम बन जाते तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा बर्बादी होती है वह न होती। मैं समझ नहीं पाया कि इस मामले में सरकार गम्भीर क्यों नहीं थी जिसकी वजह से सरकार को फल्ड कंट्रोल पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। मैंने स्वयं भी डी. ओ लिखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस बारे में प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और जब पॉवर मिनिस्टर्ज की मीटिंग हुई थी उस वक्त मैंने भी स्वयं प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो पॉवर मिनिस्टर थे उनसे भी कहा था कि इस मामले को वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से मिलकर जल्दी निपटाओ। उस वक्त मैंने उनसे यह भी कहा था कि आप इसके चेयरमैन हैं और आप जल्दी मीटिंग बुलवाकर इस मामले को सुलझाओ ताकि यमुना का जो पानी वेस्ट जा रहा है उसका सदुपयोग हो सके। तकरीबन लाखों क्यूसिक पानी समुद्र में वेस्ट चला जाता है। उसको ट्रैप करने के लिए यह जरूरी है कि ये तीन अपस्टोरेज बनाये जायें।

Shri Phool Chand Mulana: Speaker Sir, in view of the fact that agreement is not complete because Rajasthan has not signed this agreement. Is it not necessary that our Government should take necessary steps to get this agreement re-executed and then take further steps to get our share of water ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा एक बात बताई थी कि यह कोई एक अकेले हरियाणा राज्य का मामला नहीं है, इसमें 5 स्टेट इनवॉल्व हैं। केन्द्रीय सरकार भी इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कह दी थी कि हरियाणा के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जायेगा। हम इस मामले में दोबारा से प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गम्भीर हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से बात करेंगे और अगर इस मामले को रिव्यू करवाना पड़ा तो वह भी करवायेंगे ताकि हरियाणा को उसका हक मिले।

श्री राधे श्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पानी का जितना नुकसान मेरे हल्के में हुआ उतना हरियाणा में और किसी का नहीं हुआ है। मैंने मंत्री जी की स्टेटमैंट एक अखबार में पढ़ी है कि 14 मई, 1994 को जो जल समझौता हुआ था उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ. भजन लाल ने अपने हस्ताक्षर किये थे और हमारा 20 परसैंट पानी कम कर दिया। मैं मंत्री जी से इतना जरूर जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री होते हुए जिस आदमी ने सरकार का मुखिया होते हुए हमारा हक जाने दिया, हमारे लोगों को पानी से प्यासा मार दिया क्या उस आदमी के खिलाफ यह

सरकार कोई कार्यवाही करेगी? अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये का पानी टैंकरों के माध्यम से मेरे हल्के में जाता है। अगर यह पानी आता तो हमारा हक सुरक्षित रहता तो हमें पानी मिलता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे आदमी के खिलाफ इस सदन में कोई निन्दा प्रस्ताव पास किया जायेगा? क्या उनके खिलाफ प्रिविलेज की कमेटी में मामला दिया जायेगा? क्या विधानसभा के सदस्यों की टीम बनाकर हरियाणा के लोगों को यह बताया जायेगा कि उनका नुकसान किसने किया है? ये मेरे प्रश्न हैं जो मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य की चिन्ता ठीक है। मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। श्री राधे श्याम जी उस इलाके के अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी के इलाके से संबंध रखते हैं जहाँ 700–800 फिट तक पानी नहीं मिलता। हमारे पास आज भी 24 एम०ए०एफ० पानी की कमी है। इसी कारण यह परेशानी हो रही है। इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने मसौदा कुछ और रखा और समझौता कुछ और कियौ। जो मसौदा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखा उसमें यह रखा गया कि राजस्थान को पानी औखला बैराज से मिलेगा और जब एम०ओ०यू० साईन हुआ तो उसमें लिखा गया कि उनको पानी ताजेवाला हैड से दिया जायेगा। उससे बहुत भारी नुकसान प्रदेश को हुआ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि 1993 में कैबिनेट के सामने जो बात रखी थी और उसके बाद जो

एम०ओ०यू० साईन हुआ उसमें यह लिखा गया था कि इस समझौते को रिव्यू करने की अवधि 2001 तक होगी। उसके बाद बढ़ाकर उसको 2025 तक कर दिया गया 1 यह एक बहुत ताजुब्ब की बात है कि जब 2001 में रिव्यू होने की बात थी तो 2025 तक क्यों किया गया? स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि इस समझौते में बाकायदा दिया हुआ है कि natural flow of rivers will be divided at Tajewala and subsequently at Hathni Kund Barrage between Western Jamuna Canal and Eastern Jamuna Canal in terms with the existing agreement of 1954, 1993 बाकायदा इस समझौते में जो दिया हुआ है उसमें बाकायदा यह क्लाजिज थे। इसमें एक क्लाज और थी कि this agreement may be reviewed after the year 2001, लेकिन बाद में उसको 2025 तक कर दिया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक स्टोरेज के सारे डैम्ज नहीं बनते तब तक यह सारा पानी यूपी. और हरियाणा का है और जब स्टोरेज बन जाएंगे उसके बाद ही किसी और प्रदेश को पानी दिया जा सकेगा। यही समझौता हुआ था। अध्यक्ष महोदय, उस एग्रीमैंट में बहुत सारी खामियाँ हैं। मैं नहीं जानता कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री जी थे उनके सामने क्या परिस्थितियों थी कि उन्होंने उस समझौते पर दस्तखत किये? इस बात का जवाब तो वे ही दे सकते हैं कि इसके क्या कारण थे। जहाँ तक वर्तमान स्थिति की बात है और माननीय सदस्य ने पानी के समझौते के बारे में जो बात कही है इसके बारे में माननीय

मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इसके बारे में वे परामर्श कर रहे हैं और इस बारे में कोई न कोई कदम जरूर उठाएंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है मैं बताना चाहूँगा कि रेणूका, व्यासी और किसाऊ डैम्ज के बारे में हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है और हम केन्द्र सरकार से निरन्तर पत्राचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए हाउस में यह बात बताना चाहूँगा कि मैंने स्वयं संबंधित माननीय मंत्री जी को दिनांक 24.4.2005 को पत्र लिखा था। उसके बाद यूनियन वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर के साथ दिनांक 3.9.2005 को मीटिंग भी हुई थी जिसमें हमारे इरिगेशन मिनिस्टर भी गए थे। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी दिनांक 24.9.2005 को चर्चा की और उसके बाद 13वीं नैशनल कान्फ्रैस ऑन वाटर रिसोर्सिज इरिगेशन मिनिस्टर्ज की दिनांक 30.11.2005 को हुई थी उसमें इस बात की चर्चा थी। अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक 12.4.2006 को हमारे यूनियन वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में हुई है जिसमें हमारे इरिगेशन और पॉवर मिनिस्टर्ज ने भाग लिया। दिनांक 20.12.2006 को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्ज की बैठक हुई थी जिसमें यह विचार–विमर्श हुआ कि इन डैम्ज का निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो। इस निर्माण की समय सीमा पहले 9 साल थी उसको घटाकर 6 साल कर दिया गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार

से हम रैगुलरली प्रधानमंत्री जी के साथ भी इन टच हैं। हमने 16.62006 को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है इसके साथ ही 25.7.2007 को यूनियन वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुई है और हमने लैटर भी लिखा है। जहाँ तक हरियाणा सरकार का ताल्लुक है, हरियाणा सरकार इस बारे में पूरी तरह से सचेत है। कल भी इस बारे में विस्तार से बात बताई गई है कि जहाँ तक हरियाणा के हितों का सवाल है, हम पूरे जोर–शोर से इस बारे में उचित कदम उठाएंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस ऐश्योरैंस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या पोजीशन थी और अब प्रैजैंट में क्या पोजीशन है? उस वक्त जो नया एग्रीमैंट 1994 में हुआ क्या उसमें जो यमुना का क्लो है उसके अनुसार है या जो पुराने वाला एग्रीमैंट है उसके अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि यमुना वाटर के समझौते में रेणूका और किशाऊ डैम्ज का ताल्लुक है, इसमें थोड़ा डिस्टिक्ट था हालांकि आगे जा कर दोनों एक हो जाते हैं। क्या यमुना समझौते पर सारे मुख्यमंत्रियों के दस्तखत हो चुके हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री के यमुना के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर दस्तखत नहीं हुए? अध्यक्ष महोदय इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय इस समझौते की एक कॉपी विधानसभा के पटल पर रखेंगे जिसमें 1994 में उस वक्त के

मुख्यमंत्री ने दस्तखत किये थे ताकि इसके बारे में पूरा हाउस जान सके कि वह एग्रीमैंट क्या था?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब तक अप–स्टोरेज डैम नहीं बनते हैं तब तक राजस्थान को पानी देने का सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास इतना पानी ही नहीं है। यमुना के अन्दर जब तक डैम नहीं बनता है तब तक पानी नहीं दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, कई दफा तो हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर 2 या 3 हजार क्यूसिक पानी ही होता है और कई दफा वहाँ पर 4 हजार क्यूसिक पानी चलता है। आज वहाँ पर 8 हजार क्यूसिक पानी चल रहा है। आज सिर्फ इसमें से दिल्ली को ही पानी दिया जा रहा है और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश को पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को भी इसलिए पानी दिया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज श्री कुलदीप सिंह ने जजमैंट दी थी कि जितने भी बजीराबाद और ओखला में ट्रीटमैंट प्लांट बने हुए हैं उनको हमेशा पानी से फुल रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, इस जजमैंट को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले की सरकार ने इस बारे में कोई रिव्यू पैटीशन नहीं डाली। अब हमारी सरकार ने इस बारे में एक रिव्यू पैटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है। अध्यक्ष महोदय, उस जजमैंट के मुताबिक हरियाणा को पानी मिले या न मिले लेकिन दिल्ली को 7 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा ने देना पड़ेगा। आज भी हम दिल्ली को .8 एम०ए०एफ० पानी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें पंजाब की तरफ से भी पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आज हमारे किसानों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एकॉर्ड की बात सदन में कही गई है तो इस बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रेशो के हिसाब से पानी दिए जाने के फैसले पर साईन तो कर दिए थे क्योंकि इससे राजस्थान को 1.1 एम०ए०एफ० पानी मिलना था और उसमें उनको फायदा हो रहा था, जिसमें उनका हिस्सा ही नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस समझौते पर साईन नहीं किए उस बारे में उनको आब्जैक्शन थी कि जितने भी अप–स्टोरेज डैम हैं उनमें उनका भी हिस्सा उसी रेशो से होना चाहिए जितना समझौते में दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो अपने हितों को देखते हुए उस पर दस्तखत नहीं किए थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने उस पर दस्तखत कर दिए। इन सब बातों को देखते हुए ही हम कह रहे हैं कि इस बारे में रिव्यू हो सकता है क्योंकि हमारा ज्वायंट वैलिड है।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पानी का शेयर यूपी. और राजस्थान में क्लो हो रहा है यह 1994 के समझौते के अनुसार हो रहा है या पुराने वाले समझौते के मुताबिक हो रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक अप–स्टोरेज डैम नहीं बन

जाते तब तक पानी 1994 के समझौते के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास अभी पानी है भी नहीं। अभी तो हम हरियाणा के पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कहाँ से देंगे? अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को ही हम बहुत मुश्किल से पानी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 1994 का समझौता तभी लाग होगा जब अप–स्टोरेज डैम बन जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब किशाऊ डैम में 1 .7 एम०ए०एफ० पानी स्टोर होगा, रेणका डैम में .46 एम०ए०एफ० पानी स्टोर होगा और लखवार व्यासी में .27 एम०ए०एफ० पानी स्टोर हो तब हम किसी भी दूसरी स्टेट को पानी दे सकेंगे। अभी तो 1954 के मुताबिक जो समझौता था उसी के अनुसार पानी फ्लो कर रहे हैं। राजस्थान हमारे ऊपर अभी भी प्रैशर डाल रहा है कि आप एक कैनाल बनाएं और हमें हमारे हिस्से का पानी दो, लेकिन हम उनको पानी तभी दे सकते हैं जब अप–स्टोरेज डैम बन जाएंगे। उससे पहले तो उनको पानी देने का मतलब ही पैदा नहीं होता है।

श्री शादी लाल बत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस बारे में प्रयास कर रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यह जो एग्रीमैंट था वह कम्पलीट नहीं था। उस एग्रीमैंट को कानून का उल्लंघन करते हुए लागू कर दिया गया था 1 उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा के हितों को कुर्बान

किया, उस समय किसी कानून को नहीं देखा गया था। क्या उनके खिलाफ यह सरकार कोई क्रिमिनल ऐक्शन की प्रपोजल लेकर आ रही है या इस बारे में यह सरकार देखेगी कि उनके खिलाफ क्रिमिनल ऐक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट मीटिंग में कुछ और पास हुआ था, लेकिन एम०ओ०यू० कुछ और साईन किया गया और इम्पलीमैटेशन में कुछ और हो गया। उस समय सारी की सारी वायलेशन की गई थी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, कल भी मुख्यमंत्री जी ने एक बात सदन में कही थी कि इस बारे में हम बाकायदा एग्जामिन करवा रहे हैं कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। इस बारे में मै अकेला कुछ फैसला नहीं कर सकता हूँ। इस बारे में मुख्यमंत्री जी, सारी कैबिनेट और आफिसर्ज को मिलकर देखना होगा, सारे कानूनी पहलू देखे जाएंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इस सब के बाद ही इस बारे में कुछ किया जा सकता है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी दोनों दिन इस विषय –पर चर्चा हुई है और बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी– अपनी जिाासा हरियाणा के हितों पर किस प्रकार से कुठाराघात हुआ है, के बारे में व्यक्त की है। सदन के नेता ने कल स्वयं सदन के अंदर भी और उसके बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भी यह

कहा कि हरियाणा के जो हित हैं उनको हर तरह से सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की है 1 हम कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं भी हरियाणा के हितों पर कोई समझौता हो। मैं सरकार की तरफ से आप से अनुरोध करूँगा क्योंकि इस मामले पर सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने और माननीय मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बड़ी ही फ्रिराखदिली से कहा कि जो बात गलत है, वह गलत है और हम गलत बात को चाहे वह किसी के द्वारा भी की गयी हो, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कल भी इस बारे में चर्चा की गयी है इसलिए इस बारे में सदन की एक कमेटी आपकी अध्यक्षता में बना दी जाए। हम आपको इसके लिए अधिगृहित कर दें। आपने देखा ही है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की है इसलिए यह कमेटी पूरी बात को देख ले। पूरी बात देखकर कानूनी राय करके वे इस निष्कर्ष पर पहुँच जाएं कि जो हो गया है उसको किस प्रकार से देखा जाए और किस प्रकार से अब हरियाणा के हित सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह की सरकार की राय है। अध्यक्ष महोदय, इससे पूरी बात का निखार भी सामने आ जाएगा और जो भावनाएं आहत हुई हैं उनका भी क्या हल निकाला जा सकता है, यह भी सामने आ जाएगा और हरियाणा के हितों को सुरक्षित रखने की बात भी सामने आ जाएगी। सर, यही मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में 11 मैम्बर्ज की एक कमेटी बना दी जाए और इस कमेटी में सभी

दलों यानी बी०जे०पी०, बी०एसपी, एन०सी०पी०, आई०एन०एल०डी० और कांग्रेस के सम्मानित सदस्य और सभी इंडीपैंडैन्टस विधायकों की नुमाइन्दगी भी ले ली जाए ताकि पूरी तरह से बात का निखार सामने आ जाए। स्पीकर साहब, सरकार की मंशा है कि आपकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनें।

श्री अध्यक्षः पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर का इस मामले में कमेटी बनाने का सुझाव है तो we will constitute the Committee according to the sense of the House.

Amount spent on Anganwaries

***763. Sh. Tajender Pal Singh Mann:** Will the Social Welfare Minister be pleased to State -

(a) the details of total amount spent on Anganwaries during the year 2004-05, 2005-06 and 2006-07 together with the amount received from Govt. of India and contribution made by the Haryana Government on the scheme of each year separately; and

(b) the mode of employment of Anganwari workers and helpers?

समाज कल्याण मंत्री (बहिन करतार देवी): (क) विवरणी विधान सभा के पटल पर रखी है।

(ख) आगनवाडी वर्कर एवं हैल्पर की नियुक्ति इस उद्देश्य से गठित चयन कमेटी द्वारा विभागीय दिशानिर्देशों के अनुरूप की

गई सिफारिशों पर क्रमशः जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की जाती है।

विवरणी

वर्ष 2004–05, 2095–06 तथा 2006–07 में आगनवाडियों पर खर्च का ब्यौरा

(रु० लाखों में)

वर्ष	पूरक पोषाहार		आगनवाडी वर्क हैल्पर का मानदेय, अमला एवं अन्य खर्चे		आगनवाडियों का निर्माण	
	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	5050.19	57.58	0	4660.89	55920	0
2005-06	2155.00	2074.85	434.44	5417.07	723.08	65.06
2006-07	4282.25	3240.31	480.71	5978.89	553.00	6.56
Total	1174.87.44	5372.74	1 915.15	116056.85	1815.28	71.62

वर्ष	योग		कुल योग	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान
	राज्य	केन्द्र		
	8	9	10	11
2004-05	5609.39	4718.47	10327.86	479946
2005-06	3312.52	7556.98	10869.50	7188.15
2006-07	5295.71	9225.76	14521.47	8815.61
Total	14217.62	21501.21	35718.83	I20839.22

माननीय स्पीकर साहब इसके साथ ही माननीय सदस्य ने जो सवाल पुछा है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा किं तीन साल के खर्चे का विवरण सदन के पटल पर रखा हुआ है और आगनवाडी वर्कर्ज एवं हैल्पर्ज की नियुक्ति कैसे की जाती है, उस बारे में भी बताया गया है। इस उद्देश्य के लिए हर पंचायत में एक उप समिति का गठन किया गया है और विभाग के द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी और सीडीपी. ओ दोनों मिलकर इनका सलैक्शन करते हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, यह जो जिला लेवल पर आगनवाडी वर्कर का मैनेजमैन्ट है इससे हम बहुत

परेशान हैं और इससे गरीब आदमी भी बहुत परेशान है। मेरा बहिन जी से आग्रह है कि बजाय सिस्टम को डिफैंड करने के इसमें कुछ तबदीली लायी जानी चाहिए। आगनवाडी के अंदर बेचारी बीए. पास औरतें लगा देते हैं लेकिन बीए. पास काम नहीं करना चाहती क्योंकि वे तो इस इंतजार में रहती हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। इसलिए इसकी मैक्सीमम जो पढ़ाई–लिखाई होनी चाहिए वह आठवीं जमात तक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हर गाँव में औरतों का झगड़ा इस बात को लेकर रहता है कि वह पैसे खा गयी। पता नहीं डस महकमे के अन्दर पदों के क्या–क्या नाम हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता क्योंकि इस महकमे को कई–कई हिस्सों में बांटा हुआ है। जिस गरीब आदमी के लिए यह स्कीम बनी है उसका उसको फायदा नहीं मिल पाता है। मेरा ख्याल है कि यह स्कीम केवल बीस प्रतिशत गरीब आदमियों में ही जा पाती होगी और 80 प्रतिशत यह स्कीम तंत्र के अंदर ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण सोशल वैल्फेयर विभाग के माध्यम से गरीबों की सहायता की बजाय सरकार की लोकप्रियता को ठेस लगती है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि एक तो हर जिले के अंदर इस विभाग को एक उच्च अधिकारी के नीचे रखा जाए क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि यह विभाग किसके अंडर आता है। जब हम इस बारे में एक अधिकारी को टेलीफोन करके कहते हैं तो वह कहता है कि यह मामला तो दूसरे अधिकारी के पास है मेरे पास नहीं है। इसी प्रकार से जो लाडली स्कीम है, जो गरीब परिवारों के लिए स्कीम है या जो कोई और

स्कीम्ज इंश्योरैंस आदि की हैं इनको भी आप स्ट्रीमलाइन करिए क्योंकि जिस इरादे से ये स्कीम्ज लाए हैं, उसका लाभ तो लोगों को नहीं हो रहा है उल्टे हर वक्त यह परेशानी का बायस बनी हुई हैं।

बहिन करतार देवीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना किसी हद तक तो ठीक है क्योंकि 9 प्रोजैक्ट हमें नये मिले हैं। सभी माननीय सदस्यों की तरफ से यह आ रहा है कि आगनवाडी में वर्करों की सिलैक्शन हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रही है। इसके बारे में मैं एक बात तो यह कहना चाहती हूँ कि यह सेवा का मामला है। यह कोई सरकारी सर्विस नहीं है। इसमें केवल एक हजार रुपये सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से मिलते हैं और भाई भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 400 रुपये इन्होंने बढ़ाये हैं। पिछली सरकार 200 रुपये देती थी, उन्होंने वह भी बंद कर दिये थे। अब हमारी सरकार ने दोबारा से शुरु किए हैं और 5 साल तक 100 रुपये के हिसाब से उनका हर साल बढ़ेगा 1 इसके लिए इतना रू। पैसा मिलता है। जो वर्कर हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखी गई है। जहाँ तक बीए., एमए. पास जो लोग हैं उनके आने का सवाल है, उनसे हम कहते हैं जिन्होंने बीए., एमए. कर ली वे क्यों आते हैं, तो वे कहते हैं कि क्या करें और कुछ काम ही नहीं है। कम से कम रोटी का गुजारा तो चल ही जाएगा। अब चो आते हैं उनको धक्का कैसे दे सकते हैं। जो हैल्पर हैं उनके लिए हमने

क्वालिफिकेशन मिडिल पास रखी हैं मिडिल पास न मिले तो 5वीं पास भी रख सकते हैं। इस सिलैक्शन को वास्तविक बनाने के लिए यह जो उपसमिति है जिस गांव में महिला सरपंच है उनको उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया है और जिस गांव में महिला नहीं है उस गांव में सरपंच जिस महिला पंच को नौमिनेट करता है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी कार्य करती है। एक हमने इसी सैल में गाँव की पढ़ी–लिखी महिलाओं के यानि साक्षर महिलाओं के समूह बनाए हैं और उनके समूह रजिस्टर करा दिए हैं। समिति की जो अध्यक्ष होती है वे भी इस समूह की मैंबर हैं। गाँव के जो टीचर हैं, उनको भी हम इसमें रखते हैं ताकि महिलाएं खुद सलैक्ट करें कि कौन इसमें अच्छा काम कर सकती है। जो नम्बरों की बात है जिनके 75 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर मैट्रिक में हैं उनको 60 नम्बर दिए हैं, जिनके 60 परसैंट हैं उनको 50 नम्बर दिए जाते हैं। जिनके 50 परसैंट होते हैं उनके 40 नम्बर रखे गए हैं और बी०ए० पास के 5 नम्बर और बढ़ जाते हैं, लेकिन जो विडो हैं या 40 परसैंट हेंडीकेप्ट हैं या जिनके पति को उम्र कैद हो चुकी है और घर में परिवार को संभालने वाला और कोई नहीं है उनके 15 नम्बर हमने ऐक्सट्रा लगा रखे हैं ताकि उनका उस समय में बच्चों का गुजारा करने का कुछ साधन बन जाए। इस सबके बावजूद भी इस मामले में हम यह नहीं कहते हैं कि जो हमने कर दिया है वही बिलकुल ठीक है। माननीय सदस्य जो भी सुझाव सर्वसम्मति से देंगे, जिन सुझावों में सबकी नाराजगी कम होगी, उन सुझावों को हम अमली जामा पहनाएगे। एक बात और

भी आई है कि जो बच्चों को पोषाहार हम देते थे तो पहले उसको बनाने का ठेका दिया जाता था, उसमें कई तरह की शिकायतें आती थीं इसलिए हमने अब महिलाओं के सैल्फ हैल्प तुप बनाए हैं, उसमें रोजाना वहीं पर उसी गाँव की महिलाएं बच्चों को पोषाहार बनाकर देती हैं और एक हमने वहाँ मदर रजिस्टर रखा है, वहाँ जिन बच्चों की माताएं पढ़ी– लिखी हैं। वे रजिस्टर में अपने कमैंट्स भी लिख सकती हैं कि उनके बच्चों को ठीक पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश तो यही है कि सरकार का पैसा भी बर्बाद न हो और बच्चो को खाने के लिए भी सही पोषण की चीज मिले। इसके साथ ही साथ हमने यह भी प्रावधान किया है कि बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए इसके लिए न्यूट्रीशन की हमेशा क्लास ली जाती है कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कग ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। मैं माननीय सदस्य से यह भी अनुरोध करूँगी कि अपने सुझाव दें कि किस प्रकार से सलैक्शन चाहते हैं, किस प्रकार से वर्कर्ज की सलैक्शन करैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिह मानः अध्यक्ष महोदय, इस विषय कों बहस का मुद्दा न बनाते हुए मैं माननीय सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर महोदया को बताना चाहता हूँ कि आगनवाडी का फायदा देहात में कतई तौर पर गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा है 1 मुश्किल से 10–20 प्रतिशत को ही इसका फायदा पहुँच रहा हो तो अलग बात है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आगनवाडी वर्कर बन जाती हैं उनके तो डगर भी वह सब मटीरियल खाते हैं जो बच्चों

को खाने के लिए मिलता है और आम आदमी को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। इस सिस्टम को स्ट्रीमलाईन करके एक उच्च अधिकारी जिसका कोई स्टेटस हो उसको इनकी मैनेजमैंट के लिए लगा दीजिए क्योंकि जो पी. ओ और सी. ओ. लगती हैं वे हमारे काबू में नहीं आती हैं अगर उनको कुछ कहा जाये तो वह कह देती हैं कि मेरे पास फलाने का नम्बर है जो पैसे लेकर इन वर्करज को लगाते हैं। मेहरबानी करके इसका कुछ समाधान निकालें क्योंकि तीन साल में 55 करोड रुपया लगाया गया है। मंत्री महोदया, चाहे वह पैसा भारत सरकार का हो या चाहे राज्य सरकार का हो, इस्तेमाल तो ठीक होना चाहिए।

Mr. Speaker: Ask your specific question.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, इस महकमे को सजग कीजिए मैट्रीक या मिडिल कक्षा पास करने वाली औरतें अगर आगनवाडी में लगाई जायेंगी तो उनको तो काम करने की रूचि भी होगी, लेकिन एक हजार या डेढ़ हजार रुपये में तो बीए. पास इस काम के लिए लगती हैं वे तो फिर पैसे खाने के हिसाब से ही लगती हैं।

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले 15–20 दिन पहले आगनवाडी वर्कर्ज की नियुक्तियां शहरों में की गई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूँ कि उनकी एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार की गई? दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूँ कि करनाल में 55 आगनवाडी सैंटर खौलने

थे। अभी मंत्री महोदया ने यह कहा कि जो गाँवों में आगनवाडी वर्कर्ज लगी हुई थी, उनको शहरों में लगा दिया गया है. जिसके कारण करनाल शहर में तीन आगनवाडी सैंटर्ज में जगह खाली रह गई है। उनमें जो वर्कर लगाये गये हैं वे गांवों से लगाये गये हैं जो कि गलत है। इस बारे में मंत्री महोदया एक्शन लें। अगर गाँव वाले वर्कर शहरों में आ रहे हैं तो यह गलत हो रहा है। इस बारे में सरकार विचार करे।

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने ठीक फरमाया है। अभी कैथल, बहादुरगढ़, जीन्द, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सिरसा, करनाल, थानेसर और सीवन में नई आगनवाडी खोली गई हैं और वहाँ पर उन लड़कियों को समायोजित किया गया है जो वैसे तो गाँव से संबंधित हैं, लेकिन उनके परिवार शहरों में रहते हैं, उनकी पहले से ही रिक्विजीशन आई हुई थी कि अगर शहर में जगह खाली हों तो उन्हें शहर में समायोजित किया जाए। इसलिए उन लड़कियों को शहरों में लगाया गया है। यह तो बिल्कुल गलत है क्योंकि शर्त तो यह है कि वहाँ का स्थाई निवासी होना चाहिए। गाँव की लड़की स्थाई निवासी हो तो अब जो शहरों में वार्ड में आगनवाडी केन्द्र खुले हैं, उनके लिए उस वार्ड की स्थाई निवासी होनी चाहिए और उनमें शहरों की ही लड़कियों लगानी चाहिएं। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूँगी कि विभाग का ध्यान इस ओर जरूर दिलाया जायेगा तथा इनकी

नियुक्तियाँ कैसे हुई हैं, इसके बारे में भी आपको जरूर बताया जायेगा।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी तेजेन्द्र पाल सिंह मान जी ने और सुमिता सिंह जी ने तथा बहुत सारे साथियों ने यह क्यैश्चन उठाया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार दोबारा से विचार कर ले। जब हम आगनवाडी वर्कर्ज को लगाते हैं उसके लिए मूलभूत जरूरत यह है कि वह वहाँ का स्थाई निवासी होना चाहिए She will be a permanent resident of that place ऐसे में उनको दूसरी जगह ट्रांसफर करना शायद उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कौ भी ऐसा मानना है। इस पर मंत्री जी पुनर्विचार कर लें। जो अभी तक नियुक्तियाँ हो गई है वह तो हो गई लेकिन अब आप होल्ड करके और इसके बारे में दोबारा से विचार कर लें। दूसरा माननीय मंत्री महोदया इस पर भी विचार कर लें कि जो क्वालीफिकेशन है, इसमें दसवीं पास हैं, उनकी हमने छः श्रेणियों बनाई हैं। अलग–अलग परसइटज की अगर बात करें तो 40 प्रतिशत वाले को 40 नम्बर मिलेंगे, 40 से 50 प्रतिशत वाले को 45 नम्बर मिलेंगे, 50 से 60 प्रतिशत वाले को 50 नम्बर मिलेंगे और 60 से 75 प्रतिशत वाले को 55 नम्बर मिलेंगे और 75 से ज्यादा प्रतिशत वाले को 60 नम्बर मिलेंगे। शायद आगनवाडी वर्कर्ज के लिए परसैटेज का कोई कनैक्शन नहीं होता। अगर हायर क्वालिफिकेशन हो तो माननीय

सदस्य ने सही फरमाया कि हायर क्यालिफिकेशन में if I am not equipped for the post, you cannot have an overqualified perion for a post, which is meant for a matriculate. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इसमें फ्रंट पर लड़ाई करते समय जो सैनिक मारे जाते हैं, उनकी विडोज के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया है जबकि किसी आदमी को लाईफ इम्प्रीजनमैंट होती है उसकी वाईफ को 15 नम्बर दिए जाते हैं। इसलिए इस सारे क्राईटेरिया को नये सिरे से देखने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस क्राईटेरिया को नये सिरे से एग्जामिन करवा लें।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिक्कत आ रही है कि इनका सिलैक्शन पंचायतों को दे दिया है जिसके कारण गाँवों में बहुत दिक्कत हो रही है। पंचायतें ऐसे कैंडीडेट्स का नाम रिकमैंड कर देती हैं जिनकी क्यालीफिकेशन भी पूरी नहीं होती और गाँवों में आपस में सिलैक्शन को लेकर झगड़े भी बहुत होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें इनके विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करना चाहिए और पंचायतों से भी सुझाव ले लेने चाहिए।

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने मेरे आधे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि शहरों में जो आगनवाडी वर्कर लगाई जाती हैं, उनकी एडवर्टाइजमैंट कैसे की जाती है?

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, उसकी मुनादी करवाते हे और सभी को पता चल जाता है। जहाँ तक माननीय सदस्या ने पूछा है कि गाँव की लड़कियों को शहरों में ट्रांसफर क्यों किया गया है इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वे लड़कियों तो गाँव की हैं, लेकिन उनके घर शहरों में बने हुए हैं। हम यह कहते हैं कि जो आगनवाडी वर्कर शहरों में ट्रांसफर होना चाहती हैं, उनका वोट वहाँ होना चाहिए और जिनका वोट शहरों में है उन्हीं को वहाँ लगाया गया है। फिर भी अगर माननीय सदस्या यह चाहती हैं कि वे लड़कियाँ शहरों में ट्रांसफर न हों तो इस पर दोबारा से विचार कर लिया जायेगा और क्राईटेरिया पर भी पुनर्विचार कर लिया जायेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्या को अपने जवाब में बता दिया कि जो लड़कियाँ शहरों में ट्रांसफर हो रही हैं, उस पर पुनर्विचार कर लिया जायेगा और क्राईटेरिया पर भी पुनर्विचार कर लिया जायेगा। सरकार ने on the floor of the House. आश्वासन दे दिया है, इसलिए इस पर अब और प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्षः इस बारे में कोई माननीय सदस्य और प्रश्न पूछना चाहता है या अपना सुझाव देना चाहता है तो वे बहन जी को लिखकर भिजवा दें।

Construction of Building of B.Ed. College

***750. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the Education Minister be pleased to state -

(a) whether it is fact that the B.Ed. College, Bhiwani is functioning without its own building for the last 30 years;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct building for the B.Ed. College, Bhiwani on the land earmarked in the premises of Govt. College, Bhiwani; and

(c) if so, the time by which it is likely to be constructed ? **Education Minister (Sh. Mange Ram Gupta):**

(a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Administrative approval has been issued. The building would be constructed in due course of time.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अपना जवाब थोड़ा गोलमोल कर दिया है। इन्होंने अपने जवाब में भवन निर्माण की अवधि को डिफाईन नहीं किया कि 6 महीने, 8 महीने या एक साल में बना दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भिवानी में यूनीवर्सिटी की बहुत मांग है। मंत्री जी भिवानी में बहुत बार गये हैं और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मंत्री जी से और मुख्यमंत्री

जी भी यहाँ बैठे हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि पण्डित नेकी राम शर्मा के नाम से भिवानी में एक यूनीवर्सिटी बनवाई जाये।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, आप इस बारे में अलग सै लिखकर मंत्री जी से मिलें। You can ask the specific supplementary. आप अपने सवाल के हिसाब से सप्लीमैंटरी पूछें।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि एक तो अवधि बताई जाए कि कब तक बिल्डिंग बन जायेगी और दूसरा क्या सरकार वहाँ यूनीवर्सिटी बनाने पर विचार करेगी?

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आपने उचित फर्माया कि माननीय सदस्य यूनीवर्सिटी के बारे में अलग से प्रश्न पूछें या मुख्यमंत्री जी से बात कर लें। मुझे कोई एतराज नहीं है। जहाँ तक बिल्डिंग बनाने का सवाल है, पहले वहाँ बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग वहाँ सरप्लस थी, जिसमें बी०एड० की क्लासिज लगती थी। वह बिल्डिंग बी०एड० की क्लासिज के लिए बाकायदा मार्क की हुई थी। अब की बार सरकार ने एजूकेशन को डाईवर्ट करने का थोड़ा बहुत विचार किया है कि कॉलेजों में जॉब ओरिएण्टिड कोर्सिज शुरू किये जायें जिससे उस कॉलेज में काफी कोर्सिज चल रहे हैं। इस कारण अब वहाँ पर जगह की दिक्कत महसूस हो रही है। पहली बार शिक्षा विभाग के पास यह इश्यू आया है और फौरन उस पर

विचार भी किया गया है। बिल्डिंग के लिए हमें उसी कैम्पस में जगह मिल गई है। उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया गया है। इस बारे में पी०डब्ल्यू० डी० डिपार्टमैंट को लिख भी दिया गया है। भविष्य में बहुत जल्दी इाई वहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार हो जायेगी।

Installation of Tubewells in Narnaul Division

***756. Shri Naresh Yadav:** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state the total number of tubewells installed by the Public Health Department in the Narnaul Division from February, 2003 to March, 2007 together with the number of tubewells in working order and which are not in working order ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, नारनौल डिवीजन में फरवरी, 2003 से मार्च, 2007 तक 172 नये ट्यूबवैल लगाये गये। इनमें से 135 ट्यूबवैल अब वर्किंग ऑर्डर में हैं और वाटर टेबल के नीचे चले जाने के कारण 37 ट्यूबवैल काम नहीं कर रहे हैं। इन 172 ट्यूबवैल में से जो 128 ट्यूबवैल हैं, वे फरवरी, 2005 और उसके बाद लगाये गये हैं और इस सरकार के गठन के बाद माननीय सदस्य के विधान सभा हल्के अकेले अटेली में 59 ट्यूबवैल लगाये गये हैं। इसके लिए माननीय सदस्य को माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था। इन्होंने कल भी धन्यवाद नहीं किया जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने

कहा कि हमने इनकी सब बातें मान ली हैं और करोड़ों रुपये विकास कार्यो के लिए दिये हैं।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि 2005 से 2007 के बीच में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बोर हुए हैं लेकिन अभी भी अटेली में जो 28 बोर हो चुके हैं वे अभी तक पैंडिंग हैं जिनके अन्दर मोटरें नहीं लगाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उन बोरों को भी कम्पलीट करवाया जाये जिससे लोगों को पीने का पानी मिल सके। इसमें जो एक्सीयन और ठेकेदार का झगड़ा है उसको निपटाकर उनकी पेमैंट आदि करके वे बोर भी चलाये जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत वाजिब है। वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन डिपार्टमैंट द्वारा जो भी ट्यूबवैल लगाये जाते हैं उन सभी में हमारा यह प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी उनको चालू करवाया जाये। इनके यहां .कोई स्थानीय समस्या है उसका निदान निकालकर बहुत जल्दी उन ट्यूबवैलज को भी शुरू करवाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को एक बात और बताना चाहूँगा कि जब फरवरी, 2005 में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह सरकार बनी तो पीने के पानी और सेनीटेशन का वार्षिक बजट 130 करोड़

रुपये के करीब था। अध्यक्ष महोदय, आज दो साल बीत जाने के बाद यह बजट 550 करोड़ रुपये हो गया है। यह इस सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि यह सरकार नहरी पानी को लेकर, बिजली को लेकर, पीने के पानी को लेकर, सेनीटेशन को लेकर मुस्तैद है, सजग है मुख्यमंत्री के मन में इस बात के लिए पीड़ा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 40 वर्षों से कई बातें नहीं हुई। अगर सरकारें बिजली का उत्पादन न करें। यहाँ 12 करोड़ रुपये 77 शहरों के लिए सेनीटेशन का बजट था। ये जो आज साथी आए नहीं थे साल में केवल 12 करोड़ रुपये ही सेनीटेशन के लिए दिया करते थे और आपके जिलों महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी और विशेष तौर से नारनौल डिवीजन की क्या हालत थी, आप, श्री राधेश्याम शर्मा जी और दूसरे साथी इस बात के गवाह हैं। हमने इस बात को बदलने का प्रयास किया है और दो सबसे बड़ी स्कीम्ज राजीव गांधी जल परियोजना, मेवात, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। यह मेवात के सूखे इलाके के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 425 करोड़ रुपये लेकर शुरू करवाई है और इसी प्रकार से इन्दिरा गांधी पेयजल योजना जो इस देश में सबसे अनूठी और ऐतिहासिक स्कीम है, जिसके तहत 8 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को 200–200 लीटर के पानी के टैंक दिए जायेंगे। उसके साथ पाईप, टूटी और वाल्व तक लगाकर देंगे। टूंटी टंकी के अन्दर लगाकर देंगे। यह योजना भी पहली बार इसी सरकार ने शुरू की है, जिस पर अनुमानतः 300

करोड़ रुपये से अधिक खर्चा आयेगा। इसलिए इस बात को लेकर सरकार सजग है।

श्री रामकिशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि हमारी सरकार आने के बाद पीने के पानी का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ खामियाँ हैं। अध्यक्ष महोदय, अपनी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के आदेश से बुस्टिंग स्टेशन लगाये गये थे लेकिन उन बुस्टिंग स्टेशन की सिक्योरिटी भरने के बाद भी लोगों को बिजली के कनैक्शन नहीं मिलते और वे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि बिजली विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जायेगा और वहाँ पर बिजली के कनैक्शन दिये जायेंगे? दूसरी बात मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा, कई बार अखबारों में भी आया है और हमने भी देखा है कि हरियाणा के अन्दर 80 प्रतिशत डिग्गी ऐसी हैं जहाँ पर गाद बहुत ज्यादा जमी हुई हे। मैं अपने हल्के और भिवानी के एरिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर गाँवों में जो डिग्गी बनी हुई हैं उनके अन्दर गाद जमी हुई है और उसके कारण बीमारियाँ फैल रही हैं। इससे पहले जो श्री ओमप्रकाश चौटाला की सरकार थी, उसने पीने के पानी के लिए कोई काम नहीं किया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस गाद को निकालने का कोई प्रावधान कब तक किया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही फरमाया है, जब अढ़ाई साल पहले हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली थी तो दो बातें पाई। एक तो जो रॉ वाटर टैंक है जिसको डिग्गी बोलते हैं उसके अन्दर तो सफाई की आवश्यकता है ही लेकिन फिर भी जहाँ–जहाँ से माननीय सदस्य लिखकर भेज देते हैं वहाँ पर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सफाई करवाते हैं। हम इसको कैंपेन के तौर पर चला रहे हैं। जब रॉ वाटर टैंक से पानी अंडर ग्राऊंड वाटर टैंक में जाता है उसे क्लीयर वाटर टैंक कहते हैं, वहाँ पर भी बहुत–बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार के विशेष वाटर टैंक की सफाई नहीं हुई है तो लिखकर हमें भिजवा दें। हम उस टैंक को क्लीयर करवा देंगे। उसका भी हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों बातें चुस्त–दुरुस्त हों। इन बातों के लिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि गाँवों में भी और शहरों में भी बहुत सारे लोगों ने पब्लिक हैल्थ की जीआई. पाईप लाइन को तोड़कर उसके अन्दर स्वयं ही कनैक्शन लगाये हुए हैं। बहुत सारी जीआई. पाईप लाइन भी 20– 25 साल पुरानी हो गई हैं। इसलिए जो सैल्फ कनैक्शन किये हुए हैं और जो रैगुलेराइज नहीं हो पाते वहाँ से उस पानी में पोल्यूटैंट मिल जाते हैं, जिससे कई बार ऐसा महसूस होता हे कि पब्लिक हैल्थ का जो पानी है, वह साफ नहीं है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे वे म्यूनिसिपल

कमेटी के सदस्य हों, पंच या सरपंच हों, जिला परिषद के सदस्यगण हों या विधायकगण हों, इन सबकी मदद की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार जब विभाग के प्रतिनिधि इन कनैक्शनों को हटवाने के लिए जाते हैं या कहते हैं कि इनको रैगुलर करवा लो तो वहाँ पर ली एण्ड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस बात पर भी ध्यान देने देना चाहिए और सरकार की मदद करनी चाहिए।

श्री सोमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में सतनाली, लोहारू और बहल का जो एरिया है, वहाँ पर पानी की गहराई बढ़ती जा रही है। वहाँ पर पहले 10 हॉर्स पॉवर की मोटरें लगी हुई थी, लेकिन अब उनसे पानी पूरी मात्रा में नहीं निकल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनको बदलकर 15 हॉर्स पॉवर की मोटर लगायेंगे और क्या उसके लिए कोई टाईम निश्चित करेंगे? दूसरी बात हरिजनों के घरों में जो 200 लीटर की पानी की टंकी और कनैव्शन देने की बात है, वह कब तक पूरी हो जायेगी, क्या उसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? मेरे ख्याल से जो ट्यूबवैल सारे गाँव के अन्दर पानी नहीं पहुँचा रहे हैं वे उन टंकियों में पानी कैसे पहुँचा पायेंगे, क्या मंत्री जी इस बारे में अपने विचार बतायेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन पृथक बातें पूछी हैं। मैं चाहूँगा कि वे मुझे लिखकर

भिजवा दें। हांलाकि इस समय मैं इन्हें एक बात का आश्वासन अवश्य देता हूँ कि यह सच है कि भिवानी के कई हिस्से जिसमें माननीय सदस्य का विधानसभा क्षेत्र लोहारू भी शामिल है। स्पीकर सर, 52 प्रतिशत हरियाणा इस समय ऐसा है जहाँ अंडर ग्राऊंड वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। उसको हमारे नक्शे में रैड दिखाया गया है और इस प्रकार से प्रिकारियस है। इसका एक कारण जो हमारे ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनका अनावश्यक दोहन भी है। जहाँ पर भी जरूरत होगी हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम बड़ी मोटर्ज भी लगाएं और ट्यूबवैल्ज भी अधिक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि अगर पानी पूरा उपलब्ध नहीं है तो टंकी लगाकर क्या करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी बात वाजिब है, लेकिन इन्दिरा गांधी ड्रिकिंग वाटर स्कीम गांवों में उपलब्ध है। वहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिए पीने के पानी के लिए पृथक ट्यूबवैल्ज की व्यवस्था हो या किसी भी ऐग्जिस्टिंग सिस्टम से इतना पानी जरूर हो कि हम वह पानी आखिरी छोर तक सप्लाई कर सकें उसके लिए पैसे का पूरा प्रावधान भी साथ–साथ किया गया है।

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, जहाँ मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रदेश में दलित वर्ग 8 लाख लोगों के लिए इन्दिरा पेयजल योजना का प्रावधान किया गया है जो कि एक बहुत ही अनूठी योजना है। अध्यक्ष महोदय, इस

सरकार ने प्रान्त भर में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सैकड़ों ट्यूबवैल्ज लगाए हैं और कई हजार किलोमीटर पाईप लाइनें बिछाई हैं जबकि पिछली सरकारों के वक्त तो पैरीफरी में एक टूटी लगा देते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार ने अब यह प्रावधान कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस साल में पानी का कनैक्शन लेगा तो उसको फ्री कनैक्शन दिया जाएगा और उसके लिए उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उनके नोटिस में यह बात है कि जो सरकारी ट्यूबवैल्ज हैं। सारे ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनैक्शन्ज नहीं दिये गये हैं (विघन) जो ट्यूबवैल्ज बिजली के कनैक्शन्ज से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको बिजली के कनैक्शन्ज के साथ कब तक जोड़ दिया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलाना साहब ने बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है। हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज डी०एच०वी०पी०एन०और यू०एच०वी०पी०एन० के साथ बैठक की है, बाकी के जो पैंडिंग कनैक्शन्ज हैं, वे उनको कैंपेन के आधार पर ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी बिजली के कनैक्शन्ज जुड़वा देंगे।

Line Losses of Electricity

***760. Shri Sher Singh:** Will the Power Minister be pleased to state the district-wise percentage of line losses of

electricity in the State along with steps being taken or to be taken to check the line losses of electricity ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, a statement is laid on the table of the House.

(a) Lines Losses %age (District Wise)

Name of District	Fy 2006-07
Ambala	28.44
Bhiwani	38.51
Faridabad	24.72
Fatehabad	30.89
Gurgaon	20.34
Hisar	28.36
Jhajjar	42.03
Jind	38.85
Kaithal	21.74
Karnal	25.94
Kurukshetra	20.21
Mohindergarh	26.46
Nuh	48.94
Panchkula	18.23

P anipat	28.61
Rewari	23.02
Rohtak	45.04
Sirsa	26.68
Sonipat	28.89
Yamuna Nagar	24.93

(b) The following Steps have been taken / are being taken to reduce distribution losses.

1. The Power Utilities have started bifurcating and trifurcating existing 11 KV feeders.

2. Capacitors of various capacities are being installed in the system to improve the power factor.

3. Sufficient nos. of distribution transformers are being added.

4. In case of rural feeders the Utilities have started to bifurcate and segregate the existing feeders, one feeder for the domestic consumers and other feeder for the Tubewells.

5. Meters are being installed on distribution transformers for energy audit.

6. High Voltage Distribution System (HVDS) is being introduced to give proper voltage to the consumers and to reduce Kundi connections.

7. Meters are being brought outside the consumer premises to avoid manipulation of meter and theft of energy.

आई०जी० शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि लाईन लौसिस जितने बताए गए हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हिदायतें तो मिल चुकी हैं और सरकार ने बिजली के बिलों की मुआफी के साथ ही इतनी रियायतें दी हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी रियायतें देने के बावजूद भी कितनी इम्प्रूवमैंट हुई है और इसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ गवर्नमैंट कॉलोनी में बिजली की काफी चोरी हो रही थी और वहाँ पर चोरी रोकने के लिए छापा भी मारा गया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या ऐक्शन लिया गया और किसके खिलाफ ऐक्शन लिया गया?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बात जाहिर की है, जिसमें सरकार प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई सरकारी कालोनी हो चाहे कोई प्राईवेट या निजी मकान हो, कम से कम इस मामले में डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज कोई भेदभाव नहीं करती हैं। यह बात माननीय सदस्य के प्रश्न से ही स्पष्ट है। यदि कोई स्पैसिफिक केस हो तो माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें तो उनको जवाब भिजवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो सरकार की मन्शा भी यही है

कि बिजली की चोरी का हक किसी को नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे वह बड़े से बड़े सरकारी पद पर भी हो, उसको बिजली चोरी नहीं करने दी जाएगी, सरकार की यह मन्शा है।

Construction of Roads

***769. Shri K.L. Sharma:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the number of roads constructed by the PWD (B&R) Department in the Shahabad Constituency during the last two years i.e. 2005-06 and 2006-07?

Public Works Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Construction of two new roads has been completed during the year 2007. A sum of Rs. 15.98 crores has also been spent on up-gradation and repair of roads from 1.4.2005 to 31.8.2007.

श्री के०एल० शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पी०डब्ल्यू०डी० डिपार्टमैंट को आठ और एग्रीकल्चर मार्कीटिंग बोर्ड को 15 सड्कों के लिए रिक्मैडेशन दी थी, लेकिन उनमें से केवल दो सड़कें ही बनी हैं।

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, अब क्यैश्चन आवर समाप्त होने को है, इसलिए आपकी जो सड़कें हैं, उनके बारे में आप लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। Now, the question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

C.B.I. Inquiry

***781. Shri S.S. Surjewala:** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the date on which the criminal cases if any handed over to the C.B.I. by Government of Haryana against the former Chief Minister Sh. Om Parkash Chautala, his family members and accomplishes together with the present position thereof; and

(b) whether the State Government has constituted a team of its officers to assist the CBI in the investigation; if so, the names thereof.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) श्री ओम प्रकाश चौटाला की अनुचित पूंजी बारे राज्य चौकसी विभाग, हरियाणा की जाँच क्रमांक 6 दिनांक 13.6.2005 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित की गई, जिसमें केस नं० आर०सी० 2/2006–ए.सी.–7 दर्ज हुआ जो अनुसंधानाधीन

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा माँगी गई सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

Sports Facilities at Government Stadiums

***786. Smt. Sumita Singh:** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state -

(a) the games and coaching facilities availabe at the Government

stadiums; and

(b) whether there is lack of such facilities due to which players do not play the games at Government stadiums and prefer private coaching ?

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी): श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(क) कृपया विधायिका महोदया द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 786 अनुसार पूछा गया है कि सरकारी स्टेडियमों में खेलों की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं? इस बारे स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में खेल स्टेडियमों का निर्माण, सम्बन्धित जिला खेल परिषदों द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा जारी अनुदान अनुसार जिला स्तर पर खेल सुविधाओं के सृजन हेतु 100 परसेंट, ब्लॉक/तहसील स्तर की खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं हेतु 90 परसेंट तथा ग्रामीण स्तर की खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 95 परसेंट अनुदान प्रदान किया जाता है। जिला खेल परिषदों द्वारा स्टेडियमों का निर्माण पंचायती राज एवं लोक निर्माण विभाग (भ० व स०) के माध्यम से करवाया जाता है। इनमें एथलैटिक, फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, कब्बड्डी, कोर्फबाल, कुश्ती, लान– टैनिस, हैंडबाल, तलवारबाजी, तीरन्दाजी, स्केटिंग, खो, तैराकी, बास्केटबाल, वालीबाल, बैडमिन्टन, टेबल–टैनिस, योग, बाक्सिंग, जिम्नास्टिक आदि खेलों की खेल सुविधाएं सृजित की जाती हैं। वर्णित खेलों

के प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ, कनिष्ठ खेल/योग प्रशिक्षक कार्यरत हैं। जिला स्तर पर उपरोक्त वर्णित सभी खेलों की खेल इकास्ट्रक्चर सुविधाएं तथा खेल सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है तथा विभागीय / साई प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रत्येक खण्ड के एक गाँव में ब्लॉक स्तर की खेल सुविधाओं हेतु 6.5 एकड़ में निर्मित खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रायोजित 50.00 लाख रुपये की लागत इन स्टेडियमों के निर्माण हेतु तथा हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इन स्टेडियमों में एथलैटिक, कुश्ती, वालीबाल, बास्केटबाल व हैंडबाल मैदानों के अतिरिक्त इण्डोर खेलों के लिए एक मन्टीपरपज हाल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे स्टेडियमों हेतु अब तक 152 गाँव चिह्नित कर लिये गये हैं तथा इन मैं सै अधिकतम स्टेडियम इसी वर्ष पूर्ण हो जायेंगे। प्रत्येक खण्ड स्तरीय खेल स्टेडियम में खेलों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक कम मैनेजर के पद भी भरे जा रहे हैं। गाँव स्तर के कम से कम चार एकड़ के खेल स्टेडियम हेतु स्टेडियम की चारदीवारी, जोगिंग ट्रैक, लोकप्रिय खेल मैदान, स्टेज व एक कमरा बनाये जाने का प्रावधान है। वहां पर खेल सुविधाएं सृजित किये जाने के अन्तर्गत वहाँ प्राथमिकता के आधार पर खेल मैदानों का विकास किया जाता है।

(ख) माननीया विधायिका द्वारा किये प्रश्न के अन्तर्गत यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि सरकार द्वारा बनाए जाने

वाले खेल स्टेडियमों में खेलों एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी खेलों व प्रशिक्षण के अभाव में निजि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिला खेल परिषदों द्वारा निर्मित इन खेल स्टेडियमों में खेलों की उचित सुविधायें व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है तथा प्रशिक्षण केन्द्रों भर निःशुल्क खेल सामान उपलब्ध करवाया जाता है। यहां यह वर्णन करना उचित होगा कि वर्ष 1966 में हरियाणा के अस्तित्व में आने के समय विभाग में केवल 7 प्रशिक्षक ही कार्यरत थे। अब सरकार के अथक प्रयासों के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न खेलों के 139 वरिष्ठ प्रशिक्षक, 134 कनिष्ठ प्रशिक्षक, 2 सहायक प्रशिक्षक तथा 23 योग प्रशिक्षक कार्यरत हुँ। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भी राज्य में 40 विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक कार्यरत हैं। ये सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर खेल प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करवाते हैं।

Irrigation Water for Masudpur Village

***795. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that the irrigation water supplied to Masudpur village of Narnaund Constituency is not adequate after it has been linked with Bhakra Canal: if so, whether there is any proposal to supply adequate irrigation water to the said village ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): जी नहीं, श्रीमान् जी। भाखड़ा नहर के साथ जोड्ने के पश्चात् पर्याप्त सिंचाई पानी की आपूर्ति की जा रही है।

Repair of Roads

***798. Shri Nirmal Singh:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal to repair the following roads:—

(i) Bhood Power Station to Devdhar village up to U.P. Border of Chhachhrauli Constituency.

(ii) Khizrabad-Khilanwala road to Chhachhrauli Block; and

(iii) Jagadhari-Poanta Sahib road; and

(b) if so, the Budget provision for the propose and time by which these roads are likely to be repaired ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): (क) और (ख)

(1) यह बूडिया–खदरी–देवधर सड़क का एक भाग है जिसे बी०ओ०टी० के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव है। फिजीबिलटी अध्ययन के अनुसार इस सडक के उन्नयन के लिए 7500 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

(2) इस कार्य के लिए 27.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान है और कार्य इस वर्ष के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

(3) यह एन०एच० –73 का हिस्सा है और इसलिए इस सड़क की मरम्मत/सुधार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

की जिम्मेवारी है। 1367.57 लाख रुपये का अनुमान पहले ही मंत्रालय को भेजा हुआ है जिसके शीघ्र अनुमोदित होने की संभावना है। उसके बाद काम तुरन्त शुरू कर दिया जायेगा।

Transfer Policy of Teachers

***714. Shri Dharam Pal Singh Malik:** Will the Education Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to frame a permanent transfer policy for teachers in Haryana to provide better scope of studies to the students and to avoid harassment to the teachers; and

(b) if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगेराम गुप्ता):

(क) नहीं श्रीमान्, अध्यापकों की स्थानांतरण नीति पहले ही विद्यमान है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Seismic Zone and Disaster Management

***711. Shri Karan Singh Dalai:** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state -

(a) whether the areas of districts of Faridabad, Gurgaon and Mewat fall in the seismic zone of the country;

(b) if so, whether any Disaster Management Plan

for the region has been formulated and notified; if so, the details thereof; and

(c) whether any Ceiling/limit on the construction of multi storied building have been imposed in the region as referred to in part (a) above; if so, the details thereof ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल): श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य–

(क) जी हां, श्रीमान् जी

(ख) जी हां, श्रीमान् जी, विवरण निम्न प्रकार है: –

(1) राज्य सरकार ने 1992 में भूकम्प से निपटने हेतु कन्टैनजैन्सी ऐक्शन प्लॉन बनाया था जो राज्य के सभी उपायुक्तों को भेजा गया था।

(2) गुड़गांवा मण्डल के लिए आयुक्त गुड़गांवा मण्डल ने वर्ष 2001 में आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जिसमें भूकम्प शामिल है तथा उसे मण्डल के सभी उपायुक्तों को भेजा गया था।

(3) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार ने अप्रैल, 2007 में भूकम्प प्रबन्धन हेतु मार्गदर्शिका जारी की है। इस मार्गदर्शिका की एक प्रति सभी उपायुक्तों तथा विभिन्न विभागों को इस बारे कार्यवाही करने के लिए भेजी गई है।

(ग) जी हाँ श्रीमान् जी, प्रश्न के भाग (क) में यथानिर्दिष्ट क्षेत्र में बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर निम्नलिखित सीलिग/सीमाएं लगाई गई हैं:–

1. पालिका/अधिसूचित क्षेत्र में स्वीकार्य ऊंचाई इस प्रकार है:–

(1) प्लाटिड विकास में – 11 मीटर

(2) उद्योगिक क्षेत्र, आई०टी० उद्योग आदि – 30 मीटर

(3) शापिंग माल – 30 मीटर

(4) मल्टीप्लक्स – 21 मीटर

(5) रिहायशी मकान या खाली भूमि को व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित करने की नीति के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले भवनों की घनी आबादी वाले क्षेत्र में ऊंचाई 21 मीटर तथा अन्य शहरी इलाकों के लिए 30 मीटर है।

(5) बड़ी हुई पालिका सीमाओं के नियन्त्रित क्षेत्रों तथा सामूहिक आवास स्कीमों के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के नियम लागू होते हैं।

2. नगर निगम फरीदाबाद का क्षेत्रः –

(1) भवनों की स्वीकार्य ऊंचाई जहां कोई जोनिंग प्लान नहीं बनाई गई।

(क) भवन जहां गली की चौडाई 9 मीटर से अधिक है – 11 .5 मीटर

(ख) औद्योगिक भवन – 21 मीटर

(ग) व्यावसायिक तथा संस्थागत भवन की ऊंचाई रिहायशी भवनों के प्रावधानों अनुरूप है।

(2) भवनों की स्वीकार्य ऊंचाई जहां जोनिग प्लान बनाई गई है। (क) 60 मीटर बशर्ते उसके साथ सैटबैक उपलब्ध है। (3) वह भवन जो पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 के तहत मान्य हैं।

(क) रियाहशी भवनों के लिए अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई– 11 मीटर

(ख) सामान्य औद्योगिक भवन के लिए अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर है। सूचना प्रोद्यौगिकी उद्योग के भवन की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है।

(ग) व्यावसायिक तथा संस्थागत भवनों के मामले में भवन की अधिकतम ऊंचाई सीमा जोनिग प्लान के प्रावधानों के अनुसार होगी जोकि साथ लगती भवनों की सैटबैक/ सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करती है। फिर भी, ऊंचाई साथ लगती इमारतों की उपलब्ध सैटबैक अनुसार होगी। ऐसे भवनों कौ अधिकतम 60 मीटर ऊचाई तक अनुमति प्रदान की जा सकती है।

3. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के तहत नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र तथा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के अधीन शहरी क्षेत्र।

(1) रिहायशी, व्यावसायिक तथा अन्य भवनों की ऊंचाई 60 मीटर तक सीमित है। सीढ़ियों पर बनी ममटी, पानी की टंकी तथा दीवार/लोहे की रैलिंग तथा वास्तु सम्बन्धी आकृतियां 60 मीटर तक की ऊंचाई से ऊपर स्वीकार्य हैं।

(2) सूचना प्रोद्यौगिकी/साईबर पार्क की लैण्ड मार्क बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 75 मीटर टैरस लेवल तक मान्य है तथा वास्तु सम्बन्धी आकृतियों के लिए 75 मीटर से ऊपर 15 मीटर तक स्वीकार्य है।

4. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस. आई.आई.डीसी) की औद्योगिक सम्पदाओंः स्वीकार्य ऊंचाई निम्न प्रकार से हैः –

(1) सामान्य उद्योग भवन – 21 मीटर

(2) सूचना प्रोद्यौगिकी उद्योग – 30 मीटर

(3) टैक्नोलोजी पार्क – 60 मीटर

(4) टैक्नोलॉजी पार्क में लैण्ड मार्क बिल्डिंग – 75 मीटर के अतिरिक्त 15 मीटर वास्तुक सम्बन्धी आकृतियों के लिए।

5. विशेष आर्थिक जोन – नियम बनाए जा रहे हैं।

नोटः – भवनों का निर्माण तथा उपरोक्त ऊंचाई सीमा विभिन्न अधिनियम, नियमों और उप नियमों, जो भी लागू हों, के अधीन जारी अनुमति, स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्त से बाधित हैं।

To Check the Addiction to Intoxicants

***774. Dr. Sita Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the steps taken by the Govt. to check the increasing addiction to intoxicants amongst the youths in the State; and

(b) whether the crimes have increased in the State due to the increasing tendency of the intoxication ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) एवं (ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(1) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कई जागरूकता सेमीनार व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामूहिक तौर पर जागरूकता कैम्प व पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(3) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा छुड़वाने के 2० नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(4) इसी तरह स्वास्थ्य विभाग और पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक द्वारा भी जागरूकता सैमीनार आयोजित किए जा रहे हैं व नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) नशे के कारण अपराधों को बढ़ावा नहीं मिला है। वास्तव में इन कारणों से अपराध नहीं बढ़ा है।

Periphery Express Highway

***732. Shri Udai Bhan:** Will the Chief Minister be pleased to state the present position of Periphery Express Highway to be constructed for linking the sectors of Faridabad across canal which will link with National Highway No. 2 at village Kaily near the village Sikri together with the time by which it will be constructed ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): इस प्रकार के हाई–वे को बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Permission to Big Industrial Houses for Retail Business

***742. Dr. Sushil Indora:** Will the industries Minister be pleased to state -

(a) whether any permission for retail business has been granted by the Govt. to the big Industrial Houses of private sector in the state;

(b) if so, the names thereof together with the names of the cities in which they have set-up their sale centre so far in the State; and

(c) the amount/capital invested by them together with the number of employees working in each sale-centre separately ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमण दास अरोड़ा):

(क) व (ख) हरियाणा में खुदरा व्यापार के लिए सामान्य तौर पर कोइ स्वीकृति नहीं चाहिए परन्तु कृषि उत्पाद की बिक्री, खरीददारी, भण्डारण व प्रोसैसिंग के लिए खास तौर पर स्वीकृति लेनी होती है। पंजाब कृषि उत्पादन विपणन ऐक्ट, 1961 के धारा 10 के अन्तर्गत हरियाणा तक्ष विपणन बोर्ड ने निम्न कम्पनियों को कृषि उत्पाद की बिक्री, खरीददारी, भण्डारण व प्रोसैसिंग के लिए लाइसैंस जारी किया है –

क्र०	कम्पनी का नाम	कम्पनी ने जहाँ पर सेल सैंटर

		स्थापित किए हैं उन शहरों के नाम	
1	मै० रिलायंस लि०	फरीदाबाद	4
		यमुनानगर	3
		अम्बाला सिटी	2
		अम्बाला कैंट	1
		हिसार	1
		सोनीपत	1
		गुड़गांवा	1
2.	मै० सुभीक्षा	गुड़गांवा	10
		फरीदाबाद	9
		अम्बाला सिटी	2
		अम्बाला कैंट	2
		पंचकूला	2
		करनाल	1
		कुरुक्षेत्र	1

(ग) राशि/पूंजी निवेश और कर्मचारियों की संख्या केबारे में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सूचना प्रदान नहीं की जाती।

Sewerage System in Bhiwani

***749. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the Water Supply & Sanitation Minister be pleased to state whether it is a fact that the sewerage system of Bhiwani is not functioning properly; if so, the steps taken by the Govt. for proper functioning of the sewerage system ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): जी हाँ, श्रीमान्। भिवानी शहर में भूमिगत जल स्तर के बढ़ने के कारण चारों स्थानों नामतः जोगीवाला मंदिर, हांसी गेट के पास, दिनोद गेट राजधानी बुक शोप के पास तथा हालु गेट के पास सीवर क्षतिग्रस्त हुआ है। इस कारण मल निकासी प्रणाली पूर्णरूप से कार्य नहीं कर रही है। जोगीवाला मंदिर तथा हांसी गेट के पास अस्थाई तौर से पम्प लगाकर तथा समय–समय पर दिनोद गेट, राजधानी बुक शोप के पास तथा हालु गेट के पास आवश्यकतानुसार पम्पों द्वारा सीवर को संचालित किया गया है। क्षतिग्रस्त सीवर की मुरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है जो कि 31 .3. 2008 तक पूरा हो जायेगा। वर्ष 2007–08 के दौरान जिला भिवानी शहर की सीवर व्यवस्था में सुधार के लिए 94.84 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

Repair and Widening of roads

***757. Shri Naresh Yadav: Will the PWD (B&R)** Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair and widen the roads from Ateli to Bahror and Narnaul to Bahror upto Haryana Border; if so, the time by which these roads are likely to be repaired and widened ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): जी हाँ श्रीमान् जी। दोनों सड्कों पर कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी०एम०जी ०एस०वाई ०) फेज–7 के अन्तर्गत हाथ में लिया जा रहा है। इन सड्कों पर कार्य इसी वर्ष में आरम्भ कर दिये जाने का प्रस्ताव है और एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर दिए जाने की संभावना है।

IAS & IPS Officers Facing Enquiries

***729. Shri Tejender Pal Singh Mann:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the number of IAS & IPS officers facing enquiries for misappropriation and embezzlement of funds in the State;

(b) the number of officers referred to in part (a) above facing C.B.I. enquiries; and

(c) the latest status of the cases referrd to in part (a) and (b) above?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): महोदय, सूचना विधानसभा के पटल पर रखी जाती सूचना

(क) एक आई०ए०एस० अधिकारी – श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस०, एवं एक आई०पी०एस० अधिकारी – श्री रवि कुमार, आई०पी ०एस०य

(ख) एक आई०ए०एस० अधिकारी – श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस०य

(ग) फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003 – संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11. 2003 के अनुपालन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० के विरुद्ध पांच (05) नियमित केस दर्ज किए गए एवं प्रारम्भिक जांच की गई। दो मामलों में श्री संजीव कुमार, आई ०ए०एस० के विरुद्ध .आरोप सिद्ध नहीं हुए तथा राज्य सरकार द्वारा दोनों मामले फाईल कर दिए गए हैं। शेष तीन मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है तथा तीनों मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से रिपोर्ट्स अपेक्षित है।

श्री रवि कुमार, आई०पी ०एस० के विरुद्ध जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।

इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही जांचों का पूर्ण विवरण एवं अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है: –

श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस०.

श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० द्वारा उच्चतम न्यायलय में फौजदारी याचिका क्रमांक 937 2003 दायर की गई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित करने के आशय से राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध बेबुनियाद आरोपों के संदर्भ में राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा को जांच के आदेश दिए हैं। श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध भी गम्भीर आरोप लगाए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी संबंधित की दलीलों के सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिए कि श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० के विरुद्ध सभी जांचों/फौजदारी मुकदमों की जांच अब उस द्वारा की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० के विरुद्ध निम्न मुकदमें दर्ज किए गए हैं: –

1 प्रारम्भिक जांच क्रमांक 001(ए)/2004 /ए०सी०यू० IX, दिनांक 27.1 .2004 विजिलैंस जांच क्रमांक 31, दिनांक 10.8. 2001 चण्डीगढ़ के संदर्भ में दर्ज की गई, जिसमें श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० पर आरोप था कि उन द्वारा हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् के निदेशक परियोजना पद पर कार्य करते हुए 36 कर्मचारियों को अनियमित तरीके से नियुक्ति प्रदान की तथा परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचाई। केन्द्रीय अन्वेषण

ब्यूरो द्वारा जांच उपरांत श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० के विरुद्ध भारी दण्ड के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की गई तथापि श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० के विरुद्ध भारी दण्ड के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की गई। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियंत्रित विभागीय जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग से करवाई गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई जांच में श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के मद्देनजर मामला फाईल कर दिया है।

2. नियम जांच 1(ए)/2004/ ए०सी०यू० IX, दिनांक 27.1.2004 विजिलैंस जांच क्रमांक 10, दिनांक 3.4.2001 के संदर्भ में दर्ज की गई, जिसमें श्री संजीव कुमार, आई०ए०एस० पर आरोप था कि उन द्वारा सरकारी वाहन तथा मोबाईल फोन का दुरुपयोग किया गया। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जांच उपरांत एफ०आई ०आर० क्रमांक 293, दिनांक 20.6.2003 पुलिस स्टेशन सैक्टर– 17, चण्डीगढ़ में धारा भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 की धारा 13 (1) के अंतर्गत दर्ज करवाई गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003– संजीव कुमार बनाम हरियाणा एवं अन्य में दिनांक 25.11.2003 द्वारा दिए गए निर्देशों

के अनुपालना में इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई तथा जांच में श्री संजीव कुमार के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सक्षम अदालत में एफ० आई० आर० रह करने के लिए कैंसलेशन रिपोर्ट पेश कर दी गई है। राज्य सरकार ने मामला फाइल कर दिया है 1

3. प्रारम्भिक जांच क्रमांक 002/2004 /ए०सी ०यू ०. IX . सी ०बी ० आई ०, दिनांक 27.1. 2004 विजिलैंस जांच क्रमांक 38, दिनांक 20. 9. 2001 चण्डीगढु के संदर्भ में दर्ज की गई, जिसमें श्री संजीव कुमार, आई ०ए ०एस ० पर आरोप है कि उन द्वारा हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् कै निदेशक परियोजना के पद पर कार्य करते हुए विभिन्न वस्तुओं की खरीद में 56 लाख रुपये की अनियमितताएं की गई! उच्चतम न्यायालय द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003 – संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य में दिनांक 25. 11. 2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट अपेक्षित है।

4. प्रारम्भिक जांच क्रमांक 0003/2004/ ए०सी०यू०. IX, सी ०बी ० आई०, दिनांक 27. 1. 2004 विजिलैंस जांच क्रमांक 16, दिनांक 3. 9. 2002 चण्डीगढ़ के संदर्भ में दर्ज की गई, जिसमें श्री संजीव कुमार, आई ०ए ०एस ० पर आरोप है कि उन द्वारा अनियमित ढंग से अपनी आय के स्रोतों से अधिक सम्पत्ति एवं पूंजी अर्जित की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा फौजदारी

याचिका क्रमांक 93/ 2003 संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य में दिनांक 25. 11. 2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है त था केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट अपेक्षित है।

5. नियमित जांच क्रमांक 2 (ए) /2004 /ए०सी ०यू०. IX ,सी ०बी ० आई ० दिनांक 27. 1. 2004 विजिलैंस जांच क्रमांक 27, दिनांक 25. 10.2000 चण्डीगढ़ के संदर्भ में दर्ज की गई, जिसमें श्री संजीव कुमार, आई ०ए ० एस ० पर आरोप है कि उन द्वारा पुस्तकों की छपाई अधिक मूल्य में करवाई गई। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच उपरांत एफ ० आई ० आर ० क्रमांक 312, दिनांक 4. 6. 2002 पुलिस स्टेशन सैक्टर 17, चण्डीगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 की धारा 13 (1) (सी) (डी) दर्ज करवाई है। उच्चतम न्यायलय द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/ 2003 – संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य में दिनांक 25. 11. 2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है त था केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट अपेक्षित है।

श्री रवि कुमार, आई पी ०एस ०:

श्री रवि कुमार तथा अन्य के विरुद्ध एफ ० आई ० आर ० क्रमांक 242, दिनांक 24. 8. 2006 पुलिस स्टेशन बलदेव नगर, जिला अम्बाला में आई ० सी ०पी ० की धारा 4097

467/468/471/120 वी आई ० पी ०सी ० तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 की धारा 7/ 8/13 दर्ज है, जसकी जांच की जा रही है।

Sports Activities in Rural Areas

***761. Shri Sher Singh:** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether it is fact that sports activities are not being taken seriously in rural areas of the State; if so. the steps taken or proposed to be taken to promote sports in villages

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी): नहीं श्रीमान् जी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को गम्भीरता से लिया जा रहा है।

Construction of Roads by H.S.A.M.B.

***770. Shri K.L. Sharma:** Will the Agriculture Minister be pleased to state -

(a) the number of roads constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the Shahabad Constituency during the last two year i.e. 2005-06 and 2006-07; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government for carpeting the link road fromN.H. 73 to village Dau Majra, in Shahabad Constituency which is in very bad condition; if so, the time by which the above mentioned road is

likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा):

(क) श्रीमान् जी, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2005–06 व 2006–07 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आठ सड्कों का निर्माण किया गया। (ख) एन०एच० 73 से दाऊ माजरा तक सड़क की कारपेंटिंग/मरम्मत का कार्य 30.9. 2007 तक पूरा होने की सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Code of Conduct

83. Shri Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any Code of Conduct for the Ministers, Ministers of State, Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries in the State ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is any complaint with regard to violation of Code of Conduct by any one of those referred to in part (a) above ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) जी, हाँ (केवल मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के लिए)य

(ख) आचार संहिता की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती हैय (ग) जी, नहीं।

प्रति

संविधान के प्रावधानों के परिविक्षण के अतिरिक्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और फिलहाल लागू अन्य किसी कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को मंत्रीपद का कार्यभार संभालने से पूर्व, करेगा

(क) प्रधानमत्री या मुख्यमंत्री के समक्ष जैसा भी मामला है स्वयं की .और उसके परिवार की संपत्तियों, देनदारियों और व्यापारिक हितों का विस्तृत विवरण देगा। दिए जाने वाले विस्तृत विवरण में सभी अचल संपत्ति और (1) शेयर एवं डिबेन्चर (2), नकद व जेवरात की कुल अनुमानित कीमत शामिल होनी चाहिए।

(ख) मंत्री के पद पर नियुक्त होने से पूर्व उसे किसी व्यापारिक प्रबंधन स्वामित्व के सभी संबंधों से पृथक होना चाहिए जिसमें वह मंत्री पद ग्रहण करने से पहले संलग्न था।

(ग) व्यापारिक कारोबार, जो सम्बन्धित सरकारी या उस सरकार के उपक्रमों (सामान्य व्यापार और व्यवसाय और मानक या मार्केट दरों पर छोड्कर) जो समान और सेवाओं की आपूर्ति करता है या उसका व्यापारिक कारोबार मुख्यतः लाइसैंस, परमिट कोटा लीज आदि पर निर्भर है या सम्बन्धित सरकार से प्राप्त किया जाता है। उक्त व्यवसाय से उसे मुक्त होना होगा और प्रबन्धन से भी।

बशर्ते वह (ख) के सम्बन्ध में प्रबन्धन के कार्य और (ग) के सम्बन्ध में स्वामित्व या प्रबन्धन का कार्य अपनी पत्नी (या पति जैसा भी मामला हो) को छोड्कर प्रबन्धन का कार्य अपने परिवार के किसी प्रौढ़ सदस्य को या प्रौढ़ रिश्तेदार को हस्तांतरित कर सकता है। मंत्री पद पर नियुक्त होने से पहले उक्त व्यापारिक कारोबार का स्वामित्व या प्रबन्धन का कार्य उस द्वारा संचालित किया जाता था। यद्यपि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा भी मामला हो, को छोड्कर सार्वजनिक लिमिटिड कम्पनियों में शेयर रखने के सम्बन्ध में उसके स्वयँ कै हितों कौ अलग करने का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

2. मंत्री का कार्यभार सम्भालने के उपरान्त जितने भी समय तक वह मंत्री पद पर रहता है तो मंत्री को (क) 31 मार्च तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा भी मामला हो, को वार्षिक तौर पर अपनी सम्पत्तियों और देनदारियों की घोषणा करेगा ।

(ख) मंत्री द्वारा सरकार को कोई अचल सम्पत्ति बेचने या खरीदने से दूर रहना होगा, केवल ऐसी सम्पत्ति को छोड़कर जिसे सामान्य कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिगृहिंत किया जाना आवश्यक है।

(ग) मंत्री कोई व्यापार कारोबार शुरू करने या उसमें शामिल होने से दूर रहेगा।

(घ) मंत्री सुनिश्चित करे कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को सामान की आपूर्ति करने या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारिक कारोबार में भाग नहीं लेंगे और न ही कारोबार शुरू करेंगे (ट्रेड या व्यापार के सामान्य कार्यों की मानक या मार्केट दरों को छोड़कर) या उस सरकार से लाईसैंस, परमिट, कोटा, लीज इत्यादि प्रदान करने के लिए प्राथमिक तौर पर निर्भर नहीं है।

(ड) यदि उसके परिवार का कोई सदस्य कोई अन्य व्यापारिक प्रबन्धन के संचालन में शामिल होता है या कारोबार स्थापित करता है तो उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसी भी स्थिति हो, को देगा।

3.1 कोई भी मंत्री..

(क) व्यक्तिगत तौर पर या उसके परिवार के सदस्य के माध्यम से किसी भी कार्य, चाहे वह राजनैतिक, धर्मार्थ या अन्य हो, के लिए अंशदान नहीं लेगा। यदि पंजीकृत सोसाइटी या चौरीटेबल संस्था या सार्वजनिक ऑथोरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या राजनैतिक पार्टी के लिए कोई धन या चौक उसको भेंट किया जाता है तो वह उसे तुरन्त उस संगठन को भेजेगा जिसके लिए यह दिया जाता है और

(ख) स्वयं को पंजीकृत सोसायटी या चौरीटेबल संस्था या सार्वजनिक ऑथोरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था और (ii)

राजनैतिक पार्टी के लाभ को छोड्कर धन एकत्रित करने में लगेगा। बहरहाल वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अंशदान को उसके लिए नहीं बल्कि सोसाइटी या बॉडी या संस्थान या पार्टी के विशेष पदाधिकारी को भेजा जाए।

3.2 मंत्री, जिसमें केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री ओर अन्य राज्य सरकारों और केन्द्रीय टेरीट्रीज के मंत्री शामिल हैं, उनकी पत्नी 7 पति और उनके आश्रित विदेशी सरकार, भारत में विदेश या विदेशी संगठन में (वाणिज्यिक कारोबार समेत) में प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति के बिना रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे, जहां पर मंत्री की पत्नी या आश्रित पहले ऐसे रोजगार में हैं, तो उसके निर्णय कि रोजगार किया जाए या जारी नहीं रखा जाए के मामले की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जानी चाहिए। सामान्य नियमों के अनुसार विदेशी मिशन में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए।

4.1 मंत्री को चाहिए कि

(क) वह नजदीकी रिश्तेदारों को छोड्कर, अमूल्य गिफ्ट न लें और उसे या उसके परिवार के सदस्यों को किसी व्यक्ति, जिसके हाथ उसका सरकारी कार्यकलाप हो से, किसी भी कीमत पर गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए और

(ख) न ही उसके परिवार के सदस्य को उसको सरकारी कर्त्तव्य निभाने में उसे प्रभावित करने वाली प्रकृति के कार्य करने की अनुमति देंगे।

4.2 एक मंत्री तब उपहार प्राप्त कर सकता है, जब वह विदेश गया हो अथवा विदेश से कोई गणमान्य व्यक्ति, जो भारत आया हो। ऐसे उपहार दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में चिह्नित प्रकृति की सम्मानजनक तलवारें, परम्परागत पोशाकें इत्यादि उपहारों को शामिल किया जाता है जो प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी के उपहारों में ऐसे उपहारों को शामिल किया जाता है, चिह्नित प्रकृति के नहीं होते। यदि इस उपहार का मूल्य 5000 रुपये से कम है तो इसे मंत्री द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि उपहार के अनुमानित मूल्य के बारे में कोई शंका हो तो ऐसे मामले में उस उपहार को मूल्यांकन के लिए तोशाखाना में भेज दिया जाना चाहिए। यदि मूल्यांकन के पश्चात उपहार का मूल्य 5000 रुपये की निर्धारित सीमा के भीतर पाया जाता है तो इस उपहार को मंत्री को वापिस भेज दिया जाएगा।

यदि उपहार का मूल्य 5000 से अधिक होता है तो प्राप्तकर्ता को इसे तोशाखाना के मूल्यांकित मूल्य तथा 5000 रुपये की राशि के बीच के अन्तर के मूल्य की अदायगी द्वारा इस उपहार को खरीदने का अवसर प्रदान किया जाता है। तोशाखाना से खरीदे गए घरेलू वस्तुओं के उपहार जैसे कि गलीचा, चित्रकारी तथा फर्नीचर इत्यादि जिनका मूल्य 5000 रुपये से अधिक है, को राज्य की सम्पदा के रूप में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री अथवा राजभवन में रखा जाएगा। (टिप्पणी – उपहार का मूल्य से तात्पर्य इसका देश मे, अनुमानित विपणन मूल्य से है)

4.3 किसी संगठन द्वारा मंत्री या मंत्री के बराबर दर्जा रखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने के मामले में निम्नलिखित नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(अ) संगठन द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्रः –

(ब) यदि संगठन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के प्रमाण–पत्र असंदिग्ध हैं तो ऐसे पुरस्कार स्वीकार्य हैं। परन्तु इसकी नकद राशि स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

(स) यदि मंत्री के पद का कार्यभार संभालने से पूर्व व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य संबंधी कोई पुरस्कार है तो, ऐसे पुरस्कार स्वीकार्य होंगे। परन्तु विशेष मामले प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पास अनुमोदनार्थ भेजे जाने चाहिए। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी, तथा (ड) ऐसे मामलो में जहां मंत्री किसी ऐसे संगठन से, जो किसी विदेशी एजेन्सियों अथवा संगठनों से सम्बन्धित हैं, से पुरस्कार प्राप्त करता है तो, ऐसे मंत्री के बराबर दर्जा रखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

4.4 मंत्री को, विदेशों अथवा भारत में विदेशी मिशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा किसी भी संस्थान या संगठन के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसका भारत भी एक सदस्य है, की सदस्यता प्राप्त करने जैसे मामलों में प्रधानमंत्री द्वारा

समय–समय पर दिए जाने वाले निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।

5. एक मंत्री को चाहिएः –

5.1 सरकारी दौरे के दौरान, व्यवहार्य विश्राम, चाहे यह उससे सम्बन्धित किसी आवास पर हों, अथवा सरकारी, सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकायो अथवा संस्थानों या होटलों द्वारा प्रबंधित किया गया हो, तथा

5.2 उसके सम्मान में दी जाने वाली भव्य पार्टियों में उपस्थिति से बचें।

6. केन्द्रीय मंत्रियों के मामलों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री तथा राज्य मंत्रियों के मामले में मुख्यमंत्री को आचार संहिता के प्रवेक्षण को सुनिश्चित करने का अधिकार होगा। उपरोक्त प्राधिकारी प्रत्येक मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे।

इस संहिता के अन्तर्गत मंत्री के परिवार, जिसमें उसकी पत्नी (अथवा पति जैसा भी मामला हो, को विधिक रूप से उससे पृथक नहीं समझा जाएगा), छोटे बच्चे तथा उसके नजदीकी रिश्तेदार चाहे वह शादीशुदा हो तथा मंत्री के आश्रितों को भी शामिल किया जाएगा।

Re-installation of Electric Meters outside the Premises

84. Shri Karan Singh Dalal: Will the Power Minister be pleased to state -

(a) whether the electric meters of all the consumers of the area being feeded by the P & T feeder in Gurgaon have been re-installed outside their premises ;

(b) if so, the average load on the feeder as referred to in part(a) above before re-installation of the meters ;

(c) the average load on the feedr as referred to in part(a) above after the re-installation of meters ; and

(d) whether the average load as referred to in part(c) above is less than the average load as referred to in part (b) above; if so, the reasons thereof alongwith the action taken in this regard ?

बिजली मंत्री (रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) हां श्रीमान गुड़गांव में पी एण्ड टी फीडर से बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके परिसरों से हटाकर बाहर पुनः स्थापित कर दिए गए हैं।

(ख) पी एण्ड टी फीडर पर उन मीटरों को परिसरों से बाहर पुनः स्थापित करने से पहले औसतन भार 80 एम्पीयर था।

(ग) पी एण्ड टी फीडरों पर इन मीटरों को परिसरों से बाहर पुनः स्थापित करने के बाद औसतन भार 90 एम्पीयर है।

(घ) उपरोक्त भाग (सी) में यथानिर्दिष्ट औसतन भार उपरोक्त भाग (बी) में यथानिर्दिष्ट औसतन भार से कम नहीं है।

Cracks in the Homes of Palwal City

87. Shri Karan Singh Dalal: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state —

(a) whether it is fact that dangerous cracks have developed in the houses of Mohalla Thai, Kaziwara and Kanungo of Palwal City Distt. Faridabad ;

(b) if so, the reasons thereof together with the steps taken or being taken to check such damages / cracks in future ; and

(c) whether any action has been taken against Municipal or Public Health authorities; if so, details thereof ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) जी हाँ श्रीमान्।

(ख) यह दरारें मिट्टी की कमजोर भारवहन क्षमता के कारण आई हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु नगर परिषद पलवल ने स्थानीय लोगों को नये मकान बनाने की स्थिति में मकानों की आधारशिला उचित रूप से रखने का परामर्श दिया है., क्योंकि मिट्टी की भारवहन क्षमता केवल 0.5 किलोग्रामावर्ग सै०मी० है।

(ग) जी, नहीं, श्रीमान्।

To Notify Palwal Block as Critical Area for Extraction of Ground Water

88. Shri Karan Singh Dalal: Will the Agriculture Minister be pleased to state -

(a) whether the Govt. intends to notify the Palwal Block as critical area for Extraction of ground water resources to avoid further depletion and deterioration in its quality in near future; and

(b) if so, the time by which it is likely to be notified ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा):

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य में बिजली की कमी के कारण भारी समस्या सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, **I** have received a Calling Attention motion No. 4 from Dr. Sushil Indora, M.L.A. regarding great difficulty due to shortage of power in the State. I admit it. Dr. Sita Ram, who and one other M.L.A. have also given notice on similar subject is permitted to ask a question. Dr. Sushil Indora, M.L.A. may read his notice.

(As Dr. Sushil Indora was not present in the House, the notice was not read out.)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ कि मैने आपके समक्ष सड्कों के बारे में स्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर सड्कों की हालत बहुत ही खराब है और तकरीबन 70–80 के करीब लड़के मारे गए हैं। इस बारे में आपने क्या निर्णय लिया है।

हरियाणा को नं० 1 पर लाने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ दिलाना चाहूँगा। यह खबर इस प्रदेश के अढ़ाई करोड़ लोगों के लिए फख्र की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कों एक निष्पक्ष एजैंसी मोनिटर करती है जिसका नाम सैंटर फॉर मोनिटरिंग ऑफ इंडियन एकौमी (सी०एम० आई०ई०) है। अध्यक्ष महोदय, इस एजैंसी की एक लेटैस्ट रिपोर्ट आई है जो कि आज के इंडियन एक्सप्रैस अखबार में 11 नम्बर पेज पर छपी है। इस रिपोर्ट में हरियाणा को दोबारा से '' हरियाणा हरिकेन '' का दर्जा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप सभी को याद होगा जब क्रिकेटर कपिल देव चौके–छक्के मारता था तो उसको हरियाणा का हरिकेन कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, आज जिस किस्म की नई हरियाणा औद्योगिक क्रान्ति का

सूत्रपात हुआ है इस बारे में मैं कुछ तथ्य सदन में रखना चाहता हूँ जो कि सी०एम० आई०ई० की रिपोर्ट में आए हैं। आज हरियाणा को चौधरी भूपेन्द्र 'सिंह' हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा से हरियाणा हरिकेन का दर्जा एक निष्पक्ष एजैंसी के द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सी०एम०आई०ई० की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 के मुकाबले 2007 में हरियाणा पर–कैपिटा इजैस्टमैंट में हिन्दुस्तान में नम्बर– 1 पर है। अध्यक्ष महोदय, इन्वेंस्टमैंट मैं 18 हजार 5 सौ करोड़ के हिसाब से 856 प्रतिशत की ग्रोथ हुई हें। अध्यक्ष महोदय, 10 साल पहले इन्वैस्टमैंट के मामले में हरियाणा 14वें नम्बर पर था, 5 साल पहले 13वे नम्बर पर था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की इस सरकार के अढ़ाई साल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद आज हमें इस बात का फख्र है कि एक निष्पक्ष एजैंसी के अनुसार आज इन्वैस्टमैंट के मामले में हरियाणा नम्बर 1 पर है। उस एजैंसी के अनुसार आज हरियाणा में जो कुल निवेश किया जा रहा है उसकी फिगर 1 लाख 86 हजार 45 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मात्र पिछले दो सालों में 28 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट लागू किए गए हैं और 60 हजार करोड़ रुपये का निवेष इस समय पाईप लाईन के अन्दर है, जिसका क्रियान्वयन इस समय जारी है। अध्यक्ष महोदय, जो विशेष आर्थिक जीन में प्रोजैक्ट आएंगे और जो वहां निवेश किया जाएगा वह 2 लाख करोड़ रुपये के करीब अनुमानित है। यह उसके अलावा है। 28

हजार करोड़ रुपये जमीन पर आ चुके हैं, 60 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट इस समय लागू हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हरियाणा प्रदेश के अन्दर और आने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा कि 2005–06 में पहली बार निवेश जो हम विदेशों में भेजते हैं वह 25 हजार करोड़ रुपये का था और 2006–07 में यह बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आने वाले दिनों में इसमें इजाफा ही हो रहा है। यह सब हमारी सुदृढ़ अर्थ–व्यवस्था की प्रणाली की वजह से है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, अढ़ाई साल से पहले इस प्रान्त में एक ऐसी भी सरकार थी, जिसके राज में उद्योगपतियों ने उनकी टर्न ओवर के आधार पर पैसा वसूला जाता था, जिसके राज में उद्योगपति यहाँ से पलायन कर गए थे, जिसके राज में छोटे–छोटे दुकानदार. छोटे व्यवसायी, छोटे उद्योगपति या बडे–बड़े उद्योग यहाँ पर आने से गुरेज करते थे। ऐसा इसलिए होता था कि जो भै। इन्वैस्टमैंट वे लेकर आते थे उनकी टर्म ओवर के आधार पर सरकारी संरक्षण के तौर पर उनसे पैसा वसूला जाता था। अध्यक्ष महोदय, पिछले अढ़ाई साल में एक इन्वैस्टर फ्रैंडली क्लाइमेट चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने पैदा किया है। ऐसा क्लाईमेट आज की सरकार से पहले कभी किसी सरकार ने नहीं पैदा किया। अध्यक्ष

महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी इन्वैस्टमैंट इस सरकार ने इन अढ़ाई सालों में की है वह 1966 के बाद से कभी किसी सरकार ने नहीं की है। इसके साथ–साथ मैन पावर को ट्रेड करने के लिए टेक्नीकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमारे उद्योगों के लिए है, वह है लॉ एण्ड आर्डर की और मैं ली एण्ड आर्डर एजेंसीज को इस बात के लिए मुबारिकवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था का प्रान्त में माहौल पैदा किया है, बेहतर सुरक्षा का माहौल पैदा किया है, जिसके कारण आज व्यापारी, दुकानदार, व्यवसायी, किसान और आम आदमी सब के सब अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके पड़ौस में यूपी. है वहाँ कानून व्यवस्था की एक विशेष परिस्थिति है उसके बारे में हम सब जानते ही हैं 1 दिल्ली की भी इन्वैस्टमैंट अट्रैक्ट करने की अपनी एक सीमा है, इसी तरह से पंजाब का भी इन्वैस्टमैंट अट्रैक्ट करने का अपना तरीका है। इस तरह से पूरे हिन्दुस्तान में सारे माहौल को देखते हुए आपका प्रान्त इन्वैस्टमैंट डैस्टीनेशन के तौर पर उभरा है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। एक ऐसा प्रान्त जो दस साल पहले कभी हिन्दुस्तान में. 14वें नम्बर पर होता था, एक ऐसा प्रान्त जो पांच साल पहले हिन्दुस्तान में 13वें नम्बर पर होता था वह अढाई साल में ही पहले नम्बर पर आ गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर एक ऐसी सरकार आयी जिसने श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से तथा

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अढाई साल में ही इस प्रान्त को 14वें नम्बर पर से उठाकर पहले नम्बर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक नई औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब आज हम चर्चा करते हैं खेती की समस्याओं की, नौजवान लोगों की बेरोजगारी की समस्या की तो मुझे लगता है कि यह सदन भी इस बात से सहमत होगा कि यही एक रास्ता है उन सारे बेरोजगारों को रोजगार देने का क्योंकि सभी लोगों कै। सरकारी नौकरी कैं अंदर समायोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह एक पहल की है और कांग्रेस की इस सरकार ने हरियाणा को हरियाणा हरिकेन का दर्जा दिलवाया है। आज यह बात मैं नहीं कहता और न ही यह बात आज हमारी पार्टी के सदस्य कहते हैं, बल्कि जो निष्पक्ष एजेंसीज हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का निष्पक्ष सर्वेक्षण करती हैं और जो देश के प्रमुख समाचार पत्र हैं वे यह बात कहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबके लिए अढाई करोड़ लोगों के लिए यह फख्र की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा कि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और इसलिए ही आपकी अनुमति लेकर मैंने यह बात सदन को बताना जरूरी समझा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि यह बात पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात

है। मैं बताना चाहूँगा कि जो लक्ष्य है, उसके हम बहुत नजदीक पहुँच रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि दो लाख करोड़ रुपयों की इन्वैस्टमैंट लाकर तीस लाख लोगों को रोजगार देना। इसी सन्दर्भ में जिस तरह से आज इडस्ट्रीलाईजेशन हो रहा है, वह बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार बनने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, टैक्नीकल कॉलेज और जो दूसरी इस किस्म की संस्थाएं हैं जो टैक्नीकल ऐजुकेशन देती हैं उनकी पहले कुल 23 हजार सीट्स ही थीं लेकिन अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दो साल के अन्दर ही हमने यह 23 हजार सीट्स से बढ़ाकर यह हजार सीट्स कर दी हैं, ताकि हमारे बच्चों को टैक्नीकल ऐजुकेशन मिल सके।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य में पीने के पानी की भारी कमी संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion No. 5 from Dr. Sita Ram and one other M.L.A. regarding acute shortage of drinking water in the State. I admit it. Dr. Sita Ram M.L.A. may reaThis notice.

(As Dr. Sita Ram, M.L.A. was not present in the House, the notice was not read out.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जैसी कि पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस भी है इंडियन नेशनल लोकदल के साथियों ने डॉ० सीताराम और उनके साथी डॉक्टर इन्दौरा जी ने जो कि

उनकी पार्टी के उपनेता भी हैं, उन्होंने पीने के पानी का शर्टिज को लेकर एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था. परन्तु इस प्रान्त का दुर्भाग्य है कि यहां ऐसे लोग निर्वाचित होकर आ गए कि वे पहले नोटिस देते हैं और फिर जब उन पर चर्चा का समय आता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। संसदीय प्रणाली के अंदर कल भी यह हुआ। कल भी हमने बार–बार कहा कि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठायें और हम उन सवालों का जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने भी हमेशा की तरह ही फ्राखदिली दिखाई और आपने कहा कि जो विषय आप सदन में उठाना चाहते हैं, उठाइए। आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा ताकि सरकार अपना पक्ष रख सके और विपक्ष अपना पक्ष रख सके। प्रजातांत्रिक प्रणाली तभी चलेगी जब दोनों पहिए संसदीय प्रणाली में कि ढंग से काम करेंगे। यह बड़े दुर्भाग्य फी बात है कि पहले भी उन्होंने कालिंग अप्टैंशन मोशन दिया था और आपने उसे ऐडमिट कर दिया और उस पर सरकार तैयार होकर आई थी। बिजली के विषय पर भी उनका एक कालिंग अटैंशन मोशन था और एक उनका पीने के पानी के बारे में था। हम दोनों विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं व एक–एक आकडे से जवाब देने के लिए तैयार हैं और जहां कहीं आपको लगे कि हमारी गलती है तो हमें इस बात के लिए दुरुस्त करें, हम उसमें सुधार करेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष के साथियों ने यह सब सोची–समझी राजनीति से कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सरकार की नीतियां

पारदर्शी हैं, इसलिए वे सदन छोड़कर भाग गए। It is highly condemnable act. It is a disrespect to the House that they are showing as also to the entire parliamentary practices and this is an act that should be condemned.

श्री कर्ण सिंह दलालः माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, मैं भी जीरो ऑवर में यही बात प्रस्तुत करना चाहता था कि जो हमारे विधानसभा के रूल्ज हैं। रूल्स ऑफ प्रौसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दि हरियाण लेजिस्लेटिव असैंबली है। स्पीकर सर, आपने कल इतनी उदारता दिखाते हुए ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी के सदस्यों को कहा कि जब समय आएगा तब आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप पूरी मर्यादा से सदन की कार्यवाही का निर्वहन कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करके चले गए। यदि सभी माननीय सदस्य इस बात को ठीक समझें तो अब वक्त आ गया है कि सदन के अंदर इस मामले में कोई न कोई नियम बनने चाहिएं कि जो लोग अपनी मर्जी से सदन में जब मर्जी आकर अपनी राजनीति की बात कहकर चले जाते हैं और जनहित के कार्यों में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आज देश के अंदर अखबारों में भी इस तरह के लेख आते हैं और देश के कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इस बारे में कमेंट्स दिये हैं कि ऐसे लोगों को टी०ए०, डी०ए० से वंचित करना चाहिए। जो सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं उनके बारे में आप अध्यक्ष महोदय, सदन की एक कमेटी बनाएं या जो रूल्ज कमेटी है, या हमारी जो अदर बिजनेस

की कमेटी हैं वह यह देखें कि किस तरीके से किस सदस्य ने सदन के अंदर व्यवहार किया है और अगर वे जान–बूझकर सदन की कार्यवाही को छोड्कर जा रहे हैं तो इस बारे में सदन में कोई न कोई नये नियम बनने चाहिएं। ऐसे नियमों की आज जरूरत है। प्रदेश की जनता यह उम्मीद करती है कि विपक्ष के साथी सरकार की कार्यवाही में हिस्सा लेकर यदि सरकार की कोई गली है तो उनका उल्लेख करेंगे और सरकार उन कमियों को नजर डालकर अपने कामों में बदलाव लाएगी। मैं पिछले 17 वर्षों से इस सदन का सदस्य रहता चला आ रहा हूँ। विपक्ष के साथियों ने जो रवैया इस सदन में दिखाया है। मैंने इससे पूर्व ऐसा रवैया नहीं देखा है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई न कोई नये तरीके अपनाएं। रूल्ज में अब बदलाव की जरूरत है ताकि इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों पर नकेल कसी जा सके और प्रदेश के लोगों को पता चल सके कि इन लोगों की सही नीयत क्या है?

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर सर, अभी जो कालिंग अटैंशन मोशन डॉक्टर सीता राम और डॉक्टर इन्दौरा जी ने दिया था जो सदन में उपस्थित नहीं हैं। बिजली का जहां तक सवाल है, स्टेट में बिजली की पोजीशन असलियत में बहुत खतरनाक हैं। बिजली आती बहुत कम है, जाती अक्सर है और यहो वजह है किं बहुत से गावों के लोग यह सोच रहै हैं कि बिजली कं बिल दें कि न दें। यह बात मैं इसलिए सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ क्योंकि सरकार को कई बार कई बातों का पता नहीं चलता

क्योंकि उनको तो अच्छी–अच्छी बातों का ही पता होता है।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना क्योंकि यह कालिंग अटैंशन मोशन सदन में मूव ही नहीं हुआ तो इस पर डिसक्शन किस बात की हो सकती है?

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is —

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule **16.**

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is -

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the Table of the House:

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table:-

The annual Report -- 2006-07 (1.4.2006 to 31.03.2007) of Lokayukta, Haryana, as required under section 17(4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.

The 7th Annual Report of the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2005-06, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act 1956.

The annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the year 2005-2006, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2004-2005, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

विधानसभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Hon ale Members, now Shri Shamsher Singh Surjewala, M.L.A., Chairperson, Committee on Public Accounts, will present the Sixty First Report of the Committee on Public Accounts for the year 2007-2008 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2002 (Civil).

Shri Shamsher Singh Surjewala: (Chairperson, Committee on Public Accouts): Sir, I beg to present the Sixty First Report of the Committee on Public Accounts for the year 2007-2008 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2002 (Civil).

विधान कार्य

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Appropriatior (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): स्पीकर सर, इस बिल से पहले जो मुद्दा अभी आया है उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। बिजली का मामला बहुत गम्भीर मामला है, जिसके लिए कालिंग अटैंशन मोशन भी दिया गया था। मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि लोग जानते भी हैं कि गाँवों में बिजली बहुत कम आती है। बिजली की बड़ी भारी कमी है इसकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो स्टेट कैं हालात बहुत खराब हो जायेंगे क्योंकि बिजली से ही सारे का सारा काम चलता है इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पिछले दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहा था कि मैंने बिजली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लाईन लौसिज और चोरी रोकी है। अगर लाईन लौसिज और चोरी गेक दी जाये तो बिजली की पूर्ति

को पूरा कर सकते हैं। इस पर सरकार को बहुत ईमीजियेट अटैंशन देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं पानी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि पानी की बहुत भारी समस्या है। पानी के बारे में मैने सवाल भै। लगाया था और हमेशा लगाता हूँ। मेरे हफ्ते कैं डाटा और मसूदपुर गाँवों में पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की बहुत कमी है। कई बार तो पीने का पानी दो–दो दिन तक नहीं आता। कई बार मैं मंत्री जी से बात भी करता हूँ तब मंत्री जी अपने अधिकारियों को बोलते भी हैं लेकिन हमारे उन गाँवों में पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो रहा है। (विघन)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्याइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि मसूदपुर गाँव को पहले डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम से पानी मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद मसूदपुर गाँव को भाखड़ा से जोड दिया गया है। पहले मसूदपुर गाँव को 32 दिन में 8 दिन सिंचाई के लिए पानी मिलता था और अब भाखड़ा से जोड्ने के बाद 32 दिन में 16 दिन पानी मिलता है। वहां पर percentage of irrigation 90% है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर अब सिंचाई के पानी की कोई कमी नहीं है। बरसात न होने के कारण और किसानों द्वारा फूटफुल फसल बीजने के कारण बीच में कुछ दिन पानी की कमी हो गई होगी लेकिन वैसे वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। वहाँ 90 प्रतिशत भूमि सिंचित होती है। मेरे

पास पटवारी ने जो गिरदावरी दी है, उसके आकड़े हैं। मैं रिकार्ड देखकर बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे लेकिन ये जो सही बात है उसको सही बोलें। शायद मेरे माननीय साथी डब्ल्यू०जे०सी० और भाखड़ा दोनों जगहों से मसूदपुर गाँव को जुडवाना चाहते है but it cannot be connected from both sides.

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी और बिजली दोनों की आज प्रदेश में बहुत कमी है। जो फसल आज लगी हुई हैं वे तो किसानों के डीजल खर्च करके सिंचाई की हैं और अच्छी फसल ले रहे हैं। अगर मंत्री जी को उसमें भी कोई एतराज है तो बेचारे फसल भी बीणा छोड़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मसूदपुर गाँव को भाखड़ा से जोड़ा गया है लेकिन जो माईनर भाखड़ा से बनाया गया है उसका लैवल ठीक नहीं है जिसके कारण पानी नहीं आता। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और उसको चौक करवायें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, उसके लैवल को हम चौक करवा लेंगे। यदि उसमें कोई कमी होगी तो उसको ठीक करवा दिया जायेगा। लेकिन वहां पानी की कोई कमी नहीं है। पहले जहां 32 दिन में 8 दिन पानी दिया जाता था अब वहां पर 32 दिन में 16 दिन पानी दिया जाता है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, अब मैं लॉ एण्ड आर्डर के बारे में बात करना चाहूँगा कि प्रदेश मे आज के दिन लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। यह तो मैं मानता हूँ कि पिछली सरकार वाली जंगल राज जैसी स्थिति तो अब नहीं क्ष। उस समय तो प्रदेश में बहुत अराजकता पैदा हो गई थी और गुण्डा राज प्रदेश में हो गया था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में अब भी लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने की गुंजाइश है। बरवाला का रहने वाला तस्वीर चोपड़ा का लड़का अढ़ाई साल पहले गुम हौ गया था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला है। यह बात मैंने पहले भी उठाई थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। हांसी में दो व्यापारियों को मार दिया गया लेकिन उनको मारने वालों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मौजूदा सरकार लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को सुधारने की तरफ ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक करप्शन की बात है, करप्शन को दूर करने की तरफ इस सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं है। अगर सरकार करप्शन की तरफ थोड़ा– सा सीरियस होती तो करप्शन करने वाले जो लोग आज राज की लड़ाई लड़ रहे हैं वे सारे जेलों में होते। उन लोगों की करोड़ों अरबों रुपये की जायदाद हर शहर और विदेशों में भी है। उनके चहेते अधिकारी भी काच्चे काट रहे हैं। अगर उनकी तरफ थोड़ा–सा ध्यान दिया जाता तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि हुड्डा साहब आप इस तरफ ध्यान दें। उन्होंने मुझे कहा कि गौतम भाई

सीबीआइ. जांच कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई. कब तक जांच करेगी। अढ़ाई साल तक तो उन लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ है। लोगों को हुड्डा साहब से बहुत उम्मीदें थीं। भजन लाल की तो उनके साथ सैटिंग है लेकिन पता नहीं हुड्डा साहब किस बात से घबरा रहे हैं ? पता नहीं क्या बतला लिये वा ज्यादा शरीफ हैं। हुड्डा साहब से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं लेकिन वे जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार के सैशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री जी ने एग्री किया था कि नारनौंद में हुड्डा का एक छोटा–सा सैक्टर बनवा देंगे लेकिन अब की बार पूरी तरह से मना कर दिया। हमने क्या ले लिया। गलती से अगर हल्के के लोगों ने मुझे एम.एल.ए. बना भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया। न हमारे यहां सड़कें बन रही हैं, न कालेज बन रहे हैं और न ही आईटीआई. बन रही हैं। जितनी बार भी मैं मांग लेकर गया उतनी बार मना कर चुके हैं।

श्री अध्यक्षः कोई ट्रांसफर तो हो जाती होगी।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर का क्या कहना है एक आध कर दिया होगा। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेट बात है वह मैं इस सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए। कल भी मैंने थोड़ा–सा जिक्र किया था। आपकी ही कांग्रेस सरकार में जिसमें उस समय

जो लोग थे उनमें से कुछ आज भी मंत्री हैं और पहले भी मंत्री थे। मिसाल के तौर पर चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी। उस समय असली बैकवर्ड भाइयों का ही गला काटा गया था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने क्लास 1 और 2 में जो नौकरियाँ थी, उनमें उन बेचारों को हक दिया ही नहीं गया था और उसमें जिस तरह हम अपने घर में किसी खोर में थोड़ा–सा दाना गेर दें और उसमें खागड झोटे छोड़ दें तो बेचारी कटडियाँ और बछडियाँ उसमें चरेगे या मरेगी। इसी प्रकार जो 10 परसैंट बैकवर्ड वर्ग की पोस्टें थीं उसमें चौधरी भजन लाल ने खागड झोटे छोड़ दिए। यह बताइये कि यादव भाई क्या बैकवर्ड हैं कोई यादव भाई बुरा न माने। यादवों में और हमारे में क्या फर्क है? हम तो बैकवर्ड हो सकते हैं लेकिन ये तो मार्शल कौम है, राज–काज की मालिक है। जो पांच–छ एम०एल०ए० बनाएं। ये गुर्जर भाई। चार गुर्जर तो अभी यहां बैठे हैं। ये गुर्जर भाई भी उसी 10 परसैंट में ही डाल दिये चरने के लिए। ये 10 परसैंट पोस्टें इनमें से एक भी जो असली बैकवर्ड भाई है उनके हिस्से तो आनी ही नहीं थी। अगर इनको भी बैकवर्ड में रखना था तो न्यारा खाना बनाते। जैसे 16–11 का बनाया हुआ है। हम बहुत खुश होंगे लेकिन कम से कम इस 10 परसैंट में से तो इनको निकालो। वे जो असली बैकवर्ड हैं जिनके पास न जमीन है, न जायदाद है, कुछ भी नहीं है, ऐसा करके उनके हितों के साथ बड़ा भारी कुठाराघात किया गया है। स्पीकर सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था और मैंने रियल बैकवर्ड की डैफीनेशन भी दी थी। वे कहने लगे कि बैकवर्ड जाति

निकालें कैसे। मैंने कहा, बड़ा सरल तरीका है। आपने दो खाने बनाये हैं। एक खाना सोशली बैकवर्ड का और दूसरा खाना एजूकेशनली बैकवर्ड का। मैंने कहा इनको निकालने का सरल तरीका है। इसमें दो खाने और जोड़ो पॉलीटिकली और इकोनोमिकली बैकवर्ड के। जो कौम पॉलीटिकली और इकोनोमिकली भी कमजोर है केवल वही बैकवर्ड मानी जाये। केवल जो नाई, तेली, धोबी और छिप्पी हैं, वे ही ओरीजनल बैकवर्ड हैं। वे ही रीयल बैकवर्ड हैं। केवल उन्हीं के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। वे बेचारे न एम०एल०ए० बन सकते हैं, न उनके पास कोई जमीन है, न ही कोई जायदाद है और न ही कोई कारोबार वगैरह है, कुछ भी नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ सरकार से आग्रह भी करता हूँ और सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि वे बेचारे आज नाराज हैं वे उससे पहले भी नाराज थे कभी यह सोचते हों कि आज यह बहुत बड़ी हवा या आंधी चल रही है। आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो हम चुप–चाप अपने घरों में बैठे हैं जिस दिन हम उनकी सारी स्थिति बताने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वे कहां से आये और कहां चले गये। मैं यह समझता हूँ कि खास तौर से जो गरीब वर्ग है वह कांग्रेस पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी रहे हैं। चाहे एस०सी ० वर्ग के भाई हों चाहे बी०सी० वर्ग के भाई हों और इसके अलावा भी जो गरीब लोग हैं कांग्रेस के लिए वे बेचारे मन्नते मांगते हैं जब गलती से चौटाला जी जैसे आदमी का राज आ जाता है हमारी बेवकूफियों की वजह से, समझौता गलत कर

लेते हैं और उसके बाद चोट भी खा जाते हैं। समझौते के बीच में ही हमारे सारे कैंडीडेट हरा दिये। ऐसा बर्ताव किया जैसा अलाऊद्दीन खिलजी ने जलालूद्दीन खिलजी के साथ किया था। चौटाला साहब तो बड़े मुगलीय प्रवृत्ति के आदमी हैं। अब वे बैठे हुए तो हैं नहीं उनकी गैर हाजरी में क्या कहू लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुये हैं इसलिए कोई न कोई तो उनको बता ही देगा। दोस्ती करके दोस्त की कमर में छुरा घौंपना तो उनकी आदत है। जो लोग उनके दोस्त बने उनके तो समझो बच्चे बर्बाद होंगे ही होंगे। यह तो अच्छा रहा स्पीकर साहब कि आप भी समय रहते उनको छोड़ कर आ गये। जब–जब हमारी गलियों की वजह से उनका राज आता है। हमारी गलियों की वजह से इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ समझौता किया था समझौता करके पहले तो इलैक्शन में मुखालफत करके हम सबको हरवाया करते थे। वे कहते थे कि इस बी०जे०पी० वाली चीज को तो ऐसी खो दूंगा कि यह दोबारा नहीं उगेगी।

11.00 बजे

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, ये अपनी पार्टी के लीडर हैं इनसे आगे के लिये तो पूछ लो कि अब की बार तो चौटाला से समझौता नहीं करोगे?

श्री अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर समझौता हुआ तो उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अब की बार इनको टिकट ही नहीं मिलेगा।

श्री राम कुमार गौतमः गुप्ता जी, मेरी बात छोड़ो आप अपनी टिकट तो पक्की कर लेना कभी आपको ही ना मिले।

श्री मांगे राम गुप्ताः गौतम साहब, मैंने कभी भी पार्टी नहीं बदली और एक ही हल्के से 7 बार इलैक्शन लगातार लड़ चुका हूँ।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, चौटाला बहुत जुल्म किया करता था। उस आदमी का एक ही लक था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने, अरबपति, खरबपति बने। रावण की तरह अम्बर में पैड़ी लगाना चाहता था। उसको तो भगवान ने कुछ सौदा तो बनाया नहीं लेकिन उस आदमी के हौंसले बहुत बुलन्द थे। वह चाहता था कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अग्रणी रहे। उसने तरीका भी क्या ढूंढा, हमारे साथ समझौता करके एक बार पॉवर ले ली और पॉवर लेने के बाद उसका इरादा यह था कि वह ही सी०एम० रहे। वह यहाँ हाऊस में भी घोषणा किया करता था कि जब तक सृष्टि रहेगी सी०एम० तो मैं ही रहूँगा। उसके दिमाग में एक बात थी कि ये जौ जाट हैं यह एक मार्शल कौम हें। एक बार इसका बस मे कर लू बाकियों कौ तो वैसे हो रगड़ दूंगा। लेकिन वह यह नहीं समझता था कि यह मार्शल कौम है यह बावली नहीं है यह सब समझते हैं कि तेरे

इरादे क्या हैं, तेरे विचार क्या हैं? हम गाँवों में जाते थे तो लोग हमें कहते थे कि यह सरकार कब जायेगी? हमसे इसलिये पूछते थे क्योंकि हमारे साथ समझौता करके ही उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लोग कहते थे कि श्री अटल बिहारी तो अच्छा आदमी है लेकिन इसने हरियाणा का नाश करके रख दिया है। हम पूछते थे कि आप हमारे को क्यों नहीं पूछते तो लोग कहते थे कि आपको वोट दे भी दें और आप दोबारा से इसी को मुख्यमंत्री न बना दें इस बात का कोई भरोसा नहीं। इसलिये लोग हमें वोट नहीं देते थे। लोग कांग्रेस सरकार के आने का इन्तजार कर रहे थे। लोग कांग्रेस राज की दुआ मांगते थे। गरीब आदमी तो यह समझता था कि कांग्रेस पार्टी आई और मौज हो गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का राज आने के बाद भी गरीब आदमी बेचारा बिल्कुल परेशान है। उसको जितनी खुशी हुई थी उस हिसाब से अभी सरकार चल नहीं रही है। हुड्डा साहब आदमी बढ़िया हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के लोग कई बार मुझे इस बात पर टोकते हैं कि आप हुड्डा साहब कों अच्छा क्यों कहते हो। वे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी जो टीम है वह बहुत माड़ी है क्योंकि 36 बिरादरी के लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। स्पीकर सर, हुड्डा साहब को कोशिश करनी चाहिए और मैंने जो समस्याएं बताई हैं सरकार उन पर गौर करे। सर्विसिज में सभी भाईयों को, सभी बिरादरी के लोगों को सही रिप्रेजैंटेशन दें, नहीं तो जो हाल पिछली सरकार का हुआ है ये समझ लें कि इनकी पार्टी की सरकार का हाल

उनसे भी माडा होगा, इससे फालतू मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद 1

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, नौकरियां तो मेरिट के आधार पर मिलती है इसमें कास्ट कसिड़ेशन नहीं होती है।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ! अध्यक्ष महोदय 1 दु साल से जो भाई इस सदन के अन्दर हैं और सदन से बाहर हैं उन्होंने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हम न तो बिना बात किसी की बुराई करते हैं और न ही किसी की अच्छाई करते हैं लेकिन जो सत्य हें उसको कहने में हमें कोई घबराहट नहीं हें। भगवान की दया से आदमी को जो सही बात है वह कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल सदन में डिस्कशन हुई। मैंने आज अखबार में पढ़ा, अखबार में यह लिखा है कि यमुना जल समझौते में जो विसंगतियां हैं वे ठीक करेंगे, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा। अध्यक्ष महोदय जो विसंगतियां हुई हैं वे आपके सामने हैं। 21 मई, 1994 का दिन हमारे इतिहास में हमारे दुर्भाग्य का दिन बन कर आया क्योंकि उस वक्त कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री ने प्रजा के साथ विश्वासघात किया। प्रजा राजा को सन्तान होती है। राजा का सबसे पहला धर्म प्रजा के हितों की रक्षा करना होता है लेकिन प्रजा को बांटकर हरियाणा का डिवीजन करके विशेष रूप से हमारे हिस्से का पानी फतेहाबाद, सिरसा, हिसार जिलों को भेज कर हमारे दक्षिणी

हरियाणा का सर्वनाश कर दिया। हमारे हरियाणा के हिस्से का 20 परसैंट पानी कर करके हमारा पानी समाप्त कर दिया। मैं इस बात के लिए इस सदन में उनकी निन्दा करता हुँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे साथ इतना अत्याचार किया उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए। जनता. जनार्दन तो इस बात को जरूर देखेगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यहां पर आपके सामने कहना चाह रहा हूँ क्यो लोग यह कहते हैं कि हुड्डा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ सरकार क्या ऐसा कार्य करे जिससे वह अपेक्षाओं पर खरी उतरे। पिछली सरकार ने क्या ऐसे काम किये हैं जिससे वे जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी थीं। पिछली सरकारों ने तो जनता के साथ धोखा ही किया। अध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री जी किसी इलाके में जाते हैं तो प्रजा यह उम्मीद करती है कि खजाने से कुछ दे कर जाएंगे लेकिन दुर्भाग्य केवल हमारा ही नही बल्कि पूरी स्टेट का भी दुर्भाग्य रहा। हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने तो किसी का मुकाबला ही नहीं किया लेकिन आप लोग तो मुकाबला कर सकते थे आप की पार्टी का भी उस वक्त यह दुर्भाग्य रहा कि जब मुख्यमंत्री जी कहीं जाते थे तो नोटों की थैलियां लेकर वापिस आते थे और उनका कोई विरोध नहीं होता था। स्पीकर सर, हरियाणा के हालात बहुत ही खराब हो गये थे। क्या आप उस सरकार को अच्छा कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पीने के पानी का सवाल उठाया था। इस सरकार ने पीने का पानी

उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किये हैं और सरकार ने कोशिश करके हमें 100 से ज्यादा बोर दिये हैं। हमने दोबारा मांग की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 24 बोर और दिए इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस ठेकेदार के साथ शर्त तय हुई थी उसने 200 हॉर्स पॉवर की मोटर देने का वायदा किया था लेकिन उसने 190,140 या 150 हॉर्स पावर की मोटरें लाकर डाल दीं। वे मोटरें हमारे बोरों का पानी नहीं उठा सकती हैं क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा जो पानी है वह 900 से 1000 फुट तक नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में मन्त्री जी से बात की थी तो उन्होंने ठेकेदार की पेमैंट रोकने के आदेश दिये थे। एस०ई० महोदय ने हमारी जनता का ध्यान न रखते हुए उनको 30 लाख की पेमैंट करवा दी और उस ठेकेदार ने एक्सीयन को जान से मारने की धमकी दी। हमारे डी०जी०पी० साहब ने आदेश दिये हैं कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है 1 अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो लोग ठेकेदार को पैसा दिलाना चाहत हैं इसमे उनका क्या इन्ट्रस्ट है। अध्यक्ष महोदय, दृसरी बात मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर सिंचाई का पानी नहीं पहुँचा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पानी बड़ा है, लेकिन नांगल चौधरी क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर नहरों की सफाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर

नहरों की सफाई की जाए जिससे पानी घूंगारिका गांव से होते हुए मारोडी से आगे तक पहुँच सके। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र नवाटिका और नांगलदुर्ग का है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी ने वहां की समस्या को अच्छी तरह से समझ करके उसको दूर करने का वायदा किया है कि वहां पर पानी दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह जो पानी की कमी है इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र को पानी मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र के आस पास के धार्मिक क्षेत्रों और गुड़गांव के आस पास के धार्मिक क्षेत्रों के लिए सरकार ने डिवैल्पमैंट के लिए पैसा दिया है। यह बहुत ही अच्छा काम इस सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्तमंत्री जी ने भौंडसी क्षेत्र को विकसित करने का भी काम शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसका नाम च्यवन ऋषि और शाडिलय ऋषि के नामों से जुड़ा हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस क्षेत्र का और विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, सदन में कल बैकवर्ड भाईयों के बारे में जिक्र किया गया था। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एक जाति प्रजापतियों की भी है। अध्यक्ष महोदय, आज सभी जातियों को लाभ मिल रहा है लेकिन प्रजापतियों की जाति ऐसी है जो

पढ़ी लिखी नहीं है। यह जाति जमीन की मिट्टी से बर्तन बनाती है लेकिन आज उनके पास मिट्टी लेने के लिए जमीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार उनके लिए उनकी गाँवों में आबादी को देखते हुए एक एकड़ या दो एकड़ जमीन देने का प्रबन्ध करे ताकि वे वहां से मिट्टी ले सकें और वे हमें बर्तन बनाकर पै सकें। अगर सरकार ऐसा प्रकन्द कर देती है तो वह प्रजापति जाति अपना गुजारा कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सियासत की बात आती है। जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाट और गैर–जाट के नाम पर ब्राह्मण और गैर–ब्राह्मण के नाम पर सियासत करते हैं, वे लोग कभी भी हरियाणा का भला नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मीडिया के भाई भी प्रैस गैलरी में बैठे सुन रहे हैं, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी आदमी जितना मर्जी पैसा देकर कोई भी समाचार अखबार में छपवा दे, चाहे कोई कितना भी मीडिया और अखबारों पर कंट्रोल कर ले, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के नाम पर हमको ठगा गया है और हो सकता है कि आगे भी कई लोग ठगने की कोशिश करें लेकिन उनको अब एस०वाई०एल० के नाम पर और जाति के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। अगर अब वोट मिलेगा तो केवल काम के नाम पर ही वोट मिलेगा। अगर आज किसी ने काम किया है तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह

हुड्डा की सरकार ने किया है। इन्होंने जो काम किया है, वह अपने आप में इतिहास है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर लोगों से पूछता हूँ कि जो लोग आपके पास आकर कभी किसी की बात करते हैं, कभी किसी जाति की बात करते हैं। क्या उच्छाने नारनौल क्षेत्र के लिए कभी कोई काम किया है? अध्यक्ष महोदय, मैं नारनौल क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में जीत कर आया हूँ। यह बात ठीक है कि मैं काग्रेसी हूँ। लेकिन आज वहाँ से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस की सेठ खाते हैं, कांग्रेस का नमक खाते हैं, उन्होंने ही कांग्रेस को मारा है, कांग्रेस की गर्दन तोड़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए हमारे हल्के के नाम से दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार नारनौल के नाम से चलती थी, नारनौल के वोट पर यहां पर जिनका वोट ऑफ कान्फीडैंस पास होता था, उन्होंने नारनौल के लिये क्या किया है और क्या उन्होंने दक्षिणी हरियाणा के लिए कुछ किया है? आज सदन में कांग्रेस के अपने 67 विधायक हैं और इस सरकार को सदन में 374 बहुमत प्राप्त है। कांग्रेस सरकार को किसी भी आजाद उम्मीदवार के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। इस सब के बावजूद भी सभी हल्कों को बराबर–बराबर विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से सदन में ऑन रिकॉर्ड यह जानना चाहता हूँ कि वे लोग जो नारनौल से यहां पर आते थे उन्होंने उस इलाके के लिए क्या–क्या किया है? आज भी वे

लोग हमारे क्षेत्र के अन्दर जाकर जातिवाद की बात फैलाते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाईयों आपका राज अब खत्म कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, में तो सदन मैँ यह कहना चाहता हूँ कि हमारा राज तौ अब शुरू हुआ हें। हमारा राज तो उस समय खत्म था, जब हमारे लोगों को लूटा जाता था, वहां से पैसे लाए जाते थे और हमारे से वोट लिए जाते थे, लेकिन पानी की एक बूंद नही दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देता हूँ सिंचाई मंत्री जी को वित्त मंत्री जी को कि अब इन्होंने इस काम के लिए पैसा दिया है और इसी कारण अब नहरों की थोड़ी बहुत खुदाई हुई है हालांकि पूरी खुदाई नहीं हुई है। हम तो चाहते हैं कि पूरी खुदाई हो। यह ठीक है कि अब थोड़ी बहुत खुदाई शुरू तो हुई है लेकिन पहले तो इस बारे में कुछ भी नहीं किया जाता था। सारा सदन बैठा हुआ है और सदन के नेता भी बैठे हुए हैं मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के जिस समझौते की बात कल यहां पर आयी थी और यह कहा गया था कि मंत्रियों की एक टीम, विधायकों की एक टीम बनायी जाए। मैं यह कहना चाहूँगा कि दस आदमियों की एक टीम बनाकर सारे हरियाणा में भेजी जाए और इस बात का प्रचार किया जाए कि किसने हरियाणा का पानी राजस्थान को और यू०पी० को दिया, किसने हमारे दक्षिणी हरियाणा का पानी काटा? यह बात सारे हरियाणा के अंदर फैलायी जाए। स्पीकर सर, हम दो दिन के अंदर बीस जिलों में 60 मीटिंग्ज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, अब आप कच्छ करें।

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः स्पीकर सर, मैं एक मिनट में कच्छ कर लूंगा। सर, हमारी एक टीम तीन मीटिंग्ज कर सकती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह बात भी कहना चाहूँगा कि कैप्टन साहब के पास पी०डब्ल्यू०डी० का महकमा भी है। हमारे हल्के की सड़कें टूटी हुई हैं। हमारे हल्के का नांगल चौधरी एक बहुत बड़ा कस्बा है लेकिन वहां की सड़क आठ नौ महीने से टूटी हुई है इसलिए वहां पर सड्कों को बनाना जरूरी है। इसके साथ–साथ राजस्थान के साथ लगते जो हमारे गाँव हैं जैसे गोठड़ी, बूढुवाल, नोसनोता और बायल आदि, वहां से राजस्थान से जब हम हरियाणा में एंटर करते हैं तो पहले यह कहा जाता था कि अगर अच्छी सड़कें आ गयी हैं तो हरियाणा आ गया है लेकिन अब वे सडकें टूटी हुई हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन सड्कों को ठीक करवाया जाए और चौड़ा करवाया जाए। इसी प्रकार से बसिज भी हमारे यहां पर बहुत कम हैं। हांलाकि कल मेरी मत्री जी से इस बारे मैं बात हुई थी लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहां पर बसिज थोडी और बढ़ायी जाएं। सपीकर सर, हमारे यहां पर जीपों के रोजाना बहुत एक्सीडैंट्स होते हैं। नांगल चौधरी से निजामपुर तक जो सड़क का क्षेत्र है उस पर बजरी के बहुत ओवर लोडिड टूक चलते हैं जबकि ओवर लोडिड टूक चलाने की इजाजत नहीं है। मेरा कहना है कि इन ओवर लोडिड टूक को वहां पर चलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। स्पीकर साहब, अगर आप वहां पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वह सड़क बीच–बीच में एक–एक फुट ऊँची उठी

हुई है उस सड़क के दोनो तरफ गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण वहां पर ऐक्सीडैंट्स होते हैं। मेरा निवेदन है कि ओवर लोडिड टूक को उस सड़क पर चलने से रोका जाए। कैप्टन साहब उस इलाके में आते जाते रहते हैं लेकिन मैं उनको फिर निमंत्रण देता हूँ कि वह चाहें तो मेरे साथ चलकर भी देख सकते हैं कि उस सड़क की वहां पर क्या हालत है कितनी बुरी हालत उस सड़क की कर दी गयी है। मेरा निवेदन है कि उस सड़क को ठीक करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दिया। जय हिन्द!

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, जो यह ऐप्रोप्रिएशन बिले 2007 है मैं इस पर अपिकी इजाजत सै बोलने कैं लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृषि प्रधान प्रान्त है और 70 प्रतिशत के करीब जो लोग हैं उनके पास जमीन हैं और जो भूमिहीन लोग भी हैं वे भी खेती का काम करते हैं इसलिए हरियाणा की जिन्दगी, सामाजिक जिन्दगी, आर्थिक जिन्दगी खेत और गांव के चारों तरफ ही, घूमती है। दूसरी साईड के ये जो बैंचिज पर बैठने वाले लोग हैं जोकि कल सदन से बहाना बनाकर चले गए थे उनकी लोगों के जो इशूज हैं, लोगों की जिन्दगी से जुड़े हुए जो मसले हैं उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आज से कोई लगभग 7– 8 साल पहले किसान की गर्दन के ऊपर पाँव रखकर राजगद्दी के ऊपर ये चढ़े थे क्योंकि इनमें

यह क्षमता नहीं थी कि ये अपने आप राजगद्दी पर चढ़ते। उसके बाद इन्होंने लोगों का बहुत शोषण किया, बहुत नाम लिया जात–पात का और किसान का और कई तरह के बहुरूप इन्होंने भरे। अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी गैर–हाजिरी में सदन के सामने एक बात पूछना चाहूँगा 1 अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की यह सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अढ़ाई या पीने तीन साल पहले आयी और इस सरकार की बहुत सी उपलब्धियों खेती के बारे में और किसानों के बारे में रहीं। मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा और फिर मैं अपनी बात रखूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सबसे पहले 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करके किसानों का और गाँवों के लोगों का फायदा किया है क्योंकि लाखों लोगों के ट्यूबवैल्ज सालों–साल से ऐसे ही पड़े थे, लाखों लोगों के घरों में अंधेरा था, उनको बिजली उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उनके बिजली के कनैक्शन काट 'दिए गए थे। वह बिजली के बिल न देने का कारण जो मुझे पता लगा वह यह था कि इन्होंने वर्ष 2000 के चुनावों में यह बात कही कि न मीटर होगा, न रीडर होगा। आप बिजली के बिल न दो, हम जब आएंगे तो हम बिल माफ कर देंगे। 1600 करोड़ रुपये की इतनी भारी रकम थी जो कि हरियाणा के किसान उतार नहीं सकते थे। इस सरकार ने किसान का वह बोझ उतार दिया और यह काम कर दिया ताकि वे किसान दोबारा से बिजली के कनैक्शन ले सकें और अपने खेत में काम कर सकें और अपने घरों में रोशनी कर सकें। हालांकि यह बात कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में नहीं

कही थी कि बिजली के बकाया बिल माफ करेंगे, लेकिन फिर भी किसान की जटिल समस्या के समाधान कै लिए सरकार तै यह पहल की है। इस बात के लिए हरियाणा के लोग सरकार के आभारी हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि ये बिल ओम प्रकाश चौटाला भी माफ कर सकते थे, उसको भै। अधिकार था लेकिन उसको तो किसान की कमर तोडनी है ऊपर से तो किसान का नाम लेना है लेकिन उसको आर्थिक तौर पर कुचलना है ताकि वह टोटली इन पर निर्भर रहे। खेती की पैदावार में कांग्रेस के राज में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी थी, जो कि चौटाला के राज में घटकर 37 प्रतिशत रह गई। डस प्रकार यह 7.5 प्रतिशत कम डुई। अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल लैवल के आकड़े हैं। उस राज में साढ़े पांच साल के अर्से में पंजाब में प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2000 के चुनाव के दिनों में अपनी एक पारिवारिक पार्टी के दोनों नेता रएँ हैं स्पैशल केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की थी लेकिन वह समर्थन बिना शर्त कतई नहीं था। बिना शर्त तो ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता मरहूम चौधरी देवी लाल को भी समर्थन नहीं दे सकता। उस समर्थन में शर्त यह थी, अंदरूनी, खुफिया समझौता था कि इनको पूरे राज्य में लूटने, खसूटने, आदमियों का कत्ल करने और लैंड ग्रेब करने का हर तरह का गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की तरफ से खुला लाइसैंस होना चाहिए। इनकी सरकार को कोई खतरा. नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

समक्ष कुछ आकड़े रखना चाहता हूँ कि पिछले साढ़े पांच साल के अर्से में पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, उन पांच वर्षों में किसान की गेहूं और जीरी के भाव 10 रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाए और पांच साल की अवधि में मात्र 50 रुपये बढ़ाए। हरियाणा प्रदेश में काग्रेस की सरकार आने कै बाद ओंर केन्द्र मैं यू.पी.ए. की सरकार आने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्रित्व काल में एक साल में 50 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से जीरी और गेहूँ की कीमतें बढ़ी। मै ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यदि ओम प्रकाश चौटाला और प्रकाश सिंह बादल चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी की मजाल नहीं थी कि वे इस तरह भाव न बढ़ाते। क्योंकि यदि ये दोनों पार्टियां उनसे समर्थन वापस ले लेती तो उनकी सरकार तुरन्त गिर जाती। अगर ये चाहते तो किसान को जीरी और गेहूं. के भाव 50 रुपये और 100 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिलवा सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर किसान की कोई मदद नहीं की। केवल लूट खसूट जारी रखने का लाइसैंस लिया 1 इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि गरीबों के, जिसमें भूमिहीन लोग भी थे, किसान भी थे, उनकी 850 करोड़ रुपये के ब्याज की रकम सरकार ने माफ की और उन लोगों कें लिए रास्ता साफ किया जिनको सालों साल से कर्जा नहीं मिला था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह थी, इन्होंने ब्याज माफ क्यों नहीं किया। इतने साल

तक उन्होंने राज किया और किस तरह से उन्होंने सरकार का और प्राइवेट लोगों का खजाना लूटा। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में सरकार ने बनते ही जमीनों के जो भाव बढ़ाये हैं वह भी एक अच्छा कदम है क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय अगर किसानों की कोई जमीन ऐक्वायर होती थी तों उस जमीन का मुआवजा 3 –4 लाख या जो जमीन शहरों के नजदीक ऐक्वायर होती थी तो उस जमीन के लिए पांच लाख रुपये प्रति एकड़ मिलता था। इस सरकार ने आते ही कम से कम 16 लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों की जमीन ऐक्वायर करने का दिया है। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे हरियाणा में हर किसान जो खेती करता है उसकी जमीन का भाव तीन–चार गुणा बढ़ा है और जो किसान तीन–तीन या चार–चार एकड़ जमीन वाले थे वे सभी किसान आज करोड़पति हो गये हैं जबकि पूरी जिन्दगी में करोडपति खल बन सकते थे। यह सब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार की वजह से हुआ है। वरना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मै।। की सरकार के समय में तो 20 लाख की जमीन को 3–3 लाख रुपये में अधिग्रहण करके लोगों का शोषण किया गया था और आज वे किसानों के हितैषी होने का सर्टिफिकेट लेने की बात करते हैं। मैं उन लोगों को भी यह कहना चाहूँगा कि उस आदमी का चेहरा बहरूपिया है। सारे हरियाणा की दीवारों पर लिखा है कि '' ओम प्रकाश चौटाला एक संत फकीर है, हरियाणा की तकदीर है। ''

अगर यह संत फकीर है तो डाकू और चोरों कै। देखने के लिए हम कहां जायेंगे वे हमें कहां मिलेगे? अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और इनकी सरकार को मुबारकवाद देना चाहूँगा और यह कहना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत ही इन्नोवेटिव बात कही है, एक नई बात कही है। बहुत दिनों से मैं आल इण्डिया किसान मजदूर सभा का अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के लोगों में यह बात कहता था कि जो जमीन है वह इनएलियनेबल होनी चाहिए क्योंकि उस जमीन की कीमत हम आक नहीं सकते हैं। जमीन की उम्र इस बात पर रख सकते हैं कि जिस चीज की उस का कोई हिसाब नहीं है जिस चीज का उपयोग बहुत से और बहुत सी किस्म के हों तो उस चीज की कीमत एक वक्त में कोई औक नहीं सकता और उस चीज को एक वक्त में कोई बेच नहीं सकता और एक् वक्त में खरीद नहीं सकता। इसलिए जमीन को बेचना नहीं चाहिए बल्कि जमीन को लीज पर दिया जा सकता है, रोयल्टी पर दिया जा सकता है और जिन लोगों की जमीन है वह पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हों लोगों की मलकियत बना रहनी चाहिए। जमीन अगर एक्वायर करें तौ जिस किसान की जमीन ऐक्यायर होती है उसको उस जमीन का कोई न कोई हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि अभी पिछले दिनों 2–3 हफ्ते पहले सरकार ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2005 में जब से यह सरकार बनी है उसके बाद जिस भी आदमी की जमीन चाहे वह हुडा ने ऐक्वायर की है या एच०एस०आई०आई०डी०सी० द्वारा ऐक्वायर की गई है, 16 हजार एकड़ के करीब ऐक्वायर की गई है उस जमीन

का आने वाले 33 सालों तक दस हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष उस किसान को मिलेंगे जिसकी जमीन ऐक्वायर की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह दस हजार रुपये अकेले नहीं हैं क्योंकि यह दस हजार रुपये से कहीं ज्यादा हैं अगर किसान खुद उस जमीन पर खेती करता है या उस जमीन को चकौते पर देता है तो उसको अपने पल्ले से भी पांच या सात हजार रुपये खर्च करने पडते हैं। लेकिन जो यह दस हजार रुपये मिलेंगे यह उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने एक नया पैसा भी अपनी जमीन पर नहीं खर्च किया है इसलिए यह दस हजार रुपये 15 हजार या 17 हजार रुपये बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पीरियड 33 साल की बजाये 300 साल होगा या 33 हजार साल तक रहेगा। मेरी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से दरखास्त है कि जिस प्रकार हुडा और एच०एस० आई० आई०डी०सी० जो जमीन ऐक्वायर करती है उसके लिए सरकार ने मुआवजे की राशि देने का फैसला किया है। उसी प्रकार उस स्कीम को बढ़ाकर जो प्राईवेट बिल्डर्ज, प्राईवेट डिवैल्पर्ज जो कामर्शियल और इण्डस्ट्रियलिस्ट प्राईवेट तौर पर जमीन खरीदते हैं उन पर भी यह प्रावधान लागू होना चाहिए। उनके लिए भी जरूरी होना चाहिए कि वे किसान को निरंतर हर साल कुछ न कुछ अवश्य दें। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि एस०ई०जैड० के लिए बहुत सी इण्डस्ट्रीज, बहुत से कॉमर्शियल इस्टेबलिशमैंट, बहुत से संस्थान लोगों की प्राईवेट जमीनें खरीद रहे हैं और कई जगह सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि उसके लिए बाकायदा स्पेशल

पैकेज बनना चाहिए जिसमें न केवल उस किसान को जिसकी जमीन खरीदी गई है बल्कि उस भूमिहीन मजदूर को भी पैकेज मिलना चाहिए जो उस जमीन पर काम करता है। क्योंकि वह भी उस जमीन के बेचे जाने पर रोजगार से वंचित होता है। इसलिए दोनों को पैकेज मिलना चाहिए। अगर मकान जायेगा तो मकान बनाकर देना चाहिए। उनके बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे वहां काम कर सकें। किसान कॉमर्शियल यूज के लिए अपनी जमीन बेचते हैं इसलिए उसमें किसानों को भी कॉमर्शियल जगह मिलनी चाहिए दुकानें मिलनी चाहिएं प्लाट मिलने चाहिएं और उनके बच्चों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए तथा उनकी जमीन का उनको निरंतर कुछ न कुछ मिलना चाहिए। इस तरह का पैकेज सरकार को बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार के बनने के बाद यह कानून बनाया गया कि किसी भी किसान को कर्जा वापिस न करने पर गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन एक काला कानून अभी और बाकी है जिसको कानून की किताब से खारिज करना चाहिए। वह कानून यह है कि बैंक या कोई प्राईवेट लोगों से किसान अपनी जमीन रखकर जो लोन लेता है, यदि वह लोन किसान वापिस नहीं कर पाता है तो किसान की जमीन को नीलाम कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, किसान जमीन की वजह से ही अपनी जीविका चलाते हैं। अगर वह जमीन भी बैंकों द्वारा या किसी दूसरे द्वारा उससे ले ली जायेगी या बेच दी जाये तो दुनिया में उसके पास कोई दूसरी जगह रहने के लिए नहीं है। मैं कहना

चाहता हूँ कि जब कारखानों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है तो किसानों की जमीन बेचने के लिए ऐसा प्रावधान क्यों है? यदि कोई कारखाना फेल हो जाता है तो उसे रिहेबलीटेट करने के लिए बाकायदा पैकेज है और उसे स्थापित करने के लिए और पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह का पैकेज किसानों के लिए भी शुरू किया जाये और जो काला कानून उनकी जमीनें नीलाम करने का है उसे समाप्त किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री रमेश गुप्ता (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब से प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अढ़ाई वर्ष पूरे किए हैं तब से प्रदेश में अमन–शांति है और प्रदेश में चारों तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। हमारे अपोजीशन के भाइयों के पास अब उठाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल लोगों का ध्यान बांटने के लिए उल्ट–सुल्ट हरकतें कर रहे हैं। आज के दिन प्रदेश में किसी के साथ भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। आज के दिन प्रदेश में किसी का भी हक जबरदस्ती नहीं मारा जा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारी सरकार कोई रैली ही क्यों न कर रही हो अब किसी का भी व्हीकल जोर जबरदस्ती नहीं पकड़ा जाता। हमारी सरकार के समय में चारों तरफ बिलकुल शांत वातावरण है चाहे व्यापारी

है, किसान है या मजदूर है सभी खुश हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर है और हरियाणा में चारों तरफ चहुँमुखी विकास हो रहा है। जिससे सभी वर्गों को कुछ न कुछ फायदा अवश्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, पर कैपीटा इनकम में आज हरियाणा प्रदेश नम्बर एक पर है। प्रदेश में डिवैल्पमैंट और विकास के जो कार्य हो रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। सुरजेवाला जी अभी किसानों का जिक्र कर रहे थे कि किसानों के लिए जो सुविधाएं मौजूदा सरकार ने दी हैं इतनी सुविधाएं पहले कभी हरियाणा के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, मै आढती हूँ मेरी भी मण्डी मैं दुकान है और मुझे पता है कि अगर किसानों के चेहरे पर खुशहाली लौटी है तो वह सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की मेहरबानी से, क्योंकि इन्होंने किसानों को जीरी की बिजाई के समय पूरी बिजली दी। जितनी बिजली हमारी सरकार द्वारा किसानों और अन्य सभी वर्गो को दी गई है उतनी किसी भी पहली सरकार द्वारा नहीं दी गई। पहले तो किसानों को जीरी की फसल लगाने के लिए डीजल फूंकना पड़ता था तब जाकर वे कहीं अपनी जीरी की फसल लगा पाते थे। हमारी सरकार का प्रयास था कि किसानों को इतनी बिजली मिले कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जहां तक जीरी या गेहुँ के न्यूनतम रेट्स का सवाल है वह भी हमारी सरकार ने केन्द्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से ज्यादा दिए हैं। इसमें जीरी की जो छल 1121 वैरायटी है उसका जो रेट है, वह भी हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा दिया है

और जो दूसरी वैरायटीज है वे भी गवर्नमैंट रेट से काफी ज्यादा रेट पर बिक रही हैं। जिस कारण किसानों को 30,40 और 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी हुई है। इससे कर्ज में दबे हुए किसानों को काफी राहत मिली है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि पहले बिजली कैं काल माफ किए गए फिर 800 करोड़ रुपये का जो ब्याज था वह भी माफ किया गया। जो कि न सिर्फ किसानों के लिए था बल्कि और भी जो काश्तकार थे या गरीब और एस०सी० वर्ग थे सभी को ब्याज से माफी दी गई। इस ब्याज माफी से भी सभी वर्गो को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा बिजली भी हमारी सरकार ने ज्यादा रेट पर खरीदकर रियायती दामों पर किसानों को दी। पहले के मुख्यमंत्रियों ने इस ओर बिलकुल ध्यान नही दिया कि हरियाणा में बिजली उत्पादन कैसे होगा और हरियाणा के लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली कैसे उपलब्ध होगी और आखिरकार बिजली आयेगी कहाँ से। हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने पहली बार इस दिक्कत को समझा है और ऐसे कदम उठाये जिससे आने वाले समय में बिजली का सुधार होगा और जो यमुना नगर का थर्मल प्लांट है उसकी आधारशिला भी मुख्यमंत्री जी ने रखी और वह लगभग बन कर तैयार हो गया है और जो योजना है उसके मुताबिक 1 नवम्बर, 2007 को उसमें 600 मेगावाट बिजली बननी शुरू हो जायेगी और उसके बाद उसकी क्षमता और बढ़ा दो जायगी। इसी तरह सै हिसार मैं, झज्जर मैं, फरीदाबाद में और फतेहाबाद जिले में

न्यूक्लीयर पॉवर के द्वारा बिजली तैयार करने की योजना है। ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाने पर दो वर्षो के अन्दर हरियाणा बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। सभी वर्गो को और इण्डस्ट्री को भी आवश्यकतानुसार 20–22 घण्टे बिजली मिलेगी। इसके साथ–साथ जिनकी जमीन 33 साल के लिए एक्वायर होती है उनको 10 हजार रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की गई है। इससे भी किसानों को लाभ होगा।

Mr. Speaker: Please conclude Gupta Ji.

श्री रमेश गुप्ता: अभी पेहवा में मुख्यमंत्री जी ने पट्टेदारों की समस्या जो पिछले काफी लम्बे समय से पैंडिंग पड़ी थी उसको भी सोल्व कर दिया है और उन्हें 99 सालों के लिए सिर्फ एक हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जमीन दी गई है। पीने के पानी की व्यवस्था सारे हरियाणा मे प्रोपर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त दादूपुर–नलवी नहर जिसका पहले बहुत जिक्र होता रहा लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसी प्रकार हांसी बुटाना नहर का निर्माण कार्य भी काफी तेजी से चल रहा है। इसी तरह मेरे क्षेत्र में जो नाले थे, वे 30–40 सालों से बंद पड़े थे, जैसे राक्षिका है। पिछले वर्ष जब मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में आये थे तो उन्होंने उनको चालु करवाने की घोषणा की थी। और अब वे लगभग कम्पलीट होने जा रहे हैं। पिछले दिनो मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। इससे जो पानी आयेगा उससे वाटर लैवल बढ़ेगा और आम आदमी को, किसानों को सभी को

उससे लाभ होगा। इसी तरह से पीने के पानी के लिए जहां भी डिमांड है वहां पर ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं और हरिजन परिवारों के लिए पीने के पानी के लिए मुआ टंकी, टूटी, वाल्व तथा फ्री पानी का कनैक्शन दिया जा रहा है। मेरे कहने का भाव यह है कि सभी वर्गों कै। ध्यान मे रखते हुए पूरे विकास के कार्य हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे है, ओंर अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हें, जिसको वे उठा सकें।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन काल पर बोलने के लिए मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि गुप्ता जी ने बताया और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पिछली बार जब हम विपक्ष में होते थे और वे लोग सत्ता में होते थे उस समय भी हम उनको कहते थे कि हरियाणा प्रदेश के साथ हर तरह की ज्यादती न करो कि आपको इस तरह के दिन देखने पड़े। आज आप भी देख रहे हैं कि इनेलो पार्टी की सभी सीटें खाली पड़ी हैं। आज इतने अहम मुद्दे थे और इतना कीमती पैसा लगाकर विधानसभा का अधिवेशन चलता है लेकिन उनका इन बातों से कोई लेना–देना नहीं है और उठ कर चले जाते हैं। सदन का कीमती समय बर्बाद करते हैं। वे नहीं चाहते कि यह सैशन ठीक ढंग से चले वे चाहते हैं कि हमारे माथ धक्का–मुक्की हो, कोई हमको पकड–पकड कर बैठाये तब हम हाउस में बैठें नहीं तो वापिस चले जायेंगे। वे लोगों की भावनाओं को नहीं समझते इसलिए वे बाहर चले गये

हैं। इसी तरह का माहौल वे आज प्रदेश में और हाउस में पैदा करना चाहते हैं। उनकी मैं विशेष रूप से निन्दा करती हूँ। आज के हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। वे हमेशा ही कार्यकर्त्ताओं को विशेष सम्मान देते हैं। वे किसान के बेटे हैं इसलिए पूरे प्रदेश और समाज की, किसानों की समस्या को समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं पिछली सरकार ने कितनी गली–सड़ी व्यवस्था हमें दी थी। हमारी बहन–बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। जब भी कोई रैली या जलसा होता था तो जीपों को और प्राईवेट बसों को तीन दिन पहले पकड़ कर जबरदस्ती उनकी आरसी. जमा करवा ली जाती थी और उनको रैलियों में भेजा जाता था। हम उनसे पूछते कि क्या बात है आपकी क्या समस्या है तो वे हमें बताते थे कि हमारी गाड़ी रैली के लिए पकड़ ली है। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं जो इतनी फिराकदिली से कहते हैं कि जहां भी रैली होगी आप जितने भी आदमी लेकर आओगे आपको अपने ढंग से आना होगा किसी की गाड़ी नहीं पकड़ी जानी चाहिए। आज हमारी बहन–बेटियां सुरक्षित हैं। हरियाणा प्रदेश में बहुत अमन–चौन है। हालांकि अढ़ाई साल का टाईम पीरियड बहुत कम होता है। कोई भी काम करने के लिए समय तो चाहिए ही लेकिन हमारे इस अढ़ाई साल के अर्से में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। सबसे पहले मैं बिजली की बात करूँ। ये लोग कहते थे कि बिजली के बिल मत भरो। न मीटर होगा और न रीडर होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने हाल ही में देखा होगा कि लोगों के एक–एक लाख रुपये के बिजली के बिल बकाया थे

जो वे भर ही नहीं सकते थे। उन्होंने हमेशा ऐसे ही काम किये हैं। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बिजली के बिलों को माफ करने का यह साहसिक कदम उठाया और इतनी बड़ी राहत देकर प्रदेश के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल एक कलम से माफ किये जिसको और कोई नहीं कर सका। इसके बावजूद इनकी आज भी यही तत्परता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी हरिजन कालोनियां हैं वहां पर सभी घरों में एक–एक बल्व तो फ्री दे दो ताकि जो गरीब हरिजन बच्चे हैं वे पढ़–लिखकर नौकरियों में अपना हक प्राप्त कर सकें। उसके साथ ही साथ आज जिस ढंग से बहुत ज्यादा पैसा देकर सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही हैं यह भी एक उदाहरण है। जिस तरह से झाडली गाँव में परमाणु ताप बिजली संयंत्र लगाया जा रहा है। अगर चौटाला की सरकार होती तो वे तो किसानों को 2 या 3 लाख रुपये ही मुआवजा देते। पहले तो वे अपना ही बैंक भरने के प्रयास करते। जनसंख्या के मुताबिक बिजली भी बढ़नी चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने न तो बिजली के बिल भरवाए और न ही यह सोचा कि आने वाले समय में प्रदेश की हालत क्या होगी? स्पीकर सर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का यह परिणाम है कि जहां पर झाडली जैसे गाँव में जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था 25– 25 लाख रुपये एक–एक एकड़ जमीन के किसानों को मिले हैं जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हरे

साफे बाँध रखे थे वे भी अब हुस सरकार से काफी खुश नजर आते हैं। आज हम गाँवों में देखते हैं और विशेषतौर से उन बुजुर्गों को भी जब पूछते हैं कि आप लोग हरे परने पहनते थे, हरे साफे बांधते थे वे अब कहाँ गये हैं। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री हुड्डा ने तो आज हमारी मौज कर दी है। चौटाला साहब तो दो–दो लाख रुपये लूट ले जाते थे लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एक–एक किसान जमींदार को करोड़–करोड़ रुपये जमीन की कीमत के दिये हैं और ऊपर से एक बात और कह दी कि 33 साल तक दस–दस हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से और भी उन लोगों को देंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी की इस प्रकार की सोच है जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी का भला हुआ है। निःसंदेह इससे हमारे बच्चों को कार्य भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ प्रदेश में हमें ज्यादा साधन भी मुहैय्या होंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पूरे दिन चली चर्चा का सम्बन्ध है, कल भी सारा दिन इस बात पर चर्चा रही कि हमारे नहरी पानी का हिस्सा हमें नहीं मिलता था। कागजों पर तो हमारा नाम चल रहा था लेकिन सारा पानी अढ़ाई जिलों में चला जाता था। अगर हम अढ़ाई जिलों की बात करते है तो हमारे भाई नाराज हो जाते हैं। इनके यहां तो सेम की समस्या थी और हमारे लोग पीने के पानी तक को तरसते थे। माननीय साथी श्री नरेश यादव जी तथा श्री राधे श्याम शर्मा जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे विशेषतौर पर कहना चाहती हूँ कि उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तथा हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए। नरेश यादव जी तो हमेशा नीचे ही

देखते हैं और कभी भी मुख्यमंत्री जी को बधाई नहीं देते हैं कि उन्होंने दक्षिणी हरियाणा से कैप्टन अजय सिंह यादव जी को सिंचाई मन्त्री बनाया है। हमारे हिस्से का जो पानी हमें नहीं मिलता था वह हमें दिलाया है इसलिए उनको चाहिए कि वे इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दें। श्री राधे श्याम शर्मा जी ने खुद कबूल किया है कि उनको मुख्यमंत्री जी ने नलकूप दिलवाये हैं इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए लेकिन शायद उनको बधाई देने में संकोच होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सारे प्रदेश का भला कर रहे हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि आज वहां से चल कर पानी गोदबलावा गाँव तक पहुँच रहा है। जो नलकूप उन्हें दिये गए हैं वे कैप्टन अजय सिंह यादव तथा मुख्यमंत्री जी की इस सोच का नतीजा है कि अगर एक रोटी होगी तो उस रोटी को बराबर हिस्से करके प्रदेश की जनता को दूँगा और इसी के मुताबिक उन्होंने कार्य भी किया है। मुख्यमंत्री जी ने कभी वायदे भी नहीं किये थे इसके बावजूद उन्होंने हमारी 36 बिरादरी के लोगों का भला किया है। जहां तक पीने के पानी और सिंचाई के पानी की बात थी, आज मुझे कहते हुये गर्व हो रहा है कि हमारी जो माईनर्ज हैं वे लगभग सभी रिपेयर हो गई हैं और वे नहरें जो कभी साफ नहीं होती थीं और उनकी सफाई के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वे कभी साफ भी होती हैं, उनकी भी सफाई हुई है। आज मैं विशेषतौर से अपने क्षेत्र की ओर देखती हूँ तो पाती हूँ कि हमारी नहरों की छंटाई का कार्य पूरा हो चुका और कई जगह पर कार्य चल रहे हैं। फिर भी एक

आध जो माईनर बची है मैं उसके बारे में माननीय मंत्री जो को लिखकर भिजवा दूंगी और मुझे उम्मीद है कि वह काम भी जल्दी ही कम्पलीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पब्लिक हैल्थ द्वारा पानी की सप्लाई की बात है, पता नहीं पिछली सरकार पानी को कहां ले गई थी कि लोगों को किसी भी प्रकार का पानी नहीं मिलता था। हमारे इलाके में लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता था और हमारी महिलाएं तीन–तीन चार–चार किल्ले दूर जाकर पानी का मटका सर पर लेकर आती थीं। मुझे आज यह बात कहते हुए हर्ष होता है कि हमारे मुख्यमंत्री की सोच और समझ ने 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है जो कि अपने आप में एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हरिजन बस्तियों में प्रत्येक घर में एक एक वाटर टैक और एक एक टैप भी फ्री दिया है ताकि हमारे हरिजन भाईयों को मटकी उठाकर पानी के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। आज हमें भी इस बात की समझ आ गई है लेकिन पहले हमारे लोग भी इन लोगों को इकट्ठा पानी नहीं भरने देते थे। आज उनको टंकियां उपलब्ध करवा दी गई हैं और साथ ही साथ एक–एक नलका भी फ्री दे रहै हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ छोटे। मोटी खामिया भै। हैं। माननीय मत्री जो इस वक्त यहां पर नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में बिहरोड, कालियावास, खानपुर और छाछपुर आदि इस तरह के गाँव हैं जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम्ज बनी हुई हैं पिछली बार उनके टैंडर भी उठाए थे लेकिन चौटाला वाले लोग उस पैसे को

पता नहीं कैसे खा गए थे उनका काम कम्पलीट नहीं हुआ था लेकिन आज हमारी सरकार आने के साथ ही साथ सारी की सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स पूरी हुई हैं और सभी लोगों को पानी भी मिला है और नहरों की, छंटाई का काम भी हुआ है 1 हम उम्मीद करते हैं कि बाकी की जो नहरें हैं उनकी छंटाई भी जल्दी ही हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का और समय लूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पीने के पानी के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि पहले जो पीने के पानी में क्लोरीन डाली जाती थी वह हमारे इलाके में थोड़ी कम डाली जा रही है। इसके साथ ही हमारे यहां पर जो नहरी पानी की सप्लाई होती है वह पानी सीधे ही सप्लाई हो जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह पानी फिल्टर करके सप्लाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा एक और प्यायंट हैल्थ के बारे में है। वैसे तो मंत्री महोदया जी ने डॉक्टरों और दूसरे पदों को जल्दी भरने के बारे में कह दिया है और दूसरे, हैल्प से रिलेटिड सभी प्यायंट हमारे समक्ष रख दिए हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया है कि 80 फीसदी फार्मेसिस्ट की पोस्टों को भरने के लिए एडवरटाईज किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी को कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र में 80 से 85 प्रतिशत लोग रहते हैं लेकिन उनको गाँवों से अस्पतालों में ले जाने के लिए परमानैंट एब्लैस का प्रबन्ध नहीं है। वहां पर परमानैंट एम्बूलेंस का प्रबन्ध होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं जनरेटर सैट्स के बारे में कहना चाहूँगी। सर, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी आज प्रदेश में बिजली

बनाने की बात के बारे में सोच रहे हैं। इस काम को पूरा करने में समय तो लगेगा ही। आज हम एक कमरा भी बनाने लगें तो उसके लिए भी 5–6 महीने लग जाते हैं तो प्रदेश में बिजली बनाने में समय तो लगेगा ही। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जब तक बिजली का प्रबन्ध नहीं होता है तब तक जनरेटर सैटस का प्रबन्ध किया जाए और जहां पर जनरेटर सैट्स खराब पड़े हैं वहां पर दूसरा जनरेटर सैट दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में यहां पर हैल्थ मिनिस्टर रंगा जी हुआ करते थे और वे यहां पर लैंस लगाकर पढ़ा करते थे। मैंने उनसे कहा था कि रंगा साहब हमारे यहां पर दवाईयों की सप्लाई ठीक से नही हौ रही है आप इसका ठीक से इलजाम करवाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अगली दफा आपका पत्ता साफ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पता नहीं कहां पर सारी दवाईयां बेच दी या सप्लाई कर दी और आज उनका कहीं पर पता भी नहीं है। आज की सरकार में हमें सभी किस्म की दवाईयां मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे यहां पर चाहे गाईनी डॉक्टर पोस्ट या दूसरे डॉक्टर्ज की पोस्टस अस्पतालों में, सी०एच०सीज० और पी०एच०सीज० में खाली पड़ी हों उनको भरने का काम किया जाए। धन्यवाद।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद

करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले अढ़ाई सालों में हरियाणा में विकास के कामों के लिए जितना पैसा आया है मैं समझता हूँ कि पिछले 40 वर्षो में उतना पैसा नहीं आया होगा। खासतौर पर मैं भिवानी के बारे में तो ठोस तौर पर कह सकता हूँ। इन सब के बावजूद मैं सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे भिवानी में सीवरेज की बहुत प्रोब्लम है। इस बारे में मेरा प्रश्न भी था और इसका जवाब मंत्री जी की तरफ से लिखित तौर पर आ भी गया है लेकिन इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर सीवरेज साफ करने के लिए कोई मशीन नहीं है। यह बात ठीक है कि जब हमें उस मशीन की जरूरत होती है तो हमें वह उधार में मिल जाती है लेकिन इससे काम नहीं चलता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे वहां पर परमानैंट दो मशीनों का इन्तजाम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये मशीनें बहुत ही बढ़िया हैं। अगर कहीं पर सीवरेज ब्लॉक हो जाए तो उसको साफ करने के लिए सफाई कर्मी को मेन होल में नहीं घुसना पड़ता है। वह मेन होल मशीन के द्वारा ही साफ हो जाता है। अगर मशीनें मिल जाएंगी तो सफाई की प्रोब्लम काफी हद तक हल हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्टाफ की शार्टेज थी, वहां पर 4 जे०ईज० में से 1 जे०ई० ही था। अब उस शार्टेज को काफी हद तक ठीक किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर पिरियोडिकल इन्सपैक्शन बड़े अधिकारी करेंगे तो वहां की समस्याओं में काफी सुधार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी

तरह से भिवानी से बाहर बहुत सी ऐसी कालोनियां हैं, जहां पर पीने के पानी की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 18 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं लेकिन हमें 2007–08 के लिए अभी 33 लाख रुपये ही मिले हैं जो कि बहुत ही कम है। अगर और ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो वहां पर पेयजल की समस्या हल हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कई गाँवों में हरिजनों के घरों में पानी का कनैक्शन और टंकियां सप्लाई हो गई हैं जिसकी वजह से वे लोग बहुत खुश हैं 1 अध्यक्ष महोदय, सरकार के इस कदम की वजह से उन लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा और बीमारियाँ कम होंगी। मेरा पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी से निवेदन है कि हमारे यहां पर दो वाटर वर्कस हैं और सीवरेज के दो डिस्पोजल हैं। वे दोनों के दोनों हॉट–लाईन पर नहीं हैं। अगर वे हॉट–लाईन पर हो जाएं तो मै समझता हूँ कि वाटर वर्कस और सीवरेज की डिस्पोजल ठीक परि।। रहेगी क्योकि जैसे कई बार तूफान आने की वजह से बिजली की समस्या खड़ी हो जाती है तो ये दोनों हॉट लाईन पर होने से ये दोनो के दोनो वाटर वर्कस काम करते रहेंगे और सीवरेज का डिस्पोजल भी काम करता रहेगा। मैं इरीगेशन मिनिस्टर कैप्टन अजय सिंह यादव जी का विशेषतौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पालवास माईनर का काम पूरा करवा दिया है। इसी तरह से सांगा माईनर का पैसा भी मंजूर हो गया है और इसका काम शीघ्रातिशीघ्र ही शुरू होने वाला है। आर०डी० 7 के बारे में जब भी मैंने इनसे बात की है तो इनका

रवैया बहुत सहयोगी रहा है। मेरी प्रार्थना है कि अगर इसका काम भी जल्दी करवा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि यह ग्रामीणों के लिए एक आशा की किरण होगी जो अवश्य पूरी होने जा रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और भाई दीपेन्द्र सिंह हुड्डा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भिवानी में हुडा के एक पार्क के लिए भोजेवाला तालाब की जगह का शिलान्यास किया जा चुका है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि 20.5.2006 को सी०एम० की जो अनाउसमैंट थी अगर उस पर काम जल्दी शुरू होगा और यदि इसमें गति आएगी तथा अगर हम इसको जल्दी से पूरा कर पाएंगे तभी आसपास की बस्ती में रहने वाले लोगों को इसका फायदा हो सकेगा। यह पार्क भिवानी के बीच में बनाया गया है। इससे न केवल भिवानी की सुन्दरता बढ़ेगी बल्कि पहले इस जगह से जो बीमारियां फैलती थीं क्योंकि पहले वहां पर कीचड़ थी, कमल उगते थे और उसमें गाय घुस जाती थीं तथा मोटे–मोटे साँप हो रहे थे इसलिए अगर यह पार्क बन जाएगा तो इससे सुन्दरता के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भै। अच्छा असर पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15.11.2006 को भिवानी में एक गर्ल्ज स्कूल बनाने की भी घोषणा की थी। इसका प्रस्ताव भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सरकार को भेजा जा चुका है। मेरी प्रार्थना है कि अगर यह प्रस्ताव सिरे चढ जाएगा तो लड़कियों के स्कूल की समस्या भी खत्म हो जाएगी। हमारे यहां पर केवल एक ही लड़कियों का स्कूल है और उसमें 2500 से भी ज्यादा लड़कियाँ पड़ती हैं। यह स्कूल दो

शिफ्टस में चलता है। सर्दियों में जब अंधेरे में लड़कियाँ अपने अपने घर पहुँचती हैं तो माँ–बाप का दिल भी धड़कता है इसलिए अगर यह स्कूल जल्दी बन जाए तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक वहां की समस्या हल हो जाएगी। इसी प्रकार से मेरे हल्के में राजगढ़ में एक पशु अस्पताल बनाने की भी काफी पुरानी मांग है और यह अब शायद पाईप लाईन में भी है। मेरी इस बारे में समय–समय पर इस विभाग के डायरैक्टर मि० दागी जी से भी बात होती रहती है लेकिन फिर भी इस पशु अस्पताल को बनाने में थोड़ी डिले हो रही है। मेरा अनुरोध है कि इस डिले को भी ठीक किया जाए। चूंकि वहां के एरिया में काफी पशुधन है इसलिए अगर यह पशु अस्पताल वहां बना दिया जाएगा तो इससे न केवल राजगढ़ के ग्रामीणों की बल्कि वहां के आस–पास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों की समस्या भी काफी हद तक हल हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं जब अपने हल्के के गाँवों में जाता हूँ तो वहां के दलित भाइयों की तरफ से यह मांग आती है कि उनको रहने के लिए प्लाटस दिए जाएं हालांकि मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी का इस तरफ ध्यान है लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस बारे में जल्दी कदम उठाए जाने चाहिएं। इस तरह से विकास के कामों में थोड़ी सी यदि गति को तेज कर देंगे और अगर हम उनको समय पर पूरा कर पाएंगे तो हम लोगों को ज्यादा खुश कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली): माननीय अध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया दै इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल से यमुना के पानी के बारे में यहां पर काफी चर्चा चल रही है कि चौटाला जी की सरकार से पहले जो चौधरी भजन लाल जी की सरकार रही थी उसने इस बारे में एक समझौता किया था। भजन लाल जी हरियाणा के 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे उन्होंने हमारे हिस्से का पानी, हरियाणा प्रदेश का पानी महज उस समय के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए दूसरे प्रदेशों को दे दिया। उन्होंने उस समय एक ऐसा निजी फैसला किया जोकि कैबिनेट के फैसले से अलग हटकर था। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा के साथ और खासतौर से दक्षिणी हरियाणा के लोगों के साथ बहुत बडा धोखा किया। 1994 से अगर यह पानी हरियाणा को मिल रहा होता और खासतौर से दक्षिणी हरियाणा के महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और गुड़गांव जिलों के उस पार्ट के मिल रहा होता जहां वाटर लेवल 400 फुट से लेकर 1400 फुट तक नीचे चला गया है तो कितना अच्छा होता। स्पीकर साहब, नांगल चौधरी की आज हालत यह है कि वहां पर वाटर लेवल हर साल बहुत ही नीचे जा रहा है हालांकि सरकार ने वहां पर काफी पानी के बोर मंजूर किए हैं लेकिन फिर भी वाटर लेवल हर साल नीचे ही जाता जा रहा है। वहां पर हमारे 'पानी के बोर भी फेल हो जाते हैं। अगर यह घात पिछली सरकासे नै हमार साथ नहा किया होता तो आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती। असल में यह बात चौधरी देवीलाल जी के

टाईम से खै। होना शुरू हो गया था। जब 1977 में वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 18 लाख एकड़ फुट नहरी पानी हिसार, सिरसा और नरवाना के एरियाज में दे दिया था। स्पीकर साहब, उस समय मैं हिसार में ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्ट्रडैन्ट था। आप भी वहां के स्ट्रडैन्ट रहे हैं इसलिए आपको भी पता है कि वहां पर कृषि का मेला हर साल लगता था। उस समय तो लोग यह जानते ही नहीं थे कि वाटर लेवल नीचे भी चला जाता है क्योंकि उस समय तो एक ही मांग होती थी कि फालतू पानी है वाटर लोगिंग हो रही है जिसके कारण नहरों के आसपास के एरियाज में हजारों एकड़ जमीन खराब हो रही है इसलिए वाटर लोगिंग की समस्या का समाधान किया जाए। मुझे अफसोस है कि इस समस्या को जानते हुए भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 13 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यमुना के पानी का समझौता किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में डाकुमैंटस अभी प्राप्त हुए हैं। जब हाई कोर्ट में रिट डाली गयी और जब हांसी बुटाना लिंक कैनाल के नाम से नहर बननी शुरू हुई तो दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने एक स्वप्न संजोया। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यह काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने पानी को लेकर बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी। हम श्री बंसीलाल जी के साथ भी रहे और दूसरे जिस मुख्यमंत्री के साथ भी हम रहे, हमने पानी को लेकर बहुत संघर्ष किया। पानी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमने पानी के बंटवारे के मुद्दे पर सभी का साथ दिया था लेकिन हमारा किसी ने साथ नहीं

दिया। पहली बार जब सदन शुरू हुआ और हमने विधान सभा की सदस्यता की शपथ ली और हम लोग सदस्य बने। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यहां वक्तव्य दिया कि नहरी पानी का बराबर वितरण होगा और उसी के मुताबिक उस पर कार्य किया गया। हांसी बुटाना लिंक नहर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आज मुझे यह दस्तावेज दिखाते हुए कोई गुरेज नहीं है कि चौधरी भजन लाल जी के पुत्र दक्षिणी हरियाणा मे रोज कहीं न कहीं दौरे पर जाकर घूम रहे हैं और उनकी पार्टी के उस समय के राज्यसभा के सदस्य रामजी लाल और उनके समय के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन गुरमेश बिश्नोई और मास्टर प्रेम सिंह ये वह टीम है जो कि उनकी नंबर वन की टीम थी। इसके सदस्यों ने 105 गाँवों का प्रस्ताव पारित करके हाई कोर्ट में भी याचिका डाली और गवर्नर को भी ज्ञापन दिया और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी 27.12.2005 को ज्ञापन दिया। यह बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं और जब बात .आती है हरियाणा प्रदेश के हितों की तो वे एक जिले के बनकर रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सत्ता में रहने पर मुख्यमंत्री जिसको कि राजा का दर्जा दिया जाता है, वे केवल एक सूबे के बनकर रह गए उनके खिलाफ सदन में कार्यवाही होनी चाहिए उनके खिलाफ सदन को प्रस्ताव लाना चाहिए। हमारे पूरे इलाके के साथ उन्होंने बहुत भेदभाव क्रिया है।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं वह बिलकुल सही कह रहे हैं। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि कालांतर में रावी व्यास का फालतू पानी हरियाणा को मिला जिसे सतलुज यमुना लिंक नहर के द्वारा हरियाणा के किसानों को दिया जाना था। परन्तु किसी कारणवश नहर आज तक पूरी नहीं हो सकी। 1980 से हरियाणा में 1. 66 एम०ए०एफ० रावी व्यास का फालतू पानी भाखड़ा मेन कैनाल से लाना शुरु कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसे वे फालतू पानी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वह पानी इस क्षेत्र को सिंचाई के लिए देना शुरू कर दिया क्योंकि यह पानी भाखड़ा कैनाल सिस्टम में आता है इसलिए इस सिस्टम को एक अंग माना जाए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सिस्टम पहले बना नहीं था इसलिए यह पानी मिल गया था। इसमें जो दस्तखत हैं वह एक तो रामजी लाल, ऐक्स एम०पी० के हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के गाँव मौहम्मदपुर सेही के लोगों के दस्तखत हुँ। अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि पानी का समान बंटवारा हो। इस बात से सभी मैंबर्ज सहमत हैं और मुख्यमत्री जी का ध्येय भी यही है कि पानी का समान बंटवारा होना चाहिए। यह उनकी नीयत को दर्शाता है। जैसा मैंने बताया कि हाई कोर्ट ने भी यह कहा है कि यह जो पेटीशन डाली गई है यह किसी मासूम किसान की नहीं है। इसके पीछे वे लोग हैं जिनको अनमास्क हाई कोर्ट ने कर दिया। वह किसी मासूम किसान का चेहरा नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री नरेश यादवः माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। दक्षिणी हरियाणा की पानी की समस्या के हल के लिए मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है लेकिन फिर भी हमारे इलाके का वाटर लैवल ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि हम नहरी पानी से वर्षो से वंचित रहे हैं। अब बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक नहर बनने जा रही है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति पिछले 15 सालों से पानी के लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को मुबारिकवाद देना चाहता हूँ कि ये हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश के समान पानी के वितरण के लिए घोषणा ही नहीं की बल्कि उसके अनुरूप हिम्मत करके इन्होंने 350 करोड़ रुपये की लागत से इस नहर के निर्माण का काम शुरू कराया। नहर के निर्माण का कार्य तो शुरू कर दिया गया है और पानी के बोर भी हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहपस चाहूँगा कि हमारे साथ अभी भी दिक्कत आ रही है। 50–60 करोड़ रुपये की स्कीम्स भी हमारे इलाके के पानी के हल के लिए मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, जो नहर बेस्ट स्कीम्ज हैं और जिनको नहरों के साथ जोड़कर पीने के पानी की सप्लाई की जा सकती है। जो हमारी महेन्द्रगढ़ मेन कैनाल है जब तक हमारे यहां पर पानी आयेगा तब तक इन्तजार करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस बारे में फैसला हो चुका है और लड़ाई लड़ी जा रही है और हम पानी लेने का प्रयास भी कर रहे हैं, हमें पूरी आशा है कि पानी आ ही जायेगा लेकिन क्योंकि पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है इसलिए इस समय

तक इन्तजार करना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए जी सरकार ने वाटर बेस्ट स्कीम दी है जिसके लिए लगभग पूरा पैसा हरियाणा सरकार जिला हैडक्यार्टर पर दे चुकी है। लेकिन हमारी स्कीमे पिछले डेढ साल से इसलिए कार्यान्वित नही हो पा रही हैं क्योंकि जो हमारा आखरी छोर पर कावी गाँव है वहां मुश्किल से पानी पहुँच पाता है इसलिए हमारी स्कीम कामयाब नही हो पाती क्योंकि रास्ते में लोग मोटर लगा लेते है और पलो को रोक देते हैं। जिसके कारण पीने का पानी भी आखिरी छोर तक नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए पहले भी एक स्पैशल स्कीम बनाई गई थी कि जहां मेन हैड से पानी अक्रा है वहां से पाईप लाईन लगाकर आखिरी छोर तक पीने का पानी पहुचाया जा सकता है जिसके कारण यह मामला ठीक हो सकता है।

Mr. Speaker: Now, please conclude.

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस०ई०जैड० की बात है वैसे तो हमारी किसान संघर्ष समिति ने इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी है और इसके लिए पूरी लडाई लड़ रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि किसानों का मालिकाना हक खत्म न हो। मुख्यमंत्री जी ने यह एक अभूतपूर्व फैसला किया है कि इस सरकार के बन जाने के बाद वर्ष 2005 के बाद हुडा और एच०एस०आई० आई०डी०सी० ने जो जमीन ऐक्यायर की है उसके लिए अगले 33 साल तक दस हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मुआवजा दिया जायेगा। माननीय श्री एस०एस० सुरजेवाला जी ने भी एक बात

रखी छै और खेर। भै। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन एं कि जो दूसरी कम्पनीज हैं चाहे वह रिलायन्स कम्पनी हो, डी०एल०एाफ० कम्पनी हो चाहे यूनीटैक कम्पनी हो जो किसानों की जमीन एक्वायर कर रहे हैं एस०ई०जैड० के लिए उद्योग लगा रहे हैं उनके ऊपर भी यह स्कीम लागू की जाए। दूसरा मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे नांगल चौधरी में बहुत ज्यादा पहाड़ हैं उनको लीज पर दिया जाता है। 20–25 पहाड़ों और नदियों को लीज पर दिया गया है और आजकल गाड़ियों का कम्पीटिशन ज्यादा हो गया है कि इतनी गाडियां, इतने टूक वहां पर चारों तरफ चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कुछ न कुछ बैरियर लगाने चाहिएं। वर्ष 2005 में यह सरकार बनने के बाद महेन्द्रगढ़ से रेवाड़ी, अटेली से कनीना, नारनौल से नांगल चौधरी तक की सड़कें 20– 30 करोड़ रुपये लगाकर सरकार ने बनाई थी वे सभी सड़कें बिलकुल खत्म हो गई हैं क्योंकि आम जनता तो इतना इन सड्कों को नहीं तोड़ती। जिन लोगों के क्रैशर जीन हैं वे ही इन सड्कों को तोड़ते हैं या जिनके पास नदियों के ठेके हैं उनके द्वारा इन सड्कों को तोडा जाता है। दूसरा अभी कुछ दिन पहले 85 नौजवान लड़के डम्पर की टक्कर लगने से मारे गये थे, हमारे वहाँ पर कोई ट्रॉमा सैंटर नहीं है कोई बड़ा होस्पिटल नहीं है और न ही ब्लड बैंक है इसलिए ईलाज के अभाव में मैंने कई बच्चों को मरते हुए देखा है। बिजली के लिए मुख्यमंत्री जी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और 4000 मैगावाट .अतिरिक्त बिजली बनाने जा रहे हैं। ईमानदारी से आपने यह स्टैप उठाया है इसके

लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आपसे निवेदन है कि इसके लिए टाईम बाउंड प्रोग्राम होता है। जो चीज पैसे से खरीदकर आप जनता तक पहुँचा सकते हैं जैसे ट्रान्सफारर्मज जल गया है, तार बदलनी है, खम्भे बदलने हैं उसके लिए हम बार–बार दरखास्त करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। मैंने पिछली बार भी सैशन के दौरान मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जो शगुन की 5 हजार या 15 हजार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मिलती है वह राशि शादी से पहले महेन्द्रगढ़ जिले में एक भी परिवार को आज तक नहीं पहुँची है। पिछले सैशन में भी कप यह आवाज उठाई थी।

श्री अध्यक्षः यादव साहब, आपने जो लिखकर समय दिया था वह शा हो चुका है इसलिए आप कट जाईये।

श्री नरेश यादवः स्पीकर साहब, मैं अपनी एक बात कहकर बैठ जाता हूँ वह यह है कि शगुन राशि यदि शादी से पहले गरीब परिवार को मिल जाये तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि गरीब परिवारों को कोई लोन भी नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार गारंटी योजना दो जिलों में चलाई थी जिसे अब और बढ़ा दिया गया है। रोजगार गारंटी योजना के तहत 2500 करोड़ रुपये सैंटर से भिजवाये हैं लेकिन काम के बदले अनाज योजना के तहत उन्हीं जोहड़ों को दोबारा खुदवा दिया जिन्हें पहले खुदवाया गया था और सड्कों पर भी दोबारा–दोबारा मिट्टी डलवा दी। मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रीपर

व्यवस्था होनी चाहिए। विधायकों और एडी.सीज की कमेटियाँ बननी चाहिएं ताकि अधिकारियों और दूसरे लोगों की जेब में पैसा जाने की बजाय असल मायने में गरीब मजदूर की कण में पैसा जाये। अध्यक्ष महोदय, अटेली मण्डी म्यूनिसिपल कमेदी 9 साल बाद बहाल की गई है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। 9 साल तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। वहाँ की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी से पहले भी मांग की थी कि अटेली मण्डी म्यूनिसिपल कमेटी के पास एक पैसा भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है। वहाँ बारात घर भी नहीं है और न ही आसपास कोई और सुविधा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अटेली मण्डी म्यूनिसिपल कमेटी के स्पेशल बजट देकर वहाँ विकास कार्य करवाये जायें।

श्री अध्यक्षः यादव साहब, प्लीज अब आप बैठें। यदि आपने कुछ और कहना है तो वह आप लिखकर भिजवा देना।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत) (एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रियशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी का तथा सरकार का विशेषतौर पर धन्यवाद करना चाहूँगी कि कलायत जैसे बैकवर्ड हल्के पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। जहाँ तक मैं सिंचाई की बात करूँ मेरे हल्के के सीसर माईनर और बालु सण्डील माईनर का सिंचाई मंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है और कपिल मुनि माईनर का कार्य प्रगति पर चल रहा है। अध्यक्ष

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगी कि पिछली बार मेरे हल्के के गाँवों में टेल पर पानी नहीं पहुँचा था लेकिन सिंचाई मंत्री जी ने हमारे वहाँ सभी माईनर्ज की सफाई करवाई है और टेल तक पानी पहुँचाया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगी कि सफाई के जो टैण्डर दिये जाते हैं तो हैड पर तो सफाई हो जाती है लेकिन टेल पर सफाई नही होती इसलिए मैं चाहूँगी कि सफाई के टैण्डर टेल से हैड के करने के दिए जायें ताकि सभी जगह सफाई हो सके और पानी टेल तक पहुँच सके। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पर जरूरत है वहीं पर री –मॉडलिंग का कार्य किया जाये। मेरे हल्के में केवल शिमला गाँव ऐसा बचा है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा। इसके लिए मैंने मंत्री जी से बात की है कि वहाँ पर पानी पहुँचाया जाये। हमारी यह डिमांड अंडर कसीड़ेशन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के कत्नायत में सिंचाई विभाग का नया सब–डिवीजन आफिस बना है जो कि वहाँ के लोगों की बहुत पुरानी माँग थी। इसके लिए मैं मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पर अधिकारियों ने बैठना शुरू कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि जिन अधिकारियों के कलायत आफिस में कार्य करने के आदेश हुए हैं वे समय अनुसार वहां बैठें और केसिज की जितनी भी हियरिंग हैं, उनको सुनें ताकि मेरे हल्के के लोगों को कैथल और नरवाना न जाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बिजली की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बिजली की आज जो स्थिति है वह पिछली

सरकार की वजह से है। हमारी सरकार ने इसमें बहुत सुधार किया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक नवम्बर से यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का एक यूनिट काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेदड गाँव में पावर प्लांट का शिलान्यास किया है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त झज्जर जिले के झाडूली गाँव में भी बिजली का प्लांट लगाने का कार्यक्रम है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी सरकार बिजली उत्पादन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है ताकि प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जा सके। मेरा हल्का रूरल हल्का है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि मेरे हल्के में पुराने लोड के हिसाब से ट्रांस्फार्मर लगे हुए हैं। अब उन पर लोड बहुत ज्यादा होने की वजह से अक्सर वे जलते रहते है ओंर हमें बार–बार अधिकारियों को ट्रांस्फार्मर बदलने के लिए कहना पड़ता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जहाँ पर लोड ज्यादा बढ़ गया है वहाँ उसी के हिसाब से नये ट्रांस्फार्मर लगाये जायें। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बिजली की तारों की बात है, बिजली का उत्पादन जब होगा तब बिजली की सप्लाई कर दी जायेगी लेकिन इससे पहले जो बिजली की प्ल और टूटी हुई तारे हैं जिनको ठीक करने के लिए हम बार–बार आग्रह करते हैं कम से कम उन प्ल और टूटी तारों को अवश्य बदला जाये। विशेषकर हरिजन बस्तियों में जो तारे प्ल हैं या टूटी हुई हैं उन्हें तो बहुत जल्दी बदलवाया जाये क्योंकि हरिजन बस्तियों में बल्लियों के सहारे से बिजली की तारे लगाई हुई हैं।

हमने कई बार टूटी हुई तारों की फोटो खिचवाकर अधिकारियों के पास भिजवाई हैं और इन तारों को ठीक करने की माँग भी कई बार की है लेकिन आज तक ठीक नहीं हुई हैं। मेरे हल्के के गाँव खेडीलाम्बा में बिजली की तार टूटने से तीन–चार भैंसे मारी गई और इसके अलावा भी कई हादसे हुए हैं। बाता गाँव में हमारी तारे हैं। सभी गाँवों में यह समस्या है मैं तो केवल यह कहना चाहूँगी कि एक स्पैशल अभियान चलाकर ये जो पुरानी तारे हैं इनको बदलने का कार्य किया जाये क्योंकि यह समस्या पूरे हरियाणा में एक ही प्रकार की है और वैसे भी हमारा जो कलायत सब–डिवीजन है वह नरवाना डिवीजन में पड़ता है जो कि जीन्द जिला में है। हमारी पी डब्ल्यू डी. का और बिजली का भी डिवीजन नरवाना में ही पड़ता है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि जीन्द जिला में हम लोगों की बहुत कम सुनवाई होती है। जबकि हमारे हल्के के कइ गाँव जीन्द जिला में पड़ते हैं लेकिन वहाँ के अधिकारी हमारी बहुत अनदेखी करते हैं।

Mr. Speaker: Now, please conclude Madam.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का कार्य कलायत जैसे क्षेत्र में बहुत ही तेजी से हो रहा है। चारों तरफ हमारे 3– 4 रोड् स बनकर तैयार हुए हैं लेकिन एक सामरिक महत्व का हमारा कलायत मेन रोड जो है जिसका निर्माण कार्य तकरीबन डेढ़ वर्ष से चल रहा है। सरकार ने हमारे पास उसका पैसा भी दिया हुआ

है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें अफसरों की गलती है कि कंट्रैक्टर्ज की गलती है। पैसा होने के बावजूद भी तकरीबन डेढ वर्ष से उसका निर्माण कार्य इस समय लटका पडा है।

Mr. Speaker: Now, please conclude Madam.

श्रीमती गीता भुक्कलः हमारे कलायत का बस अड्डा जो बहुत महत्वपूर्ण है। कलायत बस अड्डे के नाम पर पिछले 36 वर्षों से राजनीति होती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 अक्तूबर, 2006 को उस पर नींव पत्थर भी रखा है। उसका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि उस पर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये और मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगी कि हरियाणा रूरल डिवलपमैंट अथारिटी के नाम से जिस तरह से इसका गठन हुआ है कि गाँवों की भी जो तरक्की है वह शहरों के हिसाब से होगी तो एक तो हमारी सबसे बड़ी मांग है विशेष तौर से कलायत जैसे बैकवर्ड एरिये के लिए महिलाओं के शौचालयों के लिए पैसा दिया जाये जिस तरह से एल०ए०डी०टी० स्कीम के तहत सभी गाँवों में गलियां पक्की करने के लिए पैसा दिया गया है महिलाओं के शौचालयों के लिए भी पैसा दिया जाना चाहिए क्योंकि महिला विधायक होने के नाते हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समय कंस्ट्रक्शन को काम चल रहे हैं। चारों तरफ रोड्स और सड़कें बन रही हैं। शौचालय न होने से महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के तहत हमारे पास करीब 5706 टायलैट्स

का पैसा आया था लेकिन सभी टायलैट्स बनकर तैयार नहीं हुए। इसकी भी जरूर जांच की जाये और एक बात केवल मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर गाँववासी और हमारी पंचायते हमारे पास आती हैं कि नहर से जोहड़ तक के लिए उनको पक्के खाले कराने पड़ते हैं इसके लिए भी एक स्पैशल पैकेज अनाऊंस किया जाये ताकि हरेक गाँव की मांग देने की बजाये सभी गाँवों के जोहड़ों को नहर से पक्के खाले से जोड़ दिया जाये ताकि समय–समय पर इस प्रकार की समस्या का समाधान हम कर लें। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 हजार सफाई कर्मी लगाए जाएंगे यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि पक्की गलियां और सड़कें सब कुछ बना दिए लेकिन उसके बावजूद भी गाँवों में काफी गंदगी रहती है तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर कलायत में कॉलेज बनाने की एक बहुत पुरानी मांग है जिस पर ध्यान दिया जाये और जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर कलायत में एक महिला कॉलेज बनाया जाये ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मॉडल स्कूल बनाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसका भी अगर निर्माण कार्य अतिशीघ्र शुरू हो जाये तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी। अपने कलायत क्षेत्र के लिए 132 के०वी०ए० के सब–स्टेशन की मांग भी हमने अक्सर की है। अगर 132 के.वी.ए. के सब–स्टेशन का निर्माण सम्भव न हो तो उसको 66 के.वीए. का ही बना दिया जाये तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

श्री अध्यक्षः श्री अरजन सिंह।

श्री अरजन सिंह (छछरौली): स्पीकर सर, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। वैसे तो जिस नीयत और नीति से यह सरकार काम कर रही है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि जो औपचारिक भूमिका अपोजीशन वालों को निभानी चाहिए उसे न निभाकर वे बिना मतलब के और फिजूल बोलते हैं। जो भूमिका अपोजीशन को निभानी चाहिए वह भी हमारे कांग्रेस के भाई ही समस्याओं को उठाकर निभा देते हैं। इसमें जहाँ तक किसी समस्या का सम्बन्ध है तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किसी समस्या का पता चलना चाहिए उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि उन्होंने मेरे हल्के छछरौली की जो भी समस्या और काम, मैं उनके ध्यान में लाया उसके लिए उन्होंने सराहनीय काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी डिमाण्ड यह है कि मुझे और माननीय सदस्य श्री सुखबीर सिंह रोहट दोनों को इकट्ठे बिठा दिया गया है। पहली बार चुनकर आने के कारण हम दोनों में से किसी को सदन की कार्यवाही का कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वही बात वह मुझसे पूछना चाहते हैं। जैसे आज मैं सोच रहा था कि उनसे जीरो ऑवर के बारे में पूछूँगा लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे ही पूछ लिया कि जीते ऑवर कब होगा? तो स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें किसी पुराने मैम्बर

के साथ बिठा दिया जाये। इनेलो वालों के साथ तो न बिठा देना किसी ऐसे मैम्बर के साथ बिठा दीजिए जो कुछ जानता हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल मुख्यमंत्री जी को अपनी एक डिमाण्ड दी थी। मेरे हल्के में 14 सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात इसलिए रह जाती हैं क्योंकि श्री निर्मल जी ने भी प्रश्न संख्या 798 दिया था जो सड्कों के निर्माण बारे था। उनका हल्का भी मेरे हल्के के साथ लगता है।

श्री अध्यक्षः आप अपनी बात कहते रहिए आपकी बातें नोट की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी सभी बातों को सुन रहे हैं।

श्री अरजन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी को मेरे हल्के की छोटी–छोटी 14 सड्कों की डिमाण्ड दी थी। उन सड्कों कें टूटने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ नदियाँ ज्यादा हैं। नदियों ने गाँव के गाँव उजाड़ दिये थे और फिर कोई कहीं पर बस गया कोई कहीं पर। पानी उतरने के बाद कुछ लोग वापिस आ गये। सभी गाँवों को सड्कों से जोड्ने की स्कीम के तहत नये गाँवों तक तो सड़क चली गई और वे पुराने गाँव जो दोबारा से बसे थे वे बिना सड्कों के रह गये। ये वही छोटी–छोटी सड़कें हैं। कोई एक किलोमीटर है कोई डेढ़ किलोमीटर लम्बी है। केवल दो ही सडकें तीन किलोमीटर लम्बाई की हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को दिया था उन पर गौर किया जाये।

श्री अध्यक्षः अरजन सिंह जी आजकल आपका पॉपूलर किस भाव बिक रहा है? श्री अरजन सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आजकल पॉपूलर बहुत अच्छा बिक रहा है। चौटाला के समय में काटने वाले की दिहाड़ी, ट्रांस्पोर्ट का खर्चा और आढ़ती को खर्चा अगर निकाल देते तो किसान को सिर्फ वे खूंटे ही बचते थे जो ट्राली में लगाकर ले जाते थे क्योंकि आढ़ती उनको लेता नहीं था। उसके अलावा कुछ नहीं बचता था। सबकुछ खर्च हो जाता था। उस समय जो ट्रॉली 12 – 12 हजार की बिकती थी आज वही ट्रॉली 70 हजार रुपये की बिकती है। लोगों को 50–50 हजार रुपये का नुकसान उस समय हुआ है। आज किसान खुशहाल है और हर घर में चिनाई का काम चल रहा है मोटरसाईकिल और कारें आ गई हैं। इसी प्रकार से जो गन्ने की ट्रॉली आज 7 हजार रुपये की बिकती है वह उस समय 5 हजार रुपये की बिकती थी। किसान को 2–2 हजार रुपये का फायदा एक–एक ट्रॉली पर आज की सरकार ने करवाया है। आज की सरकार बहुत ही नेक नीयती से चल रही है। आज तो कोई समस्या केवल उनको बतलाने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरन्त ही उस समस्या का समाधान कर देते हैं। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस मुख्यमंत्री की उम्र लम्बी हो। हमारी उम्र भी इनको लग जाये। ऊपर हमारे जो प्रैस वाले साथी बैठे हैं ये सभी बातों को देखते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं कि हाउस के अन्दर क्या–क्या बातें हुई हैं। अच्छी बातों का भी ये

प्रचार करते हैं और बुरी बातों को भी लिखते हैं। ये बाहर जाकर बता देते हैं कि इनैलो के साढ़े आठ ही एम०एल०ए० हैं।

श्री अध्यक्षः साढ़े आठ कैसे बनते हैं?

श्री अरजन सिंहः अध्यक्ष महोदय, एम०एल०ए० तो 9 थे लेकिन एक एम०एल०ए० जो पिछले अढ़ाई साल से आया ही नहीं, जिसकी कुर्सी खाली पड़ी थी वह आधा ही गिना जायेगा। इस तरह से साढ़े आठ ही एम०एल०ए० हुए। इनैलो सरकार ने तो अपने कार्यकाल में बोर्ड ही बोर्ड लगाये हैं। अगर जितना पैसा बोर्डी पर लगवाया उतना विकास करते तो लोग अपने आप ही कहने लग जाते उनको बोर्ड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोर्डीं पर नारे भी कैसे– कैसे लिखते थे–

नेक इरादे, निभाये वायदे,

जितने कमाये, मेरी डिग्गी में धरवादे। (हँसी)

उन्होंने चौधरी देवी लाल की प्रतिमा लगाने के अलावा कोई विकास काय नही किया। मैं चौधरी देवी लाल का आदर करता हूँ। उस आदमी की नीयत इतनी माड़ी नहीं थी जितने बुरे काम इसने किये हैं। मेरे इलाके में भी चौधरी देवी लाल की प्रतिमा लगी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बार क्या हुआ कि हमारे इलाके का एक आदमी पंजाब से दो भैसें लेकर आया था और नहर में उनको नहलाने लग गया। वे भैंसें चौधरी देवी लाल की मूर्ति को देखकर ऐसी डरी कि बेचारे गरीब आदमी की वे भैंसें

आज तक नहीं मिली हैं। उसको देखकर भैंसों को लगा कि यह न तो आदमी है, न मंदिर है, न मस्जिद है फिर यह काला–काला क्या है। वह पंजाब से लेकर आया था अगर हरियाणा से ली होती तो शायद वे सोचती यह आदमी कहीं पर देखा भाला लगता है। चौधरी साहब, मेरी आप लोगों से अर्ज है कि जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं परमात्मा आप लोगों को सद्बुद्धि दे और आप नेक काम करते रहें। अभी राम कुमार गौतम जी यहाँ पर कह कर गए हैं सबसे ज्यादा योगदान उस सरकार में इन्हीं लोगों का था। पिछले वाली सरकार ने अगर कोई ढंग का काम किया था तो वह इन लोगों को ठीक करने का किया था। इनका काम तो वह था कि किसी सरदार के घर के पड़ौस में कोई दूसरा घर था जिसने बहुत ही अच्छी भैंस पाल रखी थी और वह भैंस बहुत अच्छा दूध दे रही थी। वह आदमी अच्छा दूध पी रहा था और अच्छा घी खा रहा था। उस आदमी ने वह भैंस बेच कर घोड़ी ले ली। स्पीकर साहब, घोड़ी के नीचे दूध कहाँ था, फिर वह डिब्बा उठाकर लस्सी लेने के लिए दूसरे घर जाने लगा तो वह सरदार कहने लगा–

मझ वेच के घोड़ी लई, देख नपुत्ते दी अक्ल गई,

दुध पीणो गए लिद् चुकनी पई।

स्पीकर साहब, इन्होंने वही काम किया, कहाँ तो मुख्यमंत्री बने हुए थे और कहाँ लीद सीतनी पड़ रही है। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत अच्छे

काम वे कर रहे थे और बिजली की सप्लाई को ठीक करने का काम कर रहे थे लेकिन इन लोगों ने उनकी सरकार तुड़वा दी और अब खुद सड्कों पर फिर रहे हैं। जिसकी भी कार निकलती है उसको देखते हैं और सोचते हैं कि यह कार कभी हमारे पास थी और उस कार में हम बैठते थे। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई ऐसी वैसी बात करनी चाहिए बल्कि उन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी के साथ गलत काम या किसी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहिए। इन्होंने गो काम किया वह हरियाणा की जनता के साथ धोखा था। अध्यक्ष महोदय, यह तो हरियाणा प्रदेश की जनता की खुशकिस्मती थी जो आप लोगों की सरकार इस प्रदेश को मिल गई और हुड्डा साहब के रूप में उनके जीवन को ऑक्सीजन मिल गई वरना यह प्रदेश तो बर्बाद ही हो रहा था। दो ही चीजें हाथ में होती एक तो गरीब जनता के हाथ में कटोरा और दूसरा छुरा। उनके हाथ में कटोरा होता तो कोई उनको कुछ देता नहीं और छुरा किस घर चलाना था वह भी अपने पर ही चलता 1 अध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात न निकल जाए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सड़कें बनवा दीजिए। एक काम और सुरजेवाला जी ने कहा था कि दलित गरीब जनता पर थोड़ा तरस करो और उन पर रहम करो। इन लोगों के पास न कोई जमीन है और न ही कोई जायदाद है। वे सारा दिन मेहनत करते हैं और खून–पसीना बहाकर अपनी गुजर बसर करते हैं। उनके पास रहने

का कोई स्थान नहीं है जिस पर वे अपने पैर पसार कर सो सकें। मेरा अनुरोध है कि सरकार उन लोगों को प्लॉटस देने के बारे में विचार कई इससे इस सरकार के प्रति जनता में बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा और उन लोगों को भी महसूस होगा कि भगवान ने उनके लिए भी कुछ कर दिया है। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश शर्मा (बादली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपसे शिकायत भी है कि कल पूरा दिन मैं अपना हाथ खड़ा किये रहा लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा। अगर आप कल देख लेते तो दो–दो भ्रष्टाचारियों के मुखिया यहाँ मौजूद थे जिन्होंने प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा और हरियाणा प्रदेश के साथ कूरता का व्यवहार किया। अगर आप कल मुझे दो मिनट बोलने का समय दे देते तो कुछ और ही बात होती। मैं अब भी आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। स्नीकर साहब, आप जब हम गाँवों को अन्दर जाते हैं औ२ लोगों के बीच में जाकर बताते हैं कि हुड्डा साहब ने यह–यह रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं और यह–यह काम करवा दिये हैं तो किसान मजदूर और 36 बिरादरी के लोग बड़े खुश होते हैं और हम लोगों को बड़ी शाबासी देते हैं कि ऐसे बढ़िया आदमी का आप साथ दे रहे हैं जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं, देशभक्त परिवार से हैं और खानदानो

व्यक्ति हैं। स्पीकर साहब, मैं एक बात बड़ी मायूसी से कहता हूँ कि उन जल्लादों का क्या होगा जिन्होंने जातिवाद के नाम पर राजनीति की, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को भारत के मानचित्र पर बदनाम किया, खरीद–फरोख्त की राजनीति की, उन लोगों का आज तक ईलाज नहीं किया गया, हम इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे लोग यहाँ पर मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। पीछे से बुराई करने में हम विश्वास नहीं करते लेकिन सही बात कहने से रुकते भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहसूस करता हूँ कि प्रैस वाले मेरे भाई हरियाणा प्रदेश में मेरी आवाज को पहुँचा देंगे। स्पीकर साहब, हमारे पास जवाब नहीं होता। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर भाई ने राम लीला देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी और अब हम हुड्डा लीला देख रहे हैं। हुड्डा लीला के अन्दर हमने काम किया है बहुत लम्बा संघर्ष हुआ था राक्षसों का वध करते–करते हम भी थक चुके थे। हुड्डा साहब का विजय रथ चला तै। उससे आवाज आई चिन्ता मत करो अब मन्जिल दूर नहीं है। उस वक्त जब हुड्डा साहब संघर्ष कर रहे थे तो उनके सारथी के रूप में दागी साहब और डॉ. रघुवीर सिंह कादयान जी पूरा जोर लगा रहे थे और हमारी हिम्मत का ठिकाना न था। कुछ राक्षसों का वध कर दिया गया और कुछ छिप गए। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जब तक वे लोग जेलों की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक न्याय नहीं होगा। स्पीकर सर हरियाणा के

लोग कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने घोषणा–पत्र में जो जो वायदे किए थे, वे सभी पूरे कर दिए हैं। लेकिन वे लोग हमारे से पूछते हैं कि ये लोग अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए हैं। हमारे से यह पूछा जाता है कि जिन्होंने किसानों के साथ कुठाराघात किया, 9–9 निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाई और उनके खून के साथ होली खेली थी उन लोगों का क्या हुआ, वे लोग आज तक जेलों में क्यों नहीं गए हैं? स्पीकर सर, हमारे से यह भी पूछा जाता है कि जो लोग यह कहते थे कि हम बनियों का वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे उनका क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही वे पूछते थे कि बादली हल्के से हुड्डा ने किसको टिकट दिया है तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि एक गरीब ब्राह्मण के बेटे को दिया है। वे लोग बड़े–बड़े ऊंचे मंचों से घोषणा करते थे और हाथ उठाकर कहते थे कि हम उस गरीब ब्राह्मण के बेटे को हरियाणा विधानसभा की दहलीज नहीं देखने देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज लोग पूछते हैं कि उन लोगों का क्या हुआ। स्पीकर सर, हर पार्टी के साथ उन लोगों ने अन्याय किया था चाहे वह कोई पार्टी हो या चाहे वह पार्टी उनको समर्थन देने वाली पार्टी ही क्यों न हो। जो भी उनके खिलाफ हुआ, उनको जेलों में डाल दिया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी, उन पर 302 के, झूठे मुकदमे डलवा दिए जाते थे। आज लोग पूछते हैं किं उनका क्या हुआ है। जो हरियाणा में इतनी जलालत करते थे, जो हरियाणा के अन्दर कूरता करते थे, उन लोगों का क्या हुआ। स्पीकर सर, जनाधार किसी को मिलता था, जनादेश

किसी को मिलता था लेकिन खरीदफरोख्त करके मुख्यमंत्री वे लोग बन जाते थे। स्पीकर सर, आज लोगों का धैर्य समाप्त हो गया है। आज एक ईमानदार आदमी, देशभक्त परिवार का लड़का हरियाणा का. मुख्यमंत्री बना है, अगर आज भी उन जल्लादों का ईलाज नहीं हुआ तो आने वाले समय में इनका इलाज करने वाला हरियाणा में कभी कोई पैदा ही नहीं होगा। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि उनका इलाज किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में देख रहा था कि एक भाई हमारी बहनों के पास पीली चुंदड़ी औढ के बैठा हुआ था। मैंने उसको पीछे से हाथ लाश्कर देखा तो उसने अपना मुंह पीछे किया तो उसकी मुँछ दिखी। मैंने कहा कि तू मलिक कौन सी चूंदड़ी औढ रैया से। वह कुछ नहीं बोला। (विघ्न) मैंने सोचा कि कोई नई बहन सदन में बैठी है, उसको चाय पिला कर ले आऊंगा। स्पीकर सर, आज मलंग चुंदड़ी औढ के बैठन लग रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मलंग कब से चुंदड़ी औढन लग गए हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ऐसा आग्रह है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नमक खाया, धन खाया .और लास्ट टाईम में कांग्रेस पार्टी को खा गए थे, उनका इलाज होना चाहिए। स्पीकर सर, मैं तो यह कहता हूँ कि यह तो भला हो सोनिया गांधी जी का जिन्होने हुड्डा साहब जैसे आदमी कों पार्टी प्रैजिडैंट बनाया और इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा से जिन्दा हो गई। आज हरियाणा के अन्दर उसी कांग्रेस

पार्टी की सरकार उसी नेतृत्व में 36 बिरादरी को साथ लेकर काम कर रही है। लेकिन मेरा फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अगर इन जल्लादों का इलाज नहीं हुआ तो आज की कांग्रेस की सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। स्पीकर सर, मुझे हरियाणा के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है लेकिन मैं एक बात सदन में बताना चाहूँगा कि बादली विधानसभा के अन्दर ढांसा बोर्डर के पास जमीन एक्वायर ला गई थी। उस समय 2 लाख 60 हजार रुपये प्रति एकड़ का रेट किसानों को दिया जा रहा था। स्पीकर सर, वह जमीन एक्सप्रैस हाई–वे कैं लिए एक्वायर की गई थी। स्पीकर सर, हुड्डा साहब की नीतियों के आधार पर और कांग्रेस पार्टी की मेहरबानियो से आज उसी जमीन की मुआवजा राशि 22 लाख रुपये प्रति एकड के रेट से किसानों को दिए जा रहे हैं। आज जब किसान मुआवजे का चौक लेता है तो वहाँ पर उद्घोष होता है, एक नारा लगाया जाता है कि ' जय हुड्डा बाबा की '। एक बार आप सब भाई भी बोल दो ' जय हुड्डा बाबा की '। किसान जब चौक लेकर आते वै तो बैग उनको लेने से इंकार कर देते हैं। मेरा बादली विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस समय केवल पंजाब नेशनल बैंक या एक और दूसरे बैंक की ब्रांच है 1 हिन्दुस्तान के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर यही एक ऐसा हल्का है जहाँ पर जो बैंक हैं वे लोगों से पैसा लेने से मना कर देते हैं क्योंकि बैंक्स में पैसा रखने के लिए जगह ही नहीं है। स्पीकर साहब, आज की सरकार 36 बिरादरी की सरकार है यह सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार हे। पिछली सरकार

ने हरिजन भाइयों के लिए एक कन्यादान नाम की स्कीम चलायी थी। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता था। इस स्कीम के तहत उस समय केवल साढे तीन हजार रुपया ही हरिजन की बेटी की शादी के लिए दिया जाता था लेकिन अब हुड्डा साहब के प्रताप से इस कन्यादान योजना की राशि को साढ़े तीन हजार रुपये से बढ़ाका 15 हजार रुपये कर दिया गया है जिसके लिए मैं हरियाणा की सरकार को बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से जौ गरीबी को रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे उनको मकान बनाने के लिए पहले 14 हजार रुपये का सामान दिया जाता था और इसमें से कुछ पैसा तो सरकार कर्मचारी ही डकार जाते थे। अब कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब की सरकार ने इस 14 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया है जिसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसी तरह सेर अध्यक्ष महोदय, लैंड लैस का जो लोन हरिजन भाइयों को दिया जाता था उसमें भी बहुत बड़ा खिलवाड़ होता था। इसके लिए 6–6 महीने तक लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन आज की सरकार ने उस लोन राशि को बढाकर चालीस हजार रुपये कर दिया है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने अब तक सरकार से की हैं उन सबको सरकार ने मान लिया है और अब उन पर काम भी चल रहा है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है। एक सामुहिक तथा एक सुत्री मांग है, मैट्रो लाईन की। यह

वाया बादली–झज्जर तक जोड़ी जाए और अगर इसको बेरी तक पहुँचा दिया जाए तो फिर यह सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह सामुहिक मांग, बहन अनिता जी, भाई हरिराम, जून साहब, हमारे युवा साथी, युवा दिलों की धड़कन एम०पी० दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की और एक और गुप्त आशीर्वाद है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि यह मेरी मजबूरी है, की है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह मांग पूरी की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बादली हल्के की जो नहरें हैं उनकी टेल तक पहले पानी बिलकुल नहीं गया या बहुत कम गया है। स्पीकर साहब, इनमें से तीन नहरें ऐसी हैं जिनकी टेल तक पिछले चालीस सालों में कभी पानी नहीं गया। अब उनमें पानी गया है और बहुत ज्यादा पानी गया है। अब उनमें इतना पानी गया है कि चार सौ, पांच सौ एकड़ जमीन डूब जाएगी। पहले लोग कहते थे कि नहरों में पानी लेकर आओ और अब जब ज्यादा पानी लेने के लिए हुडा साहब के गेल हो लिए तो पानी लाने का फार्मूला तो निकल गया है लेकिन अब लोग कहते हैं कि यह पानी रोको। अब पानी रोकने के फार्मुले का तो हमने भी जेर। नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे यहाँ पर 8 नम्बर ड्रैन है उससे अगर दो तीन किलोमीटर तक इन नहरों को बढ़ा दिया जाए तो उससे 15 –20 गाँवों को फायदा मिलेगा और पानी का सदुपयोग भी हो जाएगा। जय हिन्द।

Mr. Speaker: Question is -

That the Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is -

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-I

Mr. Speaker: Question is --

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion is carried.

समिति का गठन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, on the suggestion put by the Parliamentary Affairs Minister and with the sense of the House, I nominate the Committee of this House to go into the following:-

1. To review the document signed by the then Chief Minister in 1994 for Renuka and Kishau Dams.

2. To suggest terms for Lakhwar Vyas Dam.

3. To suggest terms for construction and maintenance of these Dams by a Central Agency on the pattern of B.B.M.S. to avoid inter-State disputes.

4 To analyze the circumstances which led to the signing by the then Chief Minister of 1994 M.O.U. regarding sharing of Yamuna water and discrepancy between Cabinet decisions and the signed document.

With the following Members:

	Dr. Raghuvir Singh Kadian, Honble Speaker	Chairman
	Capt. Ajay Singh Yadav	Member Secretary
	Shri Bhaj an Lal	Member
	Shri S.S. Surjewala	Member
	Shri Birender Singh	Member
	Shri Phool Chand Mullana	Member

	Smt. Rekha Rana (INLD)	Member
	Shri Ram Kumar Gautam (BJP)	Member
	Shri Sukhbir Singh (NCP)	Member
	Shri Arjan Singh (BSP)	Member
	Shri Radhey Shyam Sharma (Independent)	Member

वित्तमंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिह): अध्यक्ष महोदय, इसमें एकटर्म और ऐडहोनी चाहिए कि अगर ऐसे डॉक्यूमैंट्स हैं जो हरियाणा प्रदेश के हित में नहीं हैं उनको ऐप्रोगेट करने के लिए उनको खत्म करने के लिए भी होना चाहिए। यह इन कंडीशज में नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप मैंबर हैं। आपको पूरी अथारिटी होगी कि आप उसमें ये नियम डाल सकते हैं।

विधान कार्य (पुनरारंभ)

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg

to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill. The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 3 stand part of the Bill. The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is -

That Schedule be the Schedule of the Bill. The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 1 stand part of the Bill. The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That **the Bill be** passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा टैक्स ऑन लग्जरीज बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Tax on Luxuries Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Tax on Luxuries Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Tax on Luxuries Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Tax on Luxuries Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Tax on Luxuries Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill

Clause by Clause.

Sub Clause-2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub Clause-2 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause-3 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub Clause-3 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses-2 to 43

Mr. Speaker: Question is --

That Clauses-2 to 43 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause-1 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub Clause-1 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा वैल्यु एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill,

2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब पेसेन्जर्ज एंड गुडज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move -

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana

Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is **-**

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 1 stand part of the **Bill.**

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move -

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, **I** beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is —

That Clause i stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

13.00 बजे

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए मुबारकवाद देना चाहता हूँ कि हरियाणा में पहली बार वाईस–चांसलर की पोस्ट के लिए क्राइटइरिया और क्वालिफिकेशन लेड–डाऊन की हैं। पूरे हिन्दुस्तान में यू०जी०सी० ने चिट्ठियाँ लिखी, उनकी पुरानी हिदायतें हैं कि वाईस–चांसलर ऐसी पोस्ट नहीं है कि किसी को भी उठाकर आप वाईस–चांसलर लगा दो। इसके लिए क्वालिफिकेशन हो, जो इस फील्ड में बहुत परटीनैंट हो। कोई ऐसा आदमी हो जिसकी ऐजूकेशन के लिए कमिटमैंट हो। सरकार ने जो इन चारों यूनिवर्सिटीज के लिए बिल इन्ट्रोड्यूस करके ये जो क्वालिफिकेशन लेड–डाऊन की हैं यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं गाँव की शिक्षा की बात करना चाहूँगा, जहाँ 70 प्रतिशत लोग रहते हैं वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन यूनिवर्सिटीज का स्तर ऊंचा करने से हरियाणा में शिक्षा का प्रचार–प्रसार नहीं हो सकता। गाँवों के 70 प्रतिशत लोगों के बच्चों को क्वालिटी ऐजूकेशन उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण से उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं मिल पाती। साईंस एण्ड टैंक्नोलॉजी जैसे नये–नये विषयों की शिक्षा वे प्राप्त नहीं कर पाते। इसका नतीजा यह है कि आज हमारे गाँवों के पड़े हुए बच्चों को 10+2 करने के बाद, हायर ऐजूकेशन के लिए मैडिकल में, नॉन मैडिकल में तथा कहीं भी अच्छी जगह एडमीशन नहीं मिलता। हमारे गाँवों के पड़े

हुए बच्चे, ये 10– 15 परसैंट जो लोग हैं जिनके माता– पिता पैदा होते ही उनको अंग्रेजी सिखाते हैं उनसे बिलकुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो यह जो बेजोड़ की कुश्ती है इसको खत्म करना चाहिए नहीं तो दो हिन्दुस्तान बनते जा रहे हैं। एक वह हिन्दुस्तान है जहाँ 70 प्रतिशत गाँवों के लोग रहते हैं और एक वह हिन्दुस्तान है जहाँ 10– 15 प्रतिशत शहरों के पढ़े लोग हैं। हरियाणा शिक्षा जगत में बहुत पीछे रहा है। इस सरकार ने शिक्षा का बजट बहुत बढ़ाया है और शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। शिक्षा पर एक्सपैंडिचर भी बहुत होता है और हमारी यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हैं लेकिन गाँवों के स्तर की शिक्षा को सुधारने के लिए चाहे हमको टीचर बाहर से लाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। मैंने तो भारत सरकार को भी सुझाव दिया था कि बी०एस०एन०एल० जैसी कम्पनी जो कि कई लाख करोड़ रुपये में बिक सकती है उसको बेच दिया जाये लेकिन गाँवों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और दो हिन्दुस्तान न बनने दिये जायें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि उनको गाँवों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और साईंस एण्ड टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर जैसे नये विषयों पर विशेष जोर देना चाहिए। जो सिर्फ आर्ट के कॉलेज हैं, जो सिर्फ बी०ए० या सिर्फ एम०ए० के कॉलेज हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए और प्रोफैशनल एजूकेशन देनी चाहिए।

श्री नरेश यादव (अटेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल पर बोलना चाहूँगा। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी मामलों में बहुत ही दरियादिली दिखाई है चाहे वह नहरी पानी के समान वितरण की बात हो या दूसरे मामले हों। शिक्षा के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इलाके दक्षिणी हरियाणा की जो अहीरवाल बैल्ट है, के लिए न तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और न ही कोई टैक्नीकल यूनिवर्सिटी है। बावल में जो एग्रोकल्चर कॉलेज था वह भी बन्द हो चुका है। एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है। ये विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हम बनायेंगे। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से माँग है कि बाछौद जहाँ पर हवाई अड्डा भी है, रेलवे लाईन भी है उस गाँव की पंचायत 200 एकड़ जमीन भी ऑफर कर चुकी है। अतः वहाँ पर एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी अवश्य बनाई जाये।

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir,

I beg to introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move —

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा (अमैंडमैंट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will introduce the Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2007.

Sir, **I** also beg to move —

That the Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is --

That the Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is --

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि माननीय साथी श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने इससे पहले बिल की सराहना करते हुए कुछ सुझाव दिए थे मैं उनके बारे में स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। देहाती क्षेत्रों में पढ़ाई का स्तर कुछ कमजोर है और वहाँ के लोग अच्छी जगहों पर ऐडजस्ट नहीं हो सकते हैं उनके लिए आर्ट्स की पढ़ाई की तरफ ही (ज्यादा ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज जमाना बदल रहा है और टैक्नीकल ऐजूकेशन की योग्यता प्राप्त करने की तरफ बच्चों का ध्यान ज्यादा बढ़ रहा है और हमारी सरकार भी इस बारे में पूरी तरह से सचेत है और जागरुक हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में सकारात्मक कदम उठाए हैं और शायद पूरे हिन्दुस्तान में हरियाणा स्टेट पहली स्टेट है जिसने पूरी स्टेंट में ऐजुसैट स्कीम चलाई है। अध्यक्ष महोदय, वे यह भी कह रहे थे कि पड़ाने के लिए अच्छे टीचर्ज नहीं मिलते हैं। पड़ाने के लिए योग्य टीचर्ज सिलैक्ट किये गये हैं जो बच्चों की योग्यता को बढ़ाने के लिए लैक्चरज और लैसन्ज देंगे हमने इसका सिस्टम इन्ट्रोडयूस कर दिया है ताकि बच्चे अपनी जरूरत के मुताबिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा पहली स्टेट है जिसने पहली क्लास से कम्प्यूटर की शिक्षा लागू की है। आज कम्प्यूटर की शिक्षा की बहुत जरूरत है और हरियाणा सरकार ने पहली क्लास से स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा भी लागू कर दी है। इसके लिए स्कूलों में कम्प्यूटरज भिजवा दिए गए हैं। आज हमारी शिक्षा मैं कम्प्यूटर की

शिक्षा की बहुत जरूरत है और इस प्रकार से ऐजूकेशन सिस्टम को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को टैक्नीकल ऐजूकेशन देने के लिए नये सब्जैक्टस लागू किये गये हैं ताकि बच्चों को जोंब्ज मिलने में आसानी रहे। बेकारी जो बढ़ रही है उसको खत्म किया जाए। ऐजूकेशन में सुधार लाने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे डिपार्टमैंट ने प्रयास किया है। इसको मद्देनजर रखते हुए ही अच्छे क्वालीफाईड वी०सी० लगाने के लिए यह बिल हमारी सरकार लाई है। अगर अच्छे क्वालीफाईड वी०सी० होंगे तो वे अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल कर सकेंगे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: I am highly thankful to all of you for extending your cooperation to me for smooth conducting of the proceedings of the House. I am also thankful to all the press representatives, Government officers and officials of the Haryana Vidhan Sabha for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House

stands adjourned sine-die.

***13.12 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned sine die.)